₹25

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

क्रान्ति

मई 2017



- इस्लामी क़ानूनों में परिवर्तन क्यों ?
  —मौलाना आमिर उस्मानी
- सभी को इस्लामी क़ानूनों से परिचित कराएं
  —मुहम्मद जाफ़र
- नफ़रत नहीं मुहब्बत कीजिए
  —आबिद महमूद अज़्ज़ाम
- डायन ब्रास्दी
  —प्रो॰ सुधा चौधरी

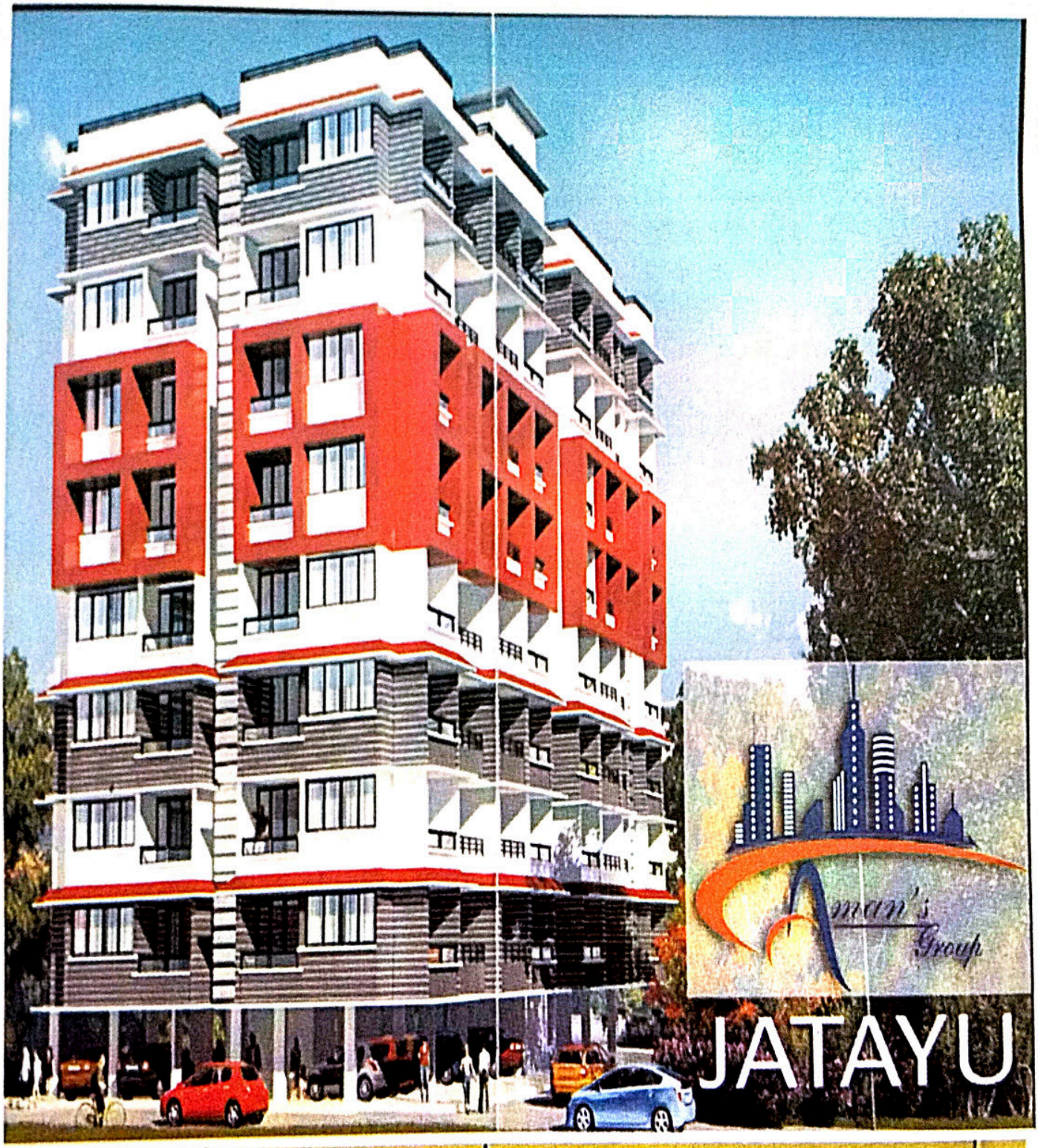

Aman's Group

Shop No.3- 4, Ground Floor, Karma Empress Bldg., Near K.T.C Bus Stand, Vasco-da-Gama, Goa.

Ph: 0832 2500823 / 2514134 Cell: 9326127351 / 9823577351

Sales: 9637888409 Email: amanbuilders4u@gmail.com

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

कान्ति

वर्ष 26 अंक 11 मई 2017

वास्तविकता यह है कि जो लोग आख़िरत (परलोक) को नहीं मानते उनके लिए हमने उनकी करतूतों को शोभायमान बना दिया है, इसलिए के भटकते फिरते हैं। –क़ुरआन

संपादक

डॉ० मुहम्मद अहमद

अपने विचार, लेख, रचनाएं भेजने एवं संपादकीय मामलों के लिए लिखें–

संपादक, 'कान्ति' मासिक

डी–314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

ई मेल editorkanti@yahoo.com

* * *

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए लिखें–

प्रबंधक, 'कान्ति' मासिक

डी–314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

* * *

फ़ोन संपादकीय एवं प्रबंधकीय

011-26949430, 09818799223

सहयोग राशि

एक प्रति रु० 25/- विशेषांक रु० 50/-

वार्षिक रु० 270/-, दो वर्ष 500/-

पांच वर्ष 1100/-, आजीवन रु० 6000/-

सऊदी अरब और खाड़ी के देशों से–110 रियाल

यूरोप व अमेरिका से–40 US डॉलर

वेब : **www.kanti.in**

चेक / ड्राफ्ट **'मासिक कान्ति'** के नाम से बनवाएं

ग़रीब की कुटिया

सबके अपने दांव
सबके अपने पेंच
और इस निर्धन
की कुटिया हमेशा
ही तोड़ी जाती है
ये कहकर कि
सड़क चौड़ी करनी है
ये जगह अवैध है
जबरन क़ब्ज़ा है तुम्हारा
सरकार के विकास की
मार से बचे
गुंडों की तोड़-फोड़ से बचे
तो प्रकृति अपना ज़ोर दिखाती है
कभी बाढ़ में बह जाती है
कभी आंधी में गिर जाती है
ग़रीब की कुटिया जो ठहरी
महलों, इमारतों के अतिक्रमण का क्या
उनका क्या जो हड़प कर दूसरें की ज़मीनें
बड़े-बड़े शापिंग माल बनाते हैं
कॉलोनियां खड़ी करके बेचते हैं
उन पर चला भी तो मात्र मुक़दमा
और अंत में बरी हो जाते हैं
या समझौता
सारी परेशानियां ग़रीबों के लिए
सारे क़ानून ग़रीबों के लिए
और अमीर के लिए कुछ नहीं
अमीर के साथ सरकार है
लगता है मरकर दफ़न होना
भी नसीब नहीं होगा
मरघट पर भी तो दबंगों का क़ब्ज़ा है
ठीक है अपनी मौत पर
चील-गिद्धों का भोज सही।

देवेन्द्र कुमार मिश्र

पाटनी कालोनी, भरत नगर, चन्दनगांव

छिन्छवाड़ा (म०प्र०)



कहां क्या है ?

ग़रीब की कुटिया	–देवेन्द्र कुमार मिश्र	3
कुरआन ज्योति		5
थोड़े पर संतोष (हदीस मंजरी)		6
बढ़ते अपराधों पर क़ाबू कैसे पाएं ? (संपादकीय)		7
जाट आरक्षण आन्दोलन (आपके पत्र)		9
एकेश्वरवाद की एकमात्र विशुद्ध अवधारणा (आस्था)	–मौलाना मुहम्मद यूसुफ़ इस्लाही	11
नफ़रत नहीं मुहब्बत कीजिए (सद्भावना)	–आबिद महमूद अज़्ज़ाम	13
कुल्हाड़ी पर पांव (कविता)	–ओम प्रकाश बजाज	14
पैग़म्बर (सल्ल॰) के बारे में दुश्मनों की गवाही (जीवन आदर्श)	–अब्दुर्रब करीमी	15
महज़ अंधविश्वास नहीं-डायन परिघटनाएं (महिला जगत)	–प्रो॰ सुधा चौधरी	17
व्यक्तित्व निर्माण (कैरियर)	–मौलाना मुहम्मद फ़ारूक़ ख़ां	21
टूटा साहित्यिक दर्पण (साहित्यिकी)	–हितेश कुमार शर्मा	23
अच्छे दिन कैसे आएंगे	–बद्री प्रसाद वर्मा 'अंजान'	25
इस्लामी क़ानूनों में परिवर्तन क्यों ? (विशेष आयोजन)	–मौलाना आमिर उस्मानी	26-27
सभी को इस्लामी क़ानूनों से परिचित करना हमारा ध्येय (भेंटवार्ता)	–मुहम्मद जाफ़र	36
इस्लाम औरत का संरक्षक	–संपादन प्रभाग	39
ग़ज़ल	–श्याम 'अंकुर'	41
पड़ोसी (कहानी)	–मुहम्मद तारिक़	42
सुविधा-असुविधा (कविता)	–ओम प्रकाश बजाज	43
बुनियादी अधिकार और समान सिविल कोड	–सैयद उबैदुर्रहमान	44
शरीर में कीटाणुओं का संक्रमण (स्वास्थ्य चर्चा)	–डॉ॰ वी॰ के॰ सिंह	46
दुनिया के सात अजूबे (बालवीथी	–संपादन प्रभाग	48

कुरआन ज्योति

(23) मगर जब वह उनको बचा लेता है तो फिर वही लोग सत्य से विमुख होकर धरती में विद्रोह करने लगते हैं। लोगो ! तुम्हारा यह विद्रोह तुम्हारे ही विरुद्ध पड़ रहा है। (24) दुनिया की ज़िन्दगी के कुछ दिनों के मज़े हैं (लूट लो), फिर हमारी ओर तुम्हें पलटकर आना है, उस समय हम तुम्हें बता देंगे कि तुम क्या कुछ करते रहे हो। दुनिया की यह ज़िन्दगी (जिसके नशे में मस्त होकर तुम हमारी निशानियों से ग़फ़लत बरत रहे हो) उसका उदाहरण ऐसा है जैसे आकाश से हमने पानी बरसाया तो धरती की पैदावार, जिसे आदमी और जानवर सब खाते हैं, ख़ूब घनी हो गयी, फिर ठीक उस समय जबकि धरती अपनी बहार पर थी और खेतियां बनी-संवरी खड़ी थीं और उनके मालिक समझ रहे थे कि अब हम उनसे लाभ उठाने पर समर्थ हैं, यकायक रात को या दिन को हमारा आदेश आ गया और हमने उसे ऐसा नष्ट करके रख दिया कि मानो कल वहां कुछ था ही नहीं। इस तरह हम निशानियां खोल-खोलकर प्रस्तुत करते हैं उन लोगों के लिए जो सोचने-समझने वाले हैं। (25) (तुम इस मिट जाने वाली ज़िन्दगी के छल के शिकार हो रहे हो) और अल्लाह तुम्हें 'दारुस्सलाम' (सलामती का घर) की ओर बुला रहा है।[32] (मार्गदर्शन उसके अधिकार में है) जिसे वह चाहता है, सीधा रास्ता दिखा देता है। (26) जिन लोगों ने भलाई का तरीक़ा अपनाया, उनके लिए भलाई है और अतिरिक्त कृपा[33], उनके चेहरों पर कालिख और रुसवाई न छाएगी। वे जन्नत के हक़दार हैं जहां वे हमेशा रहेंगे। (27) और जिन लोगों ने बुराइयां कमायीं, उनकी बुराई जैसी है वैसा ही वे बदला पाएंगे।[34] रुसवाई उन पर छा जाएगी, कोई अल्लाह से उनको बचाने वाला न होगा, उनके चेहरों पर ऐसा अंधेरा छाया हुआ होगा[35] जैसे रात के काले परदे उन पर पड़े हुए हों। वे दोज़ख़ के हक़दार हैं जहां वे सदैव रहेंगे।

–क़ुरआन, 10 : 23,27

---

32. अर्थात दुनिया में ज़िन्दगी बसर करने के उस तरीक़े की ओर बुला रहा है जो आख़िरत की ज़िन्दगी में तुम्हें 'दारुस्सलाम' का अधिकारी बनाए। दारुस्सलाम से तात्पर्य है जन्नत, और उसका अर्थ है 'सलामती का घर', वह जगह जहां कोई विपदा, कोई हानि, कोई दुख और कोई कष्ट न हो।

33. अर्थात उन्हें केवल उनकी नेकी के अनुसार ही बदला नहीं मिलेगा, बल्कि अल्लाह अपनी कृपा से उन्हें और अधिक पुरस्कार भी प्रदान करेगा।

34. अर्थात सदाचारियों के विपरीत दुराचारियों के साथ मामला यह होगा कि जितनी बदी है उतनी ही सज़ा दे दी जाएगी। ऐसा न होगा कि अपराध से तनिक भर भी अधिक सज़ा दी जाए।

35. वह अंधेरा जो अपराधियों के चेहरे पर पकड़े जाने और बचाव से निराश हो जाने के बाद छा जाता है।

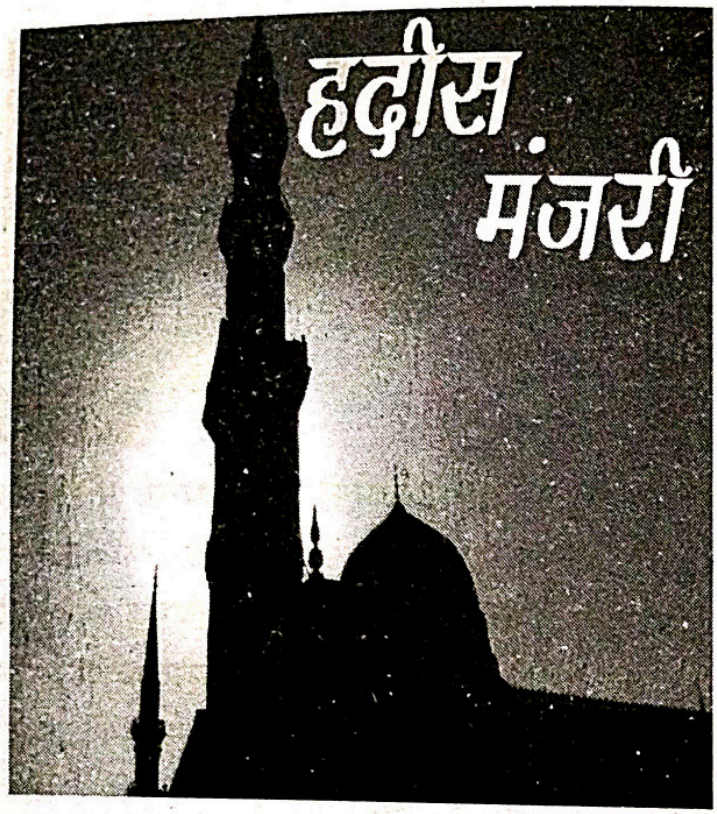

दुनिया के प्रति उदासीनता और थोड़े पर संतोष

● हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "उसकी तरफ़ देखो जो तुमसे (धन आदि में) नीचे है और उसकी तरफ़ मत देखो जो तुमसे ऊपर हैं । यही अधिक उचित है ताकि तुम अल्लाह की उन नेमतों को तुच्छ न समझो जो उसने तुम्हें दी हैं ।"

–बुख़ारी, मुस्लिम । शब्द मुस्लिम के हैं ।

बुख़ारी की एक रिवायत में है : "जब तुममें से कोई उस व्यक्ति को देखे जो माल और रूप की दृष्टि से उससे बढ़ा हुआ है, तो उसे चाहिए कि वह उसको भी देखे जो उससे कम दर्जे का है ।"

● हज़रत इब्न उमर (रज़ि॰) कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने मेरे कंधों को पकड़कर कहा : "दुनिया में ऐसे रहो जैसे तुम परदेसी हो या राहगीर ।"

हज़रत इब्न उमर (रज़ि॰) कहा करते थे कि जब तुम शाम करो, तो सुबह की प्रतीक्षा न करो और जब सुबह करो, तो शाम की प्रतीक्षा न करो और स्वस्थ अवस्था में अस्वस्थ अवस्था के लिए और जीवन में मृत्यु के लिए तैयारी कर लो । –बुख़ारी

● हज़रत अबुल अब्बास सह्ल बिन सअद अस-सायदी (रज़ि॰) कहते हैं कि एक व्यक्ति नबी (सल्ल॰) के पास आया और उसने कहा : ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल॰), आप मुझे एक ऐसा काम बता दें जब मैं उसे करूं, तो अल्लाह भी मुझसे प्रेम करने लगे और लोग भी मुझसे प्रेम करने लगें ? आप (सल्ल॰) ने कहा : "दुनिया के प्रति उदासीन हो जाओ अल्लाह तुमसे प्रेम करने लगेगा और लोगों के पास जो कुछ है उसके प्रति उदासीन हो जाओ तो लोग तुमसे प्रेम करने लगेंगे ।"

–इब्न माजा । इब्न माजा आदि ने इसे सहीह सनदों से रिवायत किया है । यह हदीस 'हसन' है ।

● हज़रत सहल बिन साअद अस-सायदी (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "अगर दुनिया अल्लाह की दृष्टि में मच्छर के पर के बराबर भी होती, तो वह उसमें से काफ़िर को दुनिया से एक घूंट पानी तक न पिलाता ।"

–तिरमिज़ी । तिरमिज़ी ने कहा कि यह हदीस 'हसन सहीह' है ।

● हज़रत अब्दुल्लाह बिन अस-सिख़ीर (रज़ि॰) कहते हैं कि मैं नबी (सल्ल॰) की सेवा में उपस्थित हुआ । आप सूरह अलहाक मुत्तकासुर (102) पढ़ रहे थे । आपने कहा : "आदम का बेटा कहता है : मेरा माल, मेरा माल । ऐ आदम के बेटे ! मेरा माल क्या है सिवाय उसके जो तुमने खा लिया और समाप्त कर दिया या पहन लिया और फटा-पुराना कर दिया या दान दिया और उसे आगे भेजा ?!" –मुस्लिम

(रियाज़ुस्सालिहीन' से)

इस्लाम-परिचय : हिन्दी वेबसाइटें

www.islamdharma.org
www.islamic videos.com
www.islamicwebdunia.com
www.quranhindi.com

संपादकीय

बढ़ते अपराधों पर क़ाबू कैसे पाएं ?

देश में आपराधिक गतिविधियों और घटनाओं की बाढ़-सी आयी हुई है । समाचार-पत्र और पत्रिकाओं की ऐसी कोई भी प्रति नहीं होती, जो इनसे ख़ाली हो । यह भी एक सच्चाई है कि पहले अपराधों का उतना दौर-दौरा नहीं था, जितना आजकल है । जैसे-जैसे पश्चिम की भोगवादी संस्कृति ने भारतीय समाज पर अपनी जकड़ बढ़ायी है, मानवीय और नैतिक मूल्यों के कुछ हद तक पलायन के साथ ही अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है । स्पष्ट है कि अपराधों से भरा समाज कदापि उन्नति नहीं कर सकता, न ही वह अच्छा समाज बन सकता है । इस प्रकार यह एक गंभीर समस्या है । लेकिन इसके हल के लिए जिस गंभीरता के साथ प्रयास करना चाहिए, वह नहीं हो पा रहा है । विभिन्न अपराधों की रोकथाम के लिए क़ानून ज़रूर बने हैं और नये नियम-क़ानून बनाए भी जा रहे हैं, फिर भी अपराध है कि थमने के नाम नहीं ले रहे हैं । यह सच है कि नियम-क़ानून की अपनी अहमियत है और इन पर यदि अमल किया जाए तो कहीं कुछ सकारात्मक परिणाम निकल सकता है । परन्तु जब नियम-क़ानून पर अमल कराने वाले भी भ्रष्टाचार और अपराध से मुक्त न हों, तो स्थिति की भयावहता का आसानी के साथ अंदाज़ा लगाया जा सकता है । दिन-प्रतिदिन अपराध और अपराधियों की संख्या में वृद्धि हो रही है । भारत में प्रतिवर्ष भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत लगभग 14.5 लाख संज्ञेय अपराध होते हैं और लगभग 37.7 लाख अपराध स्थानीय एवं विशेष क़ानूनों के तहत होते हैं । हमारे समाज में अपराध को समाप्त करने एवं अपराधियों को दंडित करने अथवा उपचार हेतु कारावास एवं परिवीक्षा कारावास की व्यवस्था की गयी है । साठ के दशक में पूरे देश में अपराधों का आंकड़ा छह लाख से अधिक नहीं होता था । हमारे देश में अनेक आपराधिक मामलों को पुलिस या तो दर्ज ही नहीं करती है या फिर लोग दबाव में या क़ानूनी पचड़े के डर से पुलिस के पास गुहार लगाने नहीं जाते हैं । राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा कुछ समय पहले जारी 2015 के आंकड़े बेहद चिंताजनक हैं । शहरीकरण और शहरों की आर्थिक समृद्धि बढ़ने के साथ अपराध भी तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं । दस लाख की आबादी से अधिक के 53 बड़े शहरों में घटित अपराधों की बात करें, तो अकेले देश की राजधानी दिल्ली में 25 फ़ीसदी अपराध दर्ज हुए । यह संख्या 1.73 लाख है । इसके बाद मुंबई (42,940), बेंगलुरू (35,576), कोलकाता (23,990) तथा हैदराबाद (16,965) का स्थान है । चेन्नई महानगरों में सबसे सुरक्षित है, जहां 13,422 घटनाएं संज्ञान में आयी थीं । उल्लेखनीय है कि ये आंकड़े दर्ज मामलों के हैं । ये आंकड़े भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दर्ज किये गये मामलों के हैं और अगर इनमें विशेष स्थानीय क़ानूनों के तहत पंजीकृत मामलों को जोड़ दें, तो यह संख्या और बढ़ जाती है । सबसे असुरक्षित शहरों की सूची में बिहार का पटना, राजस्थान का जोधपुर और केरल का कोल्लम

भी शामिल है । हत्या के मामलों में दिल्ली (464), पटना (232) और बेंगलुरू (188) आगे हैं । दहेज विरोधी क़ानून के तहत सबसे अधिक मामले बेंगलुरू, जमशेदपुर और पटना में दर्ज हुए । ब्यूरो की रिपोर्ट यह भी बताती है कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध, घरेलू हिंसा और सड़क पर मारपीट के मामले बढ़ रहे हैं ।

पुलिस प्रशासन का दावा अपनी जगह सही हो सकता है कि शहरों में अपराध के मामलों को दर्ज करने की सक्षमता के कारण संख्याएं अधिक हैं, पर ये आंकड़े प्रशासनिक कमज़ोरी और सामाजिक अव्यवस्था की ओर भी संकेत करते हैं । शहरों का लगातार असुरक्षित होते जाना इस बात को भी रेखांकित करता है कि नागरिकों को भयमुक्त वातावरण देने के लिए सरकार को ठोस क़दम उठाने होंगे । पुलिस व्यवस्था में सुधार की सिफ़ारिशों के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ ही पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाना और उन्हें समुचित प्रशिक्षण एवं संसाधन देना, अपराधों की जांच एवं क़ानून-व्यवस्था क़ायम रखने की ज़िम्मेदारी को अलग-अलग करना, समाज में जागरूकता और आपसी सहयोग का माहौल बनाना जैसी पहलों पर ध्यान दिये बग़ैर अपराधों पर अंकुश लगा पाना संभव नहीं है । अपराधों की समयबद्ध जांच और मुक़दमों का त्वरित निबटारा भी बहुत ज़रूरी है । प्रशासनिक भ्रष्टाचार और अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण भी बड़े अवरोध हैं, जिन्हें दूर किया जाना चाहिए । सामान्य रूप से देखा जाता है कि अधिकांश अपराधकर्मी पुलिस की गिरफ़्त से बचे ही रहते हैं । यहां पर अपराध का राजनीति से सरोकार जो ठहरा, इसकी वजह से भी अपराधों पर क़ाबू नहीं पाया जा सकता है । यह बुद्धिसंगत बात है कि केवल नियम-क़ानून बना देने भर से अच्छे समाज का निर्माण नहीं हो जाता, बल्कि इसके लिए उसमें रहने वालों का सही शिक्षण-प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है, ताकि उनकी ऐसी मानसिकता बनायी जाए कि वे ख़ुद से बुराइयों और विकृतियों से अपने आपको अलग रखें । ज़ोर-ज़बरदस्ती के द्वारा न तो किसी के भीतर मानवीय और नैतिक गुणों को विकसित किया जा सकता है और न ही उसे चरित्रवान बनाया जा सकता है । इसमें दो राय नहीं कि ऐसा करके हम अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं । स्पष्ट है कि वह समाज नैतिकता और मानवीय मूल्यों पर आधारित होने के साथ ही लोगों की ज़रूरतें पूरी करेगा । इसके बाद भी कोई व्यक्ति अपने हाथ ग़लत दिशाओं में बढ़ाता है, तो उसे दंडित करने से पहले उसकी हालत अच्छी तरह मालूम की जाए । संभव है कुछ ऐसे कारण मौजूद हों, जो उसको सज़ा से बचा सकते हों । अत: इस मामले में विशेष सावधानी की ज़रूरत भी होती है कि कहीं किसी बेगुनाह को सज़ा न मिल जाए । यह अफ़सोस की बात है कि यहां मामला उल्टा है । ऐसे मामलों की बड़ी संख्या है, जिनमें बेगुनाह जेल की सलाखों के पीछे रहता है और अस्ल अपराधी पकड़े ही नहीं जाते हैं, जैसा कि उक्त आंकड़ों से प्रमाणित है । इस परिस्थिति में हर सतह पर लोगों में ज़िम्मेदारी का एहसास पैदा करना ज़रूरी है । यह तभी पैदा हो सकता है, जब इन्सान के अन्दर ईशभय और ईशपरायणता पैदा की जाए । उसकी यह धारणा बन जाए कि वह अपने अच्छे-बुरे कर्मों की सज़ा ख़ुद भुगतेगा । वह सर्वशक्तिमान ईश्वर की पकड़ से भाग नहीं सकेगा । यह अकाट्य और शाश्वत सत्य है ।

जाट आरक्षण आंदोलन : आख़िर कहां जाकर थमेगा यह सिलसिला?

जाट आरक्षण आंदोलन की गूंज फिर से सुनाई दे रही है। जाट समुदाय लंबे समय से सरकार से आरक्षण की मांग करता रहा है और अक्सर आरक्षण की मांग का उनका यह आंदोलन हिंसक रूप धारण करता रहा है, गत माह हज़ारों जाटों ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन और संसद मार्ग के बाहर घेराव किया। उनमें अशांति, असंतोष और असहमति का लावा उबलता दिखाई दे रहा है। व्याप्त अशांत वातावरण को देखते हुए यही प्रश्न उठता है कि आख़िर यह सिलसिला कहां जाकर थमेगा ?

जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं इस पर भले ही न्यायालय, राजनीति और समाज एकमत न हो पर जाट समुदाय आरक्षण की मांग पर अडिग है। जाटों के अनुसार आरक्षण के लिए जो भी शर्तें होती हैं, उनके अनुसार जाट आरक्षण पाने के अधिकारी हैं।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। बस शर्त यह हैं कि ये सिद्ध किया जा जाए कि वे औरों के मुक़ाबले सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। क्योंकि अतीत में उनके साथ अन्याय हुआ है, ये मानते हुए उसकी क्षतिपूर्ति के तौर पर, आरक्षण दिया जा सकता है।

आरक्षण देने का तरीक़ा यह होता है कि राज्य अपने यहां एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करे। जिसका काम राज्य के अलग-अलग वर्गों की सामाजिक स्थिति का ब्यौरा रखना है। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ॰ बी॰सी॰) आयोग इसी आधार पर अपनी सिफ़ारिशें देता है। अगर मामला पूरे देश का है तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग अपनी सिफ़ारिशें करे, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं था।

1993 के मंडल कमीशन केस में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की पीठ ने बताया था कि किस-किस आधार पर भारतीय संविधान के तहत आरक्षण दिया जा सकता है। बालाजी मामले का उल्लेख करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि जाति अपने आप में कोई आधार नहीं बन सकती। उसमें दिखाना पड़ेगा कि पूरी जाति ही शैक्षणिक और सामाजिक रूप से बाक़ियों से पिछड़ी है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम नहीं समझते कि जाट अन्य लोगों से पिछड़े हैं।

अगस्त 1999 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ओ॰बी॰सी॰ श्रेणी के तहत जाटों को आरक्षण देने, राजस्थान के जाटों को पिछड़े वर्ग का दर्जा देने का वादा किया।

अक्तूबर 1999 में बाजपेयी सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में राजस्थान के जाटों को आरक्षण देने के अपने वादे को पूरा कर दिया। इसके बाद, अन्य राज्यों में भी जाटों को आरक्षण की मांग शुरू हो गयी। बाद में दूसरे राजनीतिक दलों जाटों के लिए आरक्षण के वादे को हवा दी। इस प्रकार जाट आरक्षण के राजनीतिकरण की शुरुआत हुई।

सुप्रीम कोर्ट ने 17 मार्च 2015 को एक बड़ा फ़ैसला देते हुए जाट समुदाय को दिए आरक्षण को रद्द कर दिया। यू॰पी॰ए॰ सरकार ने भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की विशेषज्ञ समिति की सिफ़ारिशों पर जाटों को आरक्षण देने का फ़ैसला किया था। कोर्ट ने इसको जायज़ नहीं ठहराते हुए कहा था कि तत्कालीन सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट को नज़रअंदाज़ किया है।

कोर्ट ने कहा कि जाति आरक्षण देने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है, लेकिन पिछड़ापन निर्धारित करने के लिए यह अकेले पर्याप्त नहीं है। जाटों ने आरक्षण रद्द होने के विरोध में आंदोलन की चेतावनी दी। जाट नेता और आरक्षण समिति के पदाधिकारी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मिले, सरकार ने साथ देने का आश्वासन दिया।

उल्लेखनीय है कि इस मामले में समीक्षा याचिका दायर है, जो कि विचाराधीन है, वहीं पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हुड्डा सरकार द्वारा जाट समुदाय को आरक्षण दिये जाने के फ़ैसले पर रोक लगा रखा है । ऊंट किस करवट बैठेगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा किन्तु जो भी हो अभी तक का सच यही है कि लंबे समय से आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहां जाट समुदाय एक बार फिर वापस उसी जगह आकर खड़ा है जहां से इस आंदोलन के बीज पड़े थे ।

सुफ़ियान अहमद

नयी दिल्ली-25

पर्यावरण संरक्षण

मासिक पत्रिका 'कान्ति' मार्च 2017 ''वायु प्रदूषण की भेंट चढ़ती ज़िन्दगी (पर्यावरण)'' आलेख रचयिता 'रीता सिंह' के विचारों से मैं पूर्णतया सहमत हूं ।

पर्यावरण का तात्पर्य यह है कि प्रकृति के सजे-सजाये आवरण को सुरक्षित रखना है । नहीं तो भविष्य में और भी घातक परिणाम होंगे । सुरक्षित नहीं रखने के कारण ऋतु परिवर्तन भी है । जिसका दुष्परिणाम अतिवृष्टि व अनावृष्टि है । समस्त प्रकार के प्रदूषणों से विश्व का पर्यावरण दूषित होता जा रहा है । वायु जल व ध्वनि प्रदूषण आदि पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए घने जंगल भी अति आवश्यक हैं ।

क्षणिक सुख की पूर्ति हेतु तथा अर्थ उपार्जन के लिए आये दिन वन के वृक्षों को काटा जा रहा है । वृक्ष जो कि वर्षा के पर्याप्त साधन हैं । शुद्ध हवा में ऑक्सीजन देना भी इनकी देन है । इनके नहीं होने से मानव मात्र को शुद्ध हवा भी नहीं मिल पा रही है तथा समय के अनुसार वर्षा से समुचित मात्रा में पानी पीने का उपलब्ध नहीं हो रहा है । वनों की कमी से वन्य जीव बिल्कुल नहीं दिखा देंगे । वन्य जीव गणना के आंकड़े भी यही दिग्दर्शन करा रहे हैं । इनकी संख्या में निरंतर कम होते रहना ।

उदाहरण के लिए बाघ, शेर, भालू आदि । ऐसे तो यह हिंसक पशु है परंतु मृत्युपरांत भी मानव जाति के लिए अत्यंत उपयोगी है । पर्यावरण की शुद्धि के लिए वनों के साथ-साथ उपवन भी होना अत्यंत आवश्यक है। उपवन में नाना प्रकार के फल व फूल होते हैं । ये भी पर्यावरणों की शुद्धि के लिए अति अद्वितीय साधन है । इनको भी समय से पूर्व अथवा बिना पके ही उखाड़ फेंक देते हैं । फिर हम कैसे कहें कि पर्यावरण शुद्ध हो । प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना ही भूकंप का आना तथा विपरीत मौसम का आवागमन का परिचायक है ।

वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु धुंआ उगलने वाले वाहनों की वृद्धि रोकी जाए । कम धुएं वाले वाहनों का विकास हो । अधिक धुआं उगलने वाले वाहनों के लाइसेंस रद्द कर दिये जाएं । साइलेंसर हटाकर वाहन चलाने वाले को दंडित किया जाए । भारत सरकार के वायु प्रदूषण नियंत्रण अधि नियम 1981 को कड़ाई से लागू किया जाए । वाहनों के प्रयोग केवल अत्यावश्यक परिस्थितियों में ही किया जाए । वाहनों शहरों में ख़ामोश ज़ोन तथा हार्न निषेध बनाया जाए । जल प्रदूषण की रोकथाम हेतु सीवरों की गंदगी बस्ती से दूर रखना चाहिए ।

अपमार्जकों का प्रयोग किया जाए । औद्योगिक अवशिष्ट नदियों में प्रवाहित न किये जाएं । गंदे पानी का प्रवाह नालियों से किया जाए । शहरीकरण तथा औद्योगिकरण की द्रुतगति मानव के लिए घातक सिद्ध हो रही है । उसने पर्यावरण प्रदूषण की समस्या उत्पन्न कर दी है ।

यदि प्रदूषण दानव का दमन न हुआ तो आगे आने वाली पीढ़ी के अनेक लोग बहरे-अंधे और क्षय रोगग्रस्त हो जाएंगे । कैंसर से भी घातक यदि कोई है तो वह प्रदूषण है । अंत में आप सभी से मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं कि अभी समय है तथा आज से ही हमें पूर्ण प्रति करनी होगी कि पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए प्रकृति से उपरोक्त समस्त उपहारों को संरक्षण देना होगा ।

रामस्वरूप झंवर

9-10 शास्त्रीनगर-विस्तार, भीलवाड़ा (राज०)

लक्ष्य की ओर अग्रसर

आदरणीय बंधुवर !

आपके यशस्वी संपादन में प्रकाशित मासिक 'कान्ति' का अंक मिला था, संयोगवश पत्नी की हृदयकार्य के उपचारार्थ भागदौड़ के कारण तत्समय मैं प्राप्ति सूचना न दे सका ।

'कान्ति' अपने लक्ष्य की ओर अकृष्ठ भाव से अग्रसर हो रही है । यह आपके सघन श्रम, सूझ-बूझ एवं संपादन कौशल का स्वत: प्रमाण है । इस उल्लेखनीय सत्कार्य हेतु शतश: साधुवाद ।

भानुदत्त त्रिपाठी 'मधुरेश

एकेश्वरवाद की एकमात्र विशुद्ध अवधारणा

■ मौलाना मुहम्मद यूसुफ़ इस्लाही

एकेश्वरवाद को मानने वाले और एकेश्वरवाद को अपनाने का दावा करने वाले यूं तो बहुत-से गरोह हैं, लेकिन एकेश्वरवाद की एकमात्र सही अवधारणा क़ुरआन ही प्रस्तुत करता है । इसके अतिरिक्त जो भी अवधारणाएं प्रस्तुत की जाती हैं, वे पूर्ण रूप से असत्य और अस्वीकार करने योग्य हैं । इस सबसे बड़े दावे का आधार पूर्वाग्रह और संकीर्ण दृष्टि नहीं है, बल्कि बुद्धि-विवेक और सत्यप्रियता की भावना है और इस दावे की सच्चाई थोड़े से सोच-विचार से आसानी से समझ में आ सकती है ।

एकेश्वरवाद व पालनहार प्रभु की इबादत का प्रामाणिक ज्ञान

इस स्पष्ट वास्तविकता से कौन इन्कार करने की हिम्मत कर सकता है कि ख़ुदा के जानने का सही और विश्वसनीय ज्ञान और उसकी इबादत (उपासना) का पसन्दीदा और प्रामाणिक तरीक़ा केवल वही हो सकता है, जो अल्लाह ने ख़ुद अपने बन्दों को बताया है और यह कि अल्लाह ने अपने बन्दों को अपनी हस्ती और गुणों का एक ही ज्ञान और अपनी बन्दगी और इबादत का एक ही तरीक़ा बताया है । यह बात बुद्धि के बिलकुल विरुद्ध है कि वह अपनी बन्दगी और इबादत की परस्पर विरोधी अवधारणाएं और तौर-तरीक़े अपने बन्दों को बताए ।

जानने योग्य बात केवल यह है कि ख़ुदा की हस्ती और गुणों का सही ज्ञान और उसकी इबादत का वह प्रामाणिक और पसन्दीदा तरीक़ा क्या है ? और यह हर सत्यप्रिय आदमी का परम कर्तव्य है कि वह उस सही ज्ञान और जीवन-व्यवस्था को मालूम करे । इससे बड़ी नासमझी और मूर्खता क्या होगी कि ज्ञान एवं बुद्धि से काम लिए बिना और किसी जीवन-व्यवस्था पर इस पहलू से संतुष्टि हासिल किये बिना आदमी आंखें बन्द किये बाप-दादा की धार्मिक अवधारणाओं और रस्मों-रिवाजों से चिमटा रहे और बाप-दादा का अंधानुकरण करता रहे या ज़िन्दगी की गाड़ी इच्छाओं के हवाले करके निश्चिंत हो जाए ।

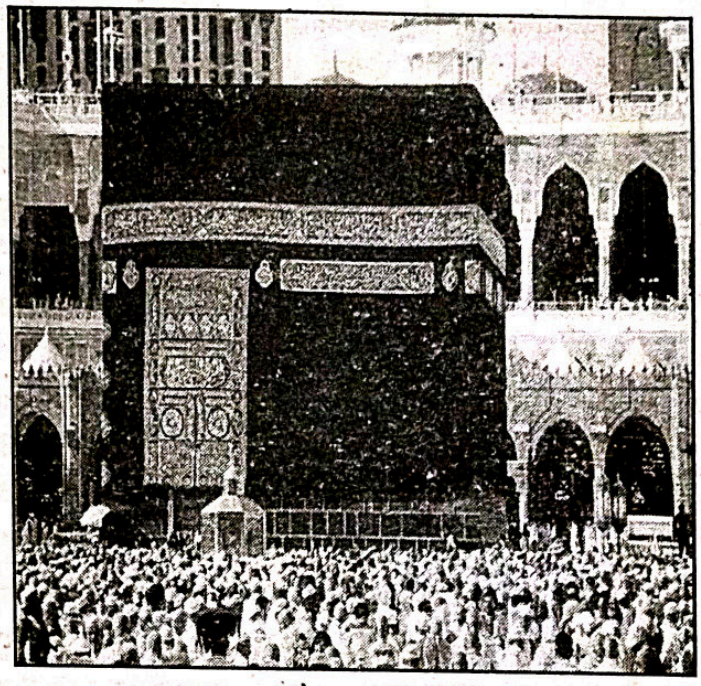

क़ुरआन का दावा और उसका संतोषजनक प्रमाण

क़ुरआन का दावा यह है कि एकेश्वरवाद का सही ज्ञान और इबादत (उपासना) का सही तरीक़ा केवल वही है जो क़ुरआन प्रस्तुत करता है ।

इसके विपरीत एकेश्वरवाद और उपासना का जो भी तरीक़ा है वह पूर्णरूप से ग़लत और असत्य है । इसलिए क़ुरआन ही वह प्रामाणिक और सुरक्षित ग्रंथ है जो ख़ुदा ने अवतरित किया है । इस दावे का संतोषजनक प्रमाण ख़ुद क़ुरआन और उसकी शिक्षाएं हैं ।

क़ुरआन एक व्यापक, पूर्ण और स्पष्ट ग्रंथ है । यह हर तरह के मतभेदों और विरोधाभास से मुक्त है । इसकी शिक्षाएं बुद्धि-विवेक की कसौटी पर खरी उतरने वाली और व्यावहारिक हैं । यह ज्ञान और तत्वदर्शिता का स्रोत और सरलता एवं सुस्पष्टता का अनुपम नमूना है । इसका मार्गदर्शन, विस्तृत ज्ञान, सही दृष्टिकोण, पक्षपातहीनता, सच्चाई और यथार्थ का दर्पण है । इसके सिद्धांत अत्यंत व्यापक, लचकदार और हर दौर की आवश्यकताओं के लिए लाभकारी और उपयोगी हैं । इसको स्वीकार करने वाला न ज़िन्दगी की किसी ज़रूरत में किसी दूसरे के मार्गदर्शन का

मुहताज रहता है और न अपने दिल-दिमाग़ में संदेह और शक की कोई चुभन महसूस करता है ।

इतना अनुपम और महानतम ग्रंथ वही ख़ुदा अवतरित कर सकता है, जिसका ज्ञान पूरी कायनात पर आच्छादित हो, जिसके लिए वर्तमान, भूत और भविष्य सब वर्तमान हों, जिसके दृष्टिकोण में संकीर्णता और ग़लती की कोई आशंका न हो, जो मनुष्य की प्रत्येक आवश्यकता और प्रकृति की प्रत्येक अपेक्षा का पूर्ण और विश्वसनीय ज्ञान रखता हो और जो मनुष्य के मनोविज्ञान और उसके व्यवहार और जीवन-संघर्ष की शक्तियों से पूरी तरह अवगत हो और कोई छोटी से छोटी चीज़ भी उसकी नज़र से ओझल न हो ।

मनुष्य, जो ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में अपने सारे विकास के बावजूद कायनात के बहुत थोड़े-से हिस्से के बारे में ही अत्यंत सीमित ज्ञान प्राप्त कर सका है, जिसको अपने इतिहास का भी पूर्ण ज्ञान नहीं है, जो अपने भविष्य और उसकी आवश्यकताओं से भी पूरी तरह अवगत नहीं है और इसके साथ ही उसका ज्ञान ग़लतियों और कमियों से सुरक्षित भी नहीं है, क़दम-क़दम पर उसके ज्ञान की कमी और ग़लती सामने आती रहती हैं । यह इन्सान क़ुरआन जैसा पूर्ण और महान ग्रंथ कैसे लिख सकता है, किताब लिखना तो दूर की बात यह तो क़ुरआन जैसी एक सूरा भी नहीं लिख सकता ।

क़ुरआन जैसा उदाहरण प्रस्तुत करने में मानव असमर्थ

क़ुरआन चौदह सौ साल से निरंतर चुनौती दे रहा है कि जो लोग भी क़ुरआन को ख़ुदा का उतारा हुआ मार्गदर्शक ग्रंथ नहीं मानते, अगर वे सच्चे हैं तो अपने ज्ञान और विवेक का पूरा उपयोग करके अपनी पूरी शक्ति लगाकर इस जैसी एक ही सूरा लिखकर लाएं और क़ुरआन विश्वास की पूरी शक्ति से घोषणा करता है कि मनुष्य बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते–

"और अगर तुम्हें इस बात में संदेह है कि यह किताब जो हमने अपने बन्दे पर उतारी है, यह हमारी है या नहीं, तो इस जैसी एक ही सूरा बना लाओ । अपने मत के सारे ही लोगों को बुला लो, एक अल्लाह को छोड़कर बाक़ी जिस-जिस की चाहो सहायता ले लो, अगर तुम सच्चे हो तो यह काम करके दिखाओ । लेकिन अगर तुमने ऐसा न किया और निश्चय ही कभी नहीं कर सकते, तो डरो उस आग से जिसका ईंधन बनेंगे मनुष्य और पत्थर, जो जुटाई गयी है सत्य के इन्कारियों के लिए ।" (क़ुरआन, 2:23,24)

सत्य को जानने वाले की सोच और फ़ैसले का सही अंदाज़

क़ुरआन का यह दावा है कि ख़ुदा को जानने और उसकी इबादत (उपासना) का सही ज्ञान वही है जो क़ुरआन प्रस्तुत कर रहा है । मानव-जाति की सफलता उसी को स्वीकार करने में है, क्योंकि ख़ुदा का उतारा हुआ अंतिम, प्रामाणिक और सुरक्षित मार्गदर्शक ग्रंथ पवित्र क़ुरआन ही है ।

यह एक ऐसा चौंका देने वाला दावा है जो हर समझदार और सत्य का ज्ञान रखने वाले को झिंझोड़ता है कि अगर वह वास्तव में अपना भला चाहता है तो अज्ञानता, पक्षपात, लापरवाही, बाप-दादा का अंधानुकरण और हठधर्मी का मार्ग छोड़कर साफ़ दिल-दिमाग़ के साथ गंभीरता से इस दावे पर सोच-विचार करे और ख़ुदा ने सोचने, समझने, देखने, सुनने और फ़ैसला करने की जो शक्तियां दे रखी हैं उनसे काम लेकर अपनी ज़िन्दगी के बारे में कोई फ़ैसला कर ले, क्योंकि ज़िन्दगी केवल एक ही बार मिलती है, बार-बार नहीं । अगर आदमी ने ग़लत विश्वास पर ज़िन्दगी की नींव रखी तो वह सदैव के लिए असफल हो गया और अगर सही विश्वास पर जीवन का निर्माण किया तो दुनिया में भी सफल रहेगा और मरने के बाद भी सफलता और मुक्ति पाएगा–

"स्पष्ट रूप से कह दो कि यह सत्य है तुम्हारे प्रभु की ओर से, अब जिसका जी चाहे मान ले और जिसका जी चाहे न माने । हमने तो अत्याचारियों के लिए एक आग तैयार कर रखी है, जिसकी लपटें उन्हें घेरे में ले चुकी हैं । वहां अगर वे पानी मांगेंगे तो ऐसे पानी से उनका सत्कार किया जाएगा जो तेल की तलछट जैसा होगा और उनका मुंह भून डालेगा, अत्यंत बुरा है वह पेय और बहुत ही बुरा है वह विश्रामस्थल। रहे वे लोग जो ईमान लाएं और अच्छे कर्म करें, तो निश्चय ही हम सत्कर्मी लोगों का बदला अकारथ नहीं किया करते। उनके लिए सदाबहार बाग़ हैं, जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी । वहां सोने के कंगनों से आभूषित किये जाएंगे, बारीक और गाढ़े रेशमी हरित कपड़े पहनेंगे और ऊंची मसनदों पर तकिए लगाकर बैठेंगे । उत्तम प्रतिदान और उच्च श्रेणी का विश्रामस्थल !" (क़ुरआन, 18 : 29-31)

नफ़रत नहीं मुहब्बत कीजिए

■ आबिद महमूद अज़्ज़ाम

इन्सान स्वाभाविक रूप से मुहब्बत पसंद है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया में चहुंदिश इन्सानों की लगायी हुई नफ़रत की आग पूरी मानवता को अपनी लपेट में लिए हुए है । हर तरफ़ लूटमार, क़त्ल, लड़ाई-झगड़े और दंगा-फ़साद बरपा है । मुल्कों से लेकर आम लोगों तक सब नफ़रत की आग जलाने में व्यस्त हैं । नफ़रत की यह आग दुनिया में फैलती ही चली जा रही है, लेकिन मुहब्बत की गोद में जन्म लेने वाला इन्सान इस आग को बुझाने की बजाय भड़काने में व्यस्त है ।

अगर इन्सान अपनी स्वाभाविक भावना मुहब्बत को नफ़रत की भावना पर हावी करने के लिए अपने अन्दर से हर तरह के नकारात्मक आचार-विचारों को ख़त्म करने और सकारात्मक प्रवृत्तियों पर अपने मन को माइल करने की कोशिश करे, तो कोई वजह नहीं कि वह अपनी मुहब्बत की ताक़त से नफ़रत की आग पर क़ाबू न पा सके । नफ़रत की आग बुझाने के लिए पहले हर इन्सान को खुद अपने माहौल से पैदा हुई नकारात्मक प्रवृत्तियों का ख़ात्मा करना और अपने जीवन को सकारात्मक प्रवृत्तियों के अधीन करना ज़रूरी है । अगर हम चाहें तो अपने दिल को दूसरों की नफ़रत की आग से सुरक्षित रखकर दुनिया को मुहब्बत का केन्द्र बना सकते हैं ।

नफ़रत, मुहब्बत की भावना की तरह एक स्वाभाविक भावना नहीं है, बल्कि यह नकारात्मक प्रवृत्ति अन्य अप्रिय व्यवहारों की प्रतिक्रिया के रूप में पैदा होती है । इन्सान नफ़रत अपने आसपास के वातावरण से हासिल करता है, इसलिए हर इन्सान को अपने जीवन में ऐसे दोस्तों का चुनाव करना चाहिए, जो नफ़रत से नफ़रत और मुहब्बत से मुहब्बत करते हों, ताकि समाज से नफ़रत ख़त्म हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मुहब्बत फैले और नकारात्मक मानसिकता वाले ऐसे लोगों से पूरी तरह बचा जाए, जो हमेशा नफ़रत फैलाने की योजना बनाते रहते हैं ।

इन्सान में स्वाभाविक भावनाओं और संवेदनाओं में से मुहब्बत सबसे अहम भावना है । मुहब्बत की भावना हर इन्सान के स्वभाव में प्रविष्ट की गयी है । इस्लाम भी इन्सान को मुहब्बत फैलाने का आदेश देता है । एक मुसलमान मुहब्बत का पैकर होता है, वह लोगों में नफ़रत के कांटे नहीं, बल्कि प्यार व स्नेह के फूल बांटता है । मुहब्बत का इज़हार केवल औरत और मर्द ही के लिए नहीं होता है, बल्कि औलाद के लिए असीमित प्यार, मां-बाप की सेवा, बुज़ुर्गों की अक़ीदत और दोस्त-अहबाब की संगत के अनगिनत रंगों से सजी ज़िन्दगी मुहब्बत का इज़हार ही तो है ।

सबसे मज़बूत रिश्ता जो लोगों को परिवार, समाज और क़ौम बनाता है, वह मुहब्बत ही है । मुहब्बत एक ऐसी भावना है, जो गुरु और शिष्य दोनों के दिलों पर समान रूप से प्रभाव डालती है । औलाद के शिक्षण-प्रशिक्षण में मुहब्बत की भूमिका अपना एक बुनियादी स्थान रखती है । मुहब्बत लोगों में मेल-मिलाप और एकजुटता का कारण है । अगर मुहब्बत की भावना न होती, तो कोई भी इन्सान किसी दूसरे की ज़िम्मेदारी क़बूल करने को तैयार न होता और हमदर्दी, त्याग व क़ुरबानी जैसे शब्दों का अस्तित्व ही न होता ।

मुहब्बत इन्सान के स्वभाव में शामिल उसी तरह का एक हिस्सा है, जिस तरह सांस लेना, खाना खाना, पानी पीना, सोना-जागना, मानव-स्वभाव के हिस्से हैं । हम हर इन्सान से बहैसियत इन्सान मुहब्बत करते हैं । हम अपने दोस्तों से मुहब्बत करते हैं, अपने रिश्तेदारों से मुहब्बत करते हैं । अपने घर वालों से, मां-बाप, भाई-बहन, बीवी-बच्चों से मुहब्बत करते हैं । अपने घर-गली, गांव-शहर और देश से मुहब्बत करते हैं । मुहब्बत एक स्वाभाविक भावना है, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता । इस्लाम फ़ितरत का तर्जुमान है, इस लिहाज़ से मुहब्बत का इस्लाम से गहरा संबंध है । जिस तरह इस्लाम दूसरे कामों का आदेश देता है, उसी तरह इस्लाम फ़ितरत को बुरी नज़र से बचाते हुए हमें मुहब्बत का आदेश भी देता है, जो अल्लाह ने हमारे दिलों

में डाल दिया है ।

कुरआन मजीद में अल्लाह तआला फ़रमाता है–"उसने तुम्हारे दिल जोड़ दिये ।" (कुरआन, 3:103) जबकि हदीस में है–"आपस में उपहारों का आदान-प्रदान करो और मुहब्बत करो ।" अत: यह स्वाभाविक अमल होने के साथ इस्लाम का तक़ाज़ा भी है । इस्लाम हमें मुहब्बत करने और इसको तरक़्क़ी देने के लिए हमदर्दी, प्रेम, भाईचारा, त्याग और क़ुरबानी जैसे अवसर भी फ़राहम करता है, जिन पर अमल करने से आपस में मुहब्बत बढ़ती है । हज और हर नमाज़ के अवसर पर मुसलमानों का एक साथ मिलकर अल्लाह तआला के सामने सिर झुकाना भी इन्सानों को मुहब्बत का अवसर फ़राहम करना ही है । मुहब्बत इन्सान के फ़ितरत में शामिल है, लेकिन इस फ़ितरत का इज़हार ख़ुदा, रसूल, धर्म, मां-बाप, पत्नी, बच्चे और पति में से हर एक के लिए अलग-अलग होता है । मुहब्बत में जिसका जितना हक़ है, उसे उस मक़ाम पर ही रखा जाए और इस्लाम ने जो श्रेणी निर्धारित की है, उसकी पाबंदी की जाए ।

मुहब्बत इन्सान के लिए सुकून का कारण है और यह सुकून अपने महबूब को याद करने से प्राप्त होता है । इन्सान हर वक़्त अपने महबूब की याद में ही खोना पसंद करता है । इन्सान को जिससे मुहब्बत होती है, वह उसे अक्सर याद करता रहता है । क़ुरआंन में ईमान वालों के बारे में फ़रमाया गया कि उनको सुकून अल्लाह की याद में मिलता है, क्योंकि उनकी सबसे ज़्यादा मुहब्बत अल्लाह ही से होती है । किसी के सामने अपनी इच्छाओं को क़ुरबान कर देने और महबूब की याद में खोए रहने का नाम मुहब्बत है । जब किसी को किसी से मुहब्बत होती है, तो उसका अंदाज़ बदल जाता है ।

कायनात बदली-बदली सी लगती है, बल्कि ज़ाहिर व बातिन का जहां बदल जाता है । मुहब्बत से आशक्त होने वाला इन्सान ऐसे रोग का शिकार हो जाता है, जिसको कोई दूसरा इन्सान समझ ही नहीं पाता कि हुआ क्या है । इन्सान खोया-खोया सा रहता है, दिन-प्रतिदिन कमज़ोर होता चला जाता है, लोग समझते हैं कि शायद कोई गंभीर बीमारी हो गयी है, लेकिन उसकी बीमारी कोई किसी की समझ में नहीं आती । यह तो इन्सान की इन्सान से मुहब्बत का हाल है और अगर इन्सान को अपने पालनकर्ता से मुहब्बत हो जाए, तो उसकी हालत ही अलग होती है । इन्सान को हर काम में अपने पालनकर्ता की मर्ज़ी पर अमल करने की फ़िक्र लगी रहती है ।

सबसे महत्वपूर्ण अल्लाह तआला की मुहब्बत को पाना है और अल्लाह की मुहब्बत प्राप्त करने के लिए उसके आदेशों का पालन करने के साथ-साथ उसके मख़्लूक़ से मुहब्बत करना भी ज़रूरी है । मख़्लूक़ से मुहब्बत करना भी अल्लाह तआला के आदेशों का पालन करना ही है, क्योंकि मख़्लूक़ को अल्लाह तआला का कुनबा कहा गया है और मख़्लूक़ से मुहब्बत करने का आदेश ख़ुद अल्लाह तआला ही तो फ़रमाता है ।

इन्सान को चाहिए कि नफ़रत की भावनाओं को भुलाकर मुहब्बत की भावनाओं को बढ़ावा दे, अगर अल्लाह की मुहब्बत प्राप्त करना चाहता है, तो ख़ुदा की मख़्लूक़ से मुहब्बत करे ।

कुल्हाड़ी पर पांव

हम कुल्हाड़ी पर पांव ही नहीं मार रहे
स्वयं अपनी जड़ें खोदने का काम कर रहे हैं !
निहित स्वार्थ अंधी कमाई के लालच में
शिक्षा प्रसार के सारे सरकारी प्रयासों को
दिन दहाड़े खुलेआम पलीता लगा रहे हैं !
बिहार के टॉपर कांड की परतें जैसे-जैसे
खुलती चली जा रही हैं भ्रष्टाचार का
एक नया अध्याय सामने आ रहा है !
न जाने यह घिनौना खेल कब से चल रहा था ?
मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला शिक्षा माफ़िया के
विस्तार की कहानी ख़ुद बयान करता है !
गुजरात के कुछ स्कूलों में शिक्षा मंत्री
यह देखकर हैरान रह गये कि तीसरी कक्षा के
बच्चे दूसरी कक्षा का पाठ भी नहीं पढ़ गये !
मामूली जोड़ घटाव भी उनसे नहीं हो पाया ।
हम देखते भालते अपने आपको बहला रहे हैं !
लेकिन कब तक ?

● **ओमप्रकाश बजाज**
(इन्दौर, म०प्र०)

पैग़म्बर (सल्ल॰) के बारे में दुश्मन की गवाही

■ अब्दुर्रब करीमी

रोम का बादशाह हिरक़्ल (Hercules) ईसाई था और इंजील का आलिम था। इंजील की भविष्यवाणियों और गवाहियों के मुताबिक़ एक नये पैग़म्बर के आने के इन्तिज़ार में था। जब उसे मालूम हुआ कि अरब के मक्का शहर में हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने पैग़म्बर होने का दावा किया है तो उसे यह जानने की ख़ाहिश हुई कि इंजील की भविष्यवाणियों के अनुसार पैग़म्बर की जो अलामतें और विशेषताएं) होती हैं, वे हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) में मौजूद हैं या नहीं ? इसी दौरान मक्का के कुछ कारोबारी लोगों से हिरक़्ल की मुलाक़ात हुई। उन लोगों में क़ुरैश के सरदार अबू-सुफ़यान भी थे। अबू-सुफ़यान उस वक़्त इस्लाम और हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) के कट्टर दुश्मन थे। रोम के बादशाह हिरक़्ल ने उनसे जो बात की उसे ख़ुद अबू-सुफ़यान ने इस तरह बयान किया है–

रोम के बादशाह हिरक़्ल ने मुझे अपने दरबार में बुलाया और मुझसे मुहम्मद (सल्ल॰) के बारे में पूछा। हिरक़्ल का पहला सवाल यह था कि उस व्यक्ति (मुहम्मद) का ख़ानदान कैसा है ? मैंने कहा कि वह बहुत ही शरीफ़ ख़ानदान से संबंध रखता है।

हिरक़्ल : क्या तुममें से किसी ने इससे पहले पैग़म्बरी का दावा किया था ?

अबू-सुफ़यान : नहीं।

हिरक़्ल : क्या उसके बाप-दादाओं में कोई बादशाह गुज़रा है ?

अबू-सुफ़यान : नहीं।

हिरक़्ल : उसकी पैरवी (अनुसरण) करने वाले बा-असर लोग हैं या कमज़ोर ?

अबू-सुफ़यान : कमज़ोर।

हिरक़्ल : उसकी पैरवी करने वालों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो रही है या कमी ?

अबू-सुफ़यान : बढ़ोत्तरी हो रही है।

हिरक़्ल : उसकी पैरवी करने वालों में कोई ऐसा भी

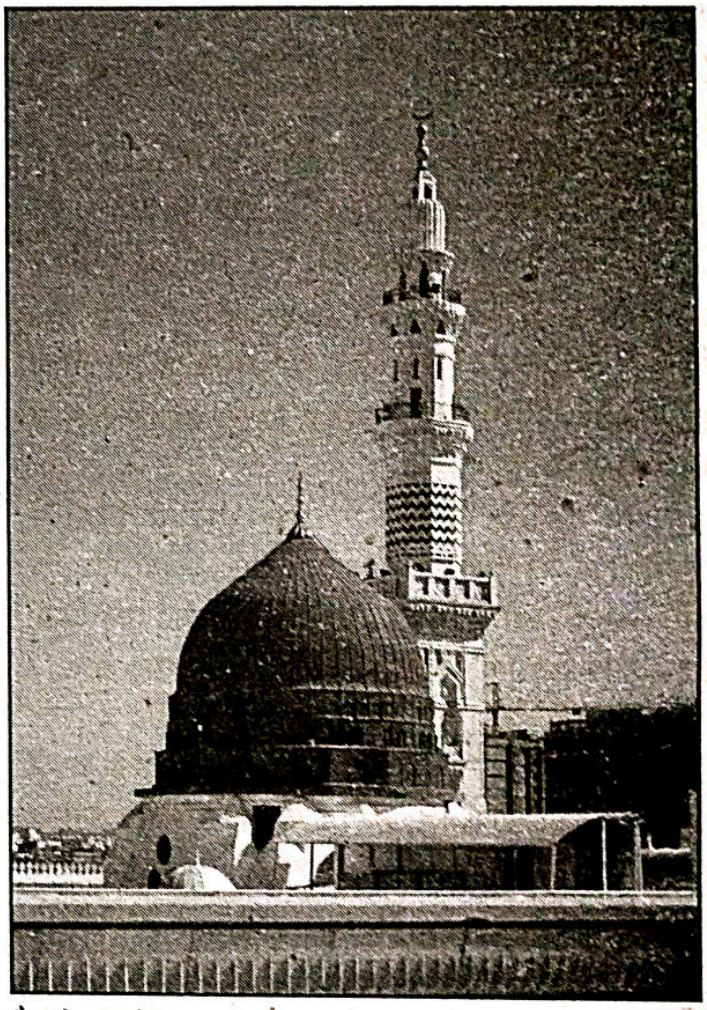

है जो उसके धर्म से नाख़ुश होकर फिर गया हो ?

अबू-सुफ़यान : नहीं।

हिरक़्ल : पैग़म्बरी के दावे से पहले कभी तुमने उस पर झूठ की तुहमत (लांछन) लगायी थी ?

अबू-सुफ़यान : नहीं।

हिरक़्ल : वह वचन भंग करता है ?

अबू-सुफ़यान : नहीं। अलबत्ता अभी जो उसके साथ सुलह का समझौता हुआ है, उस पर देखेंगे कि वह उसकी पाबन्दी करता है या नहीं। (इस एक बात के सिवा अल्लाह के पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) के बारे में मैं कोई बात भी अपनी तरफ़ से दाख़िल न कर सका।)

हिरक़्ल : क्या तुम्हारी कभी उससे जंग हुई है ?

अबू-सुफ़यान : जी हां।

हिरक़्ल : जंग का नतीजा क्या हुआ ?

अबू-सुफ़यान : जंग में कभी उसका पलड़ा भारी रहा, कभी हमारा ।

हिरक़्ल : वह किस बात की शिक्षा देता है ?

अबू-सुफ़यान : वह कहता है कि एक ख़ुदा की उपासना (इबादत) करो और उसके साथ किसी को शरीक (साझी) न ठहराओ । बाप-दादाओं की बातें (अज्ञानता) छोड़ दो ।

वह हमें नमाज़ पढ़ने, सच बोलने, पाकदामनी अपनाने और रिश्ते-नातों के अधिकार अदा करने की शिक्षा देता है ।

इस बातचीत के बाद हिरक़्ल ने दुभाषिए से कहा कि अबू-सुफ़यान से कहो कि मैंने तुमसे मुहम्मद के ख़ानदान के बारे में पूछा तो तुमने कहा कि वह बहुत ही शरीफ़ ख़ानदान का है, तो पैग़म्बर हमेशा शरीफ़ ख़ानदानों में से बनाए जाते हैं ।

मैंने पूछा कि क्या इससे पहले तुममें से किसी ने पैग़म्बर होने का दावा किया था तो तुमने जवाब दिया कि नहीं । अगर इससे पहले तुममें से किसी ने यह दावा किया होता तो मैं समझता कि यह उसी दावे का असर है ।

मैंने पूछा कि उसके बाप-दादाओं में से कोई बादशाह हुआ है ? तो तुमने कहा कि नहीं । अगर ऐसा होता तो मैं समझता कि वह बाप-दादा की (खोई हुई) सल्तनत हासिल करना चाहता है ।

मैंने तुमसे पूछा कि पैग़म्बरी के दावे से पहले कभी तुमने उस पर झूठ का इलज़ाम लगाया था तो तुमने ज़वाब दिया कि नहीं । मैं नहीं समझता कि जो आदमी लोगों से झूठ न बोलता हो, वह ख़ुदा पर झूठ बांध सकता है ।

मैंने तुमसे सवाल किया कि बा-असर लोग उसकी पैरवी करने वाले हैं या कमज़ोर तो तुमने जवाब दिया कि कमज़ोर लोग, तो पैग़म्बरों की पैरवी करने वाले ऐसे ही लोग होते हैं ।

मैंने पूछा कि उसके मानने वालों में बढ़ोत्तरी हो रही है या कमी तो तुमने बताया कि बढ़ोत्तरी हो रही है । यही हाल ईमान का है कि वह बढ़ता ही रहता है, यहां तक कि वह मुकम्मल (पूर्ण) हो जाता है ।

मैंने पूछा कि कोई व्यक्ति उसके धर्म को क़बूल करने के बाद उससे नाख़ुश होकर फिर जाता है कि नहीं ? तो तुमने जवाब दिया कि नहीं । और यही हालत ईमान की है कि जब वह दिलों में उतर जाता है तो फिर निकलता नहीं ।

मैंने पूछा कि क्या उसने वचन भंग किया है तो तुमने कहा कि नहीं । तो पैग़म्बरों का चरित्र ऐसा ही होता है । वे कभी वचन और समझौता भंग नहीं करते ।

मैंने तुमसे पूछा कि वह किस बात की शिक्षा देता है तो तुमने बताया कि वह एक ख़ुदा की उपासना और इबादत करने और उसके साथ किसी को साझी न ठहराने की शिक्षा देता है, मूर्तिपूजा से मना करता है, नमाज़ पढ़ने, सच बोलने और पाकदामनी और नेकचलनी अपनाने का हुक्म देता है ।

अगर तुम्हारी ये बातें सच हैं, तो एक दिन उसकी पहुंच यहां रोम तक होगी । मुझे मालूम था कि एक पैग़म्बर आने वाला है, लेकिन यह नहीं समझता था कि वह तुममें से होगा । अगर मेरे लिए उसकी सेवा में हाज़िर होना मुमकिन होता तो मैं मुश्किलों के बावजूद उससे मिलता और अगर मैं उसकी ख़िदमत में हाज़िर होता, तो उसके क़दम धोने का श्रेय प्राप्त करता ।

UNITED ELECTRONIC SPARES

Deals :
Electronic Spare Parts,
TV, DVD, DTH & All Types of Remote,
CFL Glass & CFL Kit, USB Set, Fan,
Iron, Mixer, Mobile Accessories,
0-25 KVA To 10 KVA Stabiliser &
Inverter, CFL Inverter &
12 V 7.2AH Battery

Shop No-8, Hotel Ashoka Complex,
L.T. Road, Ramgarh Cantt, Jharkhand

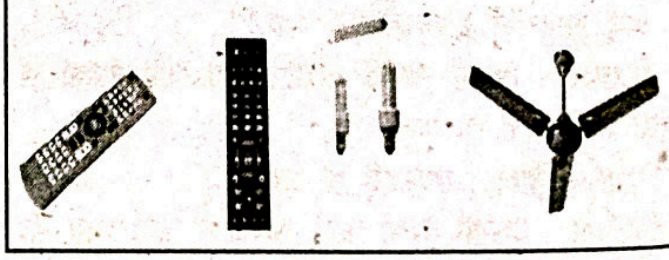

महज़ अंधविश्वास नहीं है–डायन परिघटनाएं...

■ प्रो॰ सुधा चौधरी
(विभागाध्यक्ष, दर्शनशास्त्र,
मो॰ला॰ सुखाड़िया वि॰वि॰, उदयपुर, राज॰)

जिस समाज का रेशा-रेशा सामंती मनोविज्ञान से बुना हो उसमें महिला सम्मान व आज़ादी के नारों-घोषणाओं की यथार्थ दुनिया बेहद कुरूप है, जो महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों को वैधता प्रदान करने के लिए उर्वरा-भूमि उपलब्ध करवाती है । हाल में राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा राज्यों में 'डायन' के नाम पर हुई क्रूर घटनाएं दिखाती हैं कि हमारा आधुनिक व सभ्य समाज किस क़दर जादू-टोने जैसी मानसिक बीमारी से आत्मग्रस्त है और कैसे धार्मिक अवचेतन वाले समाज को ये अपराध बेचैन करने की बजाय सहज व सत्य लगने लगते हैं ?

महिलाओं के साथ अत्याचार का यह रूप काफ़ी भयावह, वीभत्स एवं अमानवीय है । इसमें गाली मलौज, मारपीट, पत्थर फेंकना, सामाजिक बहिष्कार करना, घर में बंद कर देना, मुंह पर कालिख पोत देना, मैल-मूत्र पिलाना, पेड़ से बांध देना, सरेआम निर्वस्त्र कर घुमाना, अंगभंग करना, सामूहिक बलात्कार और जघन्य तरीक़े से हत्या कर देना जैसी बर्बरताएं शामिल हैं । इस अपराध में यह मान लिया जाता है कि सर्वनाशक बुरी आत्मा जैसी कोई ताक़त है और यह जिस महिला में आती है वह इतनी ताक़तवर हो जाती है कि किसी का कुछ भी अहित, अशुभ कर सकती है । इन अपराधों को अंजाम देने में गांव के भोपे, पीर, ओझा की भागीदारी अहम रहती है ।

चितौड़गढ़ ज़िले की 'रूकंमा' को गांव वालों ने पीट-पीटकर बेहोश कर डायन बता दिया, क्योंकि गांव के ओझा द्वारा रिछपाल नाम के व्यक्ति के बच्चे के बीमार होने का कारण 'रूकमा' को डायन होना बताया गया । इसी तरह, उदयपुर ज़िले की आदिवासी 'नानी' को गांव वालों ने घर में घुसकर पीटा और उसे डायन घोषित कर गांव से निकाल दिया । क्योंकि गांव की एक महिला के बीमार होने पर भोपे ने भैरव का भाव बताते हुए कहा कि 'नानी' के जादू टोने के कारण वह बीमार है और यदि उसे बाहर नहीं निकाला तो पूरे गांव को श्राप लगं जाएगा ।

जबकि, 'नानी' ने बताया कि उसने भोपे की ग़लत हरकतों का विरोध किया था, इसलिए उसको डराने और चुप कराने के लिए षड्यंत्र रचा गया । अगस्त माह में डूंगरपुर ज़िले में संपत्ति के झगड़े को लेकर चार महिलाओं को डायन घोषित कर घोर यातनाएं दी गयी । इनसे देखा जा सकता है कि जिस समाज के संपूर्ण मनोविज्ञान के रचने, गढ़ने और दिशा देने में धर्म की अहम भूमिका होती है, उसी समाज में धर्माधारित अत्याचारों के लिए भी काफ़ी गुंजाइश रहती है । 'डायन' जैसा सामाजिक अपराध इसी मनोवृति का एक रूप है जिसकी शिकार कई महिलाएं आये दिन हो रही हैं ।

इसी प्रकार, यदि किसी महिला के कुपोषण या अन्य किसी बीमारी के चलते उसके बच्चे जन्म के समय मर जाते हैं तो यह सहजता से कह दिया जाता है कि यह डायन है जो अपने बच्चे को खा जाती है । मध्य प्रदेश की सुनीता को इसी आधार पर प्रताड़ित किया गया । जिस समाज में वैवाहिक जीवन 'सामाजिक संस्थान' हों, वहां पर विवाहेत्तर संबंध होना एक स्वाभाविक स्थिति बन जाती है । पितृप्रधान समाजों में पुरुष विवाहेत्तर संबंध स्थापित करने के ज़्यादा अवसर पाता है इसलिए इस संबंध को छुपाने या पत्नी के चुप्पी साधे रखने के लिए डायन की धारणा काफ़ी सहायक होती है । लेकिन क्या वाक़ई डायन जैसी कोई प्रेतात्मा होती है ?

इस संबंध में प्रताड़ित महिलाओं से की गयी मुलाक़ात से स्पष्ट तौर पर यह तथ्य सामने आया कि उनमें से एक भी महिला मानसिक रूप से भी विक्षिप्त नहीं थी । यहां पर एक सामान्य-सा तर्क भी डायन की धारणा को ख़ारिज करता है और यह तर्क है कि–'यदि महिला के पास इतनी ताक़त है कि वह किसी का कुछ भी नुक़सान कर सकती है, तो जब उसको मानवता को शर्मसार कर सार्वजनिक रूप से नंगा करके घुमाया जाता है, मलमूत्र पिलाया जाता है, मुंह में अंगारे डाले जाते हैं–तब वह सबको भस्म कर खुद का बचाव क्यों नहीं कर पाती है ?'

जबकि, इन महिलाओं की पारिवारिक, आर्थिक व जातीय पृष्ठभूमि देखने पर पाया गया है कि 90 प्रतिशत मामलों के मूल में संपत्ति व ज़मीन का झगड़ा है । इसके अलावा जातीय वैमनस्य, पारिवारिक दुश्मनी, बेमेल विवाह, महिलाओं की पंचायती राज में बढ़ती भागीदारी, उनका नि:संतान होना अथवा पुत्र देने में असमर्थ रहना इत्यादि मुख्य कारण है ।

ऐसे कारण भी कम नहीं होते जब कोई महिला स्त्रीत्व के दोहरे मापदंडों, पितृसत्तात्मक मूल्यों एवं सामंती सांस्कृतिक प्रतिमानों को अस्वीकार करती है और उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है, तो उसे डायन क़रार देकर उसका सार्वजनिक अपमान किया जाता है । टोंक ज़िले की साठ वर्षीया मूला देवी और भीलवाड़ा की फूलकंवर को अपनी स्पष्टवादिता और हिम्मत की क़ीमत डायन बनकर चुकानी पड़ी ।

पंचायती राज में महिलाओं को पचास फ़ीसद आरक्षण देने से गांव की प्रभावशाली जातियों और तबक़े के लोगों को काफ़ी असुविधा और पीड़ा महसूस होने लगी है । गांव की स्थायी राजनीति में अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए यह कोशिश रहती है कि आरक्षित सीट पर जो महिला आये वह मात्र औपचारिक पदाधिकारी रहे और समस्त अधिकारों के प्रयोग व उपयोग की डोर उनके नियंत्रण में ही रहे । और, जो महिला सरपंच इस लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करे तो उसकी सज़ा डायन बनाकर दी जाए ।

उदयपुर के गोगुन्दा गांव की 'सरपंच ओमली' का बलात्कार कर उसे डायन इसलिए बनाया गया कि उसने अपने राजनैतिक अधिकारों का प्रयोग करना सीख लिया था । आख़िर, सरपंच के रूप में सबसे अच्छा काम करने वाली 'ओमली' को अपना घर परिवार छोड़ना पड़ा । जिस समाज में महिला होने का अर्थ ही वारिस पैदा करना हो, उसमें बांझपन भी डायन बनने का बड़ा कारण बन जाता है । जुलाई माह में कोटा की प्रेमा को भी इसी कारण से 'डायन' बनाया गया ।

समाज का पंच, सरपंच एवं राजनैतिक चेहरे भी अक्सर पीड़ित पक्ष को ही दोषी बताकर उसका जाति बहिष्कृत करते हैं तथा ये सब मिलकर पीड़ित पक्ष को ही गांव छोड़ने जैसे दंड देने और आर्थिक जुर्माना भरने को मजबूर करते हैं ।

अधिकांशत: पीड़िता और उसके परिवारजन बेहद कमज़ोर व ग़रीब होते हैं और समाज के दबाव में इतने दबे रहते हैं कि वे पुलिस-प्रशासन के पास जाने तक का साहस भी नहीं जुटा पाते हैं । तब वे 'डायन' को ही अपनी क़िस्मत मानकर चुप रहते हैं । तो, प्रशासन व पुलिस का रवैया भी बहुत ही खेदजनक रहता है, जिसमें उसे या तो 'जातीय मामला' बताकर उसकी शिकायत को क़ानून के दायरे से ही बाहर कर देते हैं या फिर उसे अंधविश्वास कहकर इससे बचने की परामर्श देते हैं ।

इन मामलों में अपराधी ही न्यायकर्ता बनकर निर्णय देते हैं । और, किसी भी महिला को डायन बताने के लिए केवल 'भोपा भाव' का आना ही पर्याप्त हो जाता है । इसके लिए अफ़वाहें भी एकमात्र प्रमाण हैं । जिसमें भ्रम, शंका, डर, घृणा और आतंक का ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि महिला अपने बचाव के लिए ही असामान्य व्यवहार

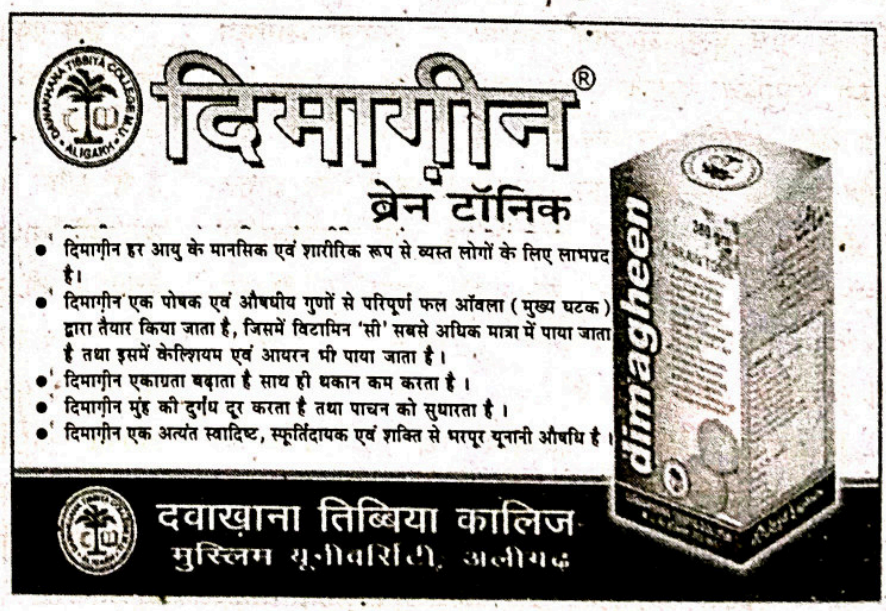

करने लग जाए तो कोई आश्चर्यजनक नहीं होगा । जिस महिला को डायन बनाया जाता है उसके सामाजिक जीवन पर तमाम क़िस्म के प्रतिबंध लगाकर उसकी सामाजिक सक्रियता ख़त्म कर दी जाती है । कमज़ोर, ग़रीब, आदिवासी व अति पिछड़ी जातियों की महिलाएं इसका आसानी से शिकार हो जाती हैं । एकल, विधवा, निःसंतान और परित्यकता महिलाओं को यह दंश ज़्यादा झेलना पड़ता है ।

देश के हर कोने में विशेष रूप से बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा की महिलाएं इस सामाजिक अभिशाप से बेहद पीड़ित हैं । जहां पर किसी भी महिला को 'डायन' घोषित कर उनके समस्त प्रकार के सामाजिक एवं नागरिक अधिकार छीनकर घर से बेघर कर दिये जाने की घटनाएं आम बात है ।

ये घटनाएं दिखाती हैं कि ग़ैर-वैज्ञानिक सामाजिक-मनोविज्ञान किस तरह से धार्मिक आवरण में लिपट कर तमाम क़िस्म के अत्याचारों को वैधता प्रदान करता है । अब, इन सामाजिक सामूहिक अपराधों के प्रति सरकार कितनी गंभीर है, यह तो इससे पता चलता है कि महिला संगठनों व महिला आयोग द्वारा मांग करने पर भी अभी तक भी इसके रोकथाम संबंधी कोई कठोर क़ानून नहीं बना है । सबसे पहले राजस्थान में 'राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण विधेयक 2015' बना ।

इसके बाद मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्यों में भी क़ानून बनाया गया । लेकिन इस क़ानून के बावजूद भी इन राज्यों में अपराध का बदस्तूर जारी रहना दिखाता है कि अपराधियों को क़ानूनी सज़ा का डर इतना नहीं लगता है, जितनी उनको जातीय पंचायत की सहमति ताक़त देती है । सामूहिक कृत्य होने पर भी क़ानून के लचीले छिद्र, दोषियों को क़ानून के दायरे से बाहर होने में मदद पहुंचाते हैं ।

इसलिए, डायन के अपराध को मात्र पिछड़ापन, अशिक्षा या अंधविश्वास तक सीमित कर देना इस-समस्या का अतिसरलीकरण करना है । ऐसी सतही समझ और 'डायन' बनाने की व्यवस्था, सापेक्ष कारणों को ओझल कर देती है । जिसके चलते हम यह नहीं देख पाते हैं कि इस समाज में अशिक्षित व पिछड़ा तो पुरुष भी है, किन्तु उसे कभी इस पीड़ा का शिकार होते नहीं पाया गया । एक तरह से डायन की घटनाएं महिला का सामाजिक क़त्ल है, जो अपनी मूल सोच में न केवल मानव गरिमा के प्रति अनादर है, बल्कि हमारे अमानवीय व्यवहार की चरम पराकाष्ठा भी है । जहां महिला को इन्सान से पहले संपत्ति समझा जाता है ।

ऐसे 'महिला विरोधी सामाजिक परिवेश' में वह निरंतर जिस असुरक्षा बोध, हीन मानसिकता, अपराध बोध पर निर्भरता की स्थिति में रहती और जीती है, उसमें यदि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त भी हो जाए तो उसका कारण भी कोई दैवीय प्रकोप न होकर सामाजिक ही होता है । ऊपरी तौर पर अंधविश्वास लगने वाली 'डायन परिघटना' वस्तुतः महिला की पराधीन व दमित सामाजिक दर्जे की अभिव्यक्ति है । जिसको कन्या भ्रूण हत्या, दहेज हत्या जैसी कुरूपताओं से अलग करके नहीं देखा जा सकता ।

महिलाओं को इस अभिशाप से मुक्ति, पितृ सत्तात्मक सामाजिक ढांचा और महिला को दोयम दर्जा देने वाली सांस्कृतिक बुनियाद को ख़त्म करके ही मिल सकती है । जिसका एकमात्र रास्ता एक ऐसे इन्सानी समाज के निर्माण से होकर जाता है जहां महिला की पहचान उसके पति, भाई अथवा पिता के नाम से न हो, बल्कि सामाजिक जीवन की विशाल सक्रियता में उसकी भागीदारी व हिस्सेदारी से हो ।

(सा॰ : 'पाक्षिक समाचार सफ़र')



قال اللہ تعالیٰ

احل اللہ البیع وحرم الربوا (القرآن)

اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام فرمایا۔

HALAL
INVESTMENT & FINANCE

Eat Halal Earn Halal

HALAL
INVESTMENT & FINANCE

Best Concept For Bright Future & Best Economic Conditions

Nihal Co-Operative Credit Society Ltd.

Eat Halal Earn Halal
INTEREST FREE INVESTMENT & FINANCE

Regd No. TNA/(TNA)/RSR/1029 Year : 1998/99
Regd. Office : 3rd Floor, Nihal House,
N. H. School Road, Opp. Ideal Tower, Mira Road (E)
Mumbai (Maharashtra)

Chairman : Janab Imammuddin Nihaluddin Shaikh

Contact Us : 9022665544, 9869641648

व्यक्तित्व का निर्माण

■ मौलाना मुहम्मद फ़ारूक़ ख़ां

व्यक्तित्व (Personality) ही आदमी की पहचान है । जो लोग अपने व्यक्तित्व की ओर ध्यान नहीं देते और जो यह नहीं जानते कि व्यक्तित्व को आघात अगर पहुंचता है तो यह वह हानि होगी जिससे बड़ी किसी हानि की कल्पना नहीं की जा सकती । मनुष्य का महत्व और उसका मूल्य उसके व्यक्तित्व पर ही आधारित होता है । मनुष्य के सारे कर्मों, गतिविधियों और जीवन-चरित्र को उसके व्यक्तित्व में आंका जा सकता है ।

साधारणतया लोग कहा करते हैं कि मरने के पश्चात आदमी के साथ न उसका धन जाता है, न संपत्ति और न उसके साथ उसके परिवार के लोग होते हैं । उसके साथ अगर जाते हैं तो उसके कर्म ही, चाहे वे जैसे भी हों–अच्छे या बुरे । इस बात को दूसरे शब्दों में यूं कहा जा सकता है कि मरने के पश्चात मनुष्य के साथ उसका शील-स्वभाव और चरित्र ही जाता है । इसको यदि और संक्षेप में कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि मरने के पश्चात आदमी के साथ उसका व्यक्तित्व ही जाता है । व्यक्तित्व का नाता मनुष्य के साथ हमेशा के लिए अटूट होता है ।

ऊपर जो कुछ कहा गया उससे यह बात भली-भांति स्पष्ट होती है कि मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसका अपना व्यक्तित्व ही है । किन्तु यह देखकर बड़ा ही दुख होता है कि साधारणतया लोग इस तथ्य से अनभिज्ञ होकर जीवन व्यतीत करते हुए दिखायी देते हैं । व्यक्तित्व का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि व्यक्तित्व के निर्माण में तीन चीज़ों की मुख्य भूमिका होती है ।

(1) विचार (Thought) (2) भाव (Feeling) (3) कर्म (Action)

प्रत्येक व्यक्ति के कुछ न कुछ विचार होते हैं । उसके विचार सत्य भी हो सकते हैं और असत्य भी । यह भी संभव है कि उसका पूरा जीवन अज्ञानपूर्ण विचारों के साथ समाप्त हो जाए और उसे यह ख़बर न हो सके कि वह दुनिया में क्यों आया था और मरने के बाद उसे किस लोक में जाना है ? जगत का स्रष्टा, नियंता और उसका चलाने वाला कौन है और किस योजना के अंतर्गत वह जगत के कार्यकलाप को चला रहा है ? उस योजना में मनुष्य की क्या भूमिका होनी चाहिए और इसमें उसकी क्या भागीदारी हो सकती है ? विचार उच्च और गहरे भी हो सकते हैं और तुच्छ और घिनावने भी । कुछ विचार ऐसे होते हैं जो विष की भांति पूरे जीवन को विषाक्त कर देते हैं । बुरे विचार ऐसे प्रदूषक (Pollutants) हैं जो समाज के वातावरण को प्रदूषित करके रख देते हैं । किसी के विचार यदि सत्य और सुन्दर नहीं हैं तो फिर हम उसके लिए किसी महान और आकर्षक व्यक्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते ।

व्यक्तित्व के निर्माण में दूसरी चीज़ जिसका मौलिक योगदान होता है वह है भाव (Feeling)। मनुष्य विचारों के साथ जीवन व्यतीत नहीं कर सकता । उसकी कुछ भावनाएं और कामनाएं भी होती हैं । वह केवल यही नहीं चाहता कि उसकी भूख मिटे बल्कि उसे आनन्द की भी तलाश होती है । भावनाओं में भी अंतर पाया जाता है । कुछ भावनाएं पवित्र और निर्मल होती हैं कुछ अपवित्र और घृणित । जब तक मनुष्य की भावनाएं, उसकी आसक्ति और अभिरुचियां पवित्र और गहरी नहीं होतीं, तब तक उसके लिए किसी आकर्षक और महान व्यक्तित्व का हम स्वप्न नहीं देख सकते ।

व्यक्तित्व के निर्माण में तीसरी चीज़ है जिसे कर्म (Action) कहा जाता है । विचार और भावनाओं की तरह कर्म भी अच्छे-बुरे होते हैं । कुछ कर्मों का मानव-इतिहास में इतना बड़ा योगदान रहा है कि व्यक्ति को उन्होंने अमर बना दिया । कुछ कर्मों के अच्छे फलों से मनुष्य की पीढ़ियां-दर-पीढ़ियां लाभांवित होती रहती हैं और कुछ व्यक्तियों के कर्म ऐसे विनाशकारी और निकृष्ट होते हैं कि शताब्दियों तक जनता त्राहि-त्राहि करती रहती है । इसकी मिसालों से इतिहास के पृष्ठ भरे पड़े हैं । अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण में तो वही कर्म सहायक हो सकते हैं जिन्हें हम सुकर्म या कल्याणकारी कर्म के नाम से जानते हैं ।

विचार, भाव और कर्म–ये तीन चीज़ें व्यक्तित्व के मूल निर्माणकारी तत्व हैं । इन तत्वों से मिलकर ही किसी व्यक्तित्व का निर्माण होता है ।

मुनअम पब्लिक स्कूल

(इंगलिश मिडियम, सी॰बी॰एस॰ई॰, नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त)

महाराजगंज, पो॰ दादपुर, ज़िला हज़ारीबाग, (झारखण्ड)

नामांकण सूचना : एल के जी से कक्षा नवम् तक

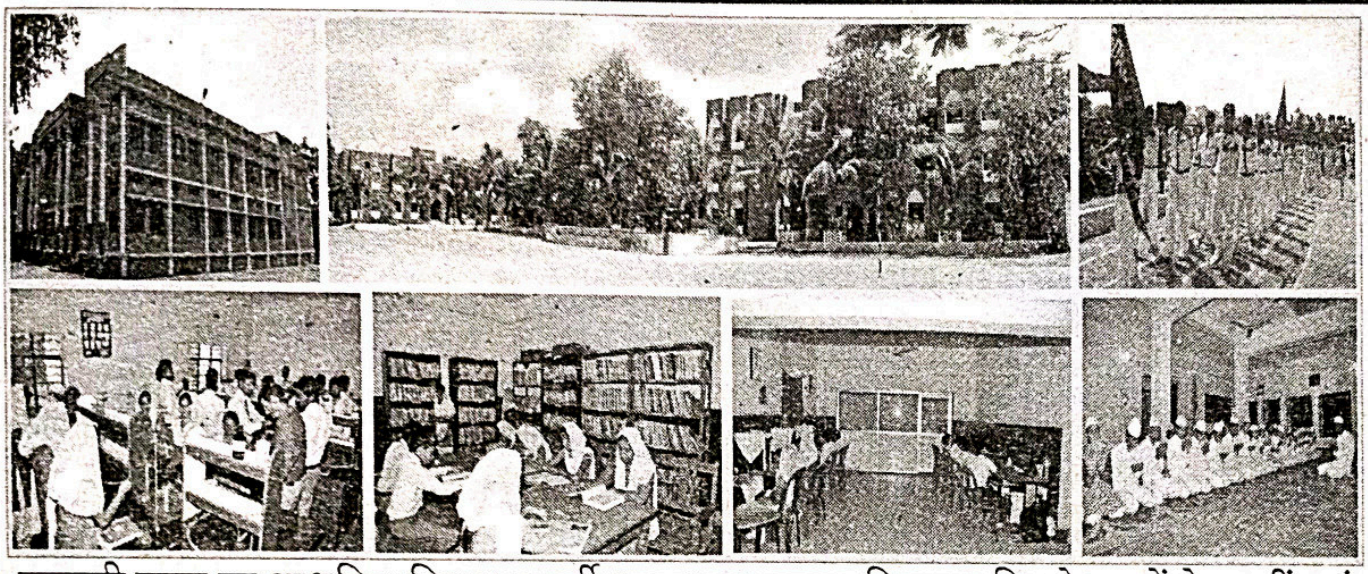

इस्लामी नहज पर आधुनिक शिक्षा का पूर्वी भारत का एकमात्र विद्यालय जिसके छात्रों ने दसवीं एवं बारहवीं के बोर्ड परीक्षा में शानदार कामयाबी हासिल की।

उपलब्ध सहूलियतें

विशाल कैंपस, भव्य इमारतें, छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग आरामदेह साफ़-सुथरे छात्रावास की व्यवस्था, साइंस एवं कंप्यूटर लैब, ज्ञानवर्धक किताबों से भरपूर पुस्तकालय, स्पोर्ट्स एवं पी॰टी॰ के लिए विशाल खेल मैदान, सभी विषयों के लिए अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की टीम, नमाज़ पंजगाना के लिए ख़ूबसूरत मस्जिद।

नामांकण फ़ार्म मिलने की अंतिम तिथि : 15 मार्च 2016

एस॰एम॰ नईम	साद राशिद ख़ान नदवी	वकील अहमद
एम.ए., बी.एड.ए (अलीग.)	फ़ाज़िल, नदवा, लखनऊ	एम॰एस॰सी॰, बी॰एड॰
निदेशक	छात्रावास अधिक्षक	प्राचार्य

विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें

मोबाइल : 09431530878/7739748279, वेबसाइट : munammission.org

ई॰मेल : hmpt.mission@gmail.com

टूटा साहित्यिक दर्पण

■ हितेश कुमार शर्मा
(बिजनौर, उ०प्र०)

साहित्य समाज का दर्पण होता है तथा साहित्यकार जो कुछ भी लिखता है, उससे तत्कालीन समाज की छवि स्पष्ट होती है । कवि हो, लेखक हो अथवा इतिहासकार हो । सभी के कार्यों में समाज का चेहरा स्पष्ट परिलक्षित होता है । यदि मधुमास है तो कवि श्रृंगारिक गीत लिखता है और लेखक बसंत के आगमन में परिचर्चा लिखता है । यदि युद्ध का समय है तो कवि ओज पूर्ण गीत लिखता है जिससे सैनिकों में उत्साह उत्पन्न होता है, तात्पर्य यह है कि जिस समय जैसा वातावरण होता है साहित्यकार कवि अथवा लेखक उसको वैसा ही वर्णन करते हैं और वैसा ही काल पात्र में रख दिया जाता है । साहित्य को आने वाली पीढ़ियां उसे पढ़ती है और मार्गदर्शन प्राप्त करती है, किंतु वर्तमान में ऐसा लग रहा है कि यह दर्पण टूट गया है अथवा उसमें बाल आ गया है और कोई भी छवि स्पष्ट नहीं दिखायी दे रही ।

पहले साहित्यकार का सम्मान राज दरबार में विशेष रूप से होता था । राजाभोज से कौन परिचित नहीं है, जिनके दरबार में कालीदास को विशेष स्थान प्राप्त था । इसी प्रकार सूरदास, तुलसीदास और कबीर का अपने-अपने समय में सम्मान हुआ । यह परंपरा आगे भी चलती रही है । बहुत से कवि और शायर हुए हैं, जिन्हें सरकारी सज़ीफ़े प्राप्त हुए । सुकवि रामधारी सिंह दिनकर तथा आदरणीय मैथलीशरण गुप्त राष्ट्रकवि के पद पर विराजमान हुए । किंतु धीरे-धीरे ऐसा लगता है कि यह परंपरा लुप्त हो जाएगी । सुकवि दिनकर पं० जवाहर लाल नेहरू की पसंद थे, इसलिए राष्ट्रकवि के पद पर आसीन हुए । छत्रसाल के युग में सुकवि भूषण को विशेष दर्जा दिया गया था । कवि युद्ध के समय फ़ौज का मनोबल बढ़ाते थे । शांति के समय जीवन के मधुमासी रंग बिखेरते थे । किंतु धीरे-धीरे अब यह परंपरा लुप्त होती जा रही है ।

सरकार की ओर से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता साहित्यकार को प्रदान नहीं की जाती । पद्मश्री भी पक्षपात के आधार पर प्रदान की जाती है । 95 वर्ष की आयु में एक कवि को यदि पद्मश्री का सम्मान दिया जाए तो उसके लिए अर्थहीन हो जाता है । इसी प्रकार यदि जाति भेद के आधार पर पद्मश्री प्रदान की जाए तो वह क्षोभ ही उत्पन्न करती है, किसी प्रकार का उत्साह नहीं । देखा जा रहा है कि मंत्री जी के कार्यालय तक से पद्मश्री की उपाधि देने के लिए सिफ़ारिश की जाती है । सांसद प्रयास करते हैं । योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि व्यक्तिगत आधारों पर पद्मश्री बांटी जाती है ।

एक व्यक्ति को 50 वर्ष की आयु में ही पद्मश्री प्रदान की जाती है, जबकि जनसाधारण के अनुसार वह इस योग्य नहीं था और दूसरी ओर 90 वर्ष की आयु तक भी योग्य व्यक्ति को पद्मश्री प्रदान नहीं की जाती । ऐसा भारत वर्ष में ही संभव है, क्योंकि यहां पर प्रत्येक क्षेत्र में सुविधा शुल्क और भ्रष्टाचार घुसा हुआ है । जो जितना बड़ा घोटाला करता है वह उतना ही बड़ा पद प्राप्त कर लेता है और घोटालें के मुक़दमे भी दबे रहते हैं । सीधे-सच्चे ईमानदार और योग्य व्यक्ति आजकल सरकार की नज़र में नहीं आते और अगर आते भी हैं तो नज़रअंदाज़ कर दिये जाते हैं । जिनकी कविताएं जनता द्वारा प्रशंसित होती है, उन्हें सरकार नहीं पूछती और कहीं-कहीं तो व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण सांसदों की सिफ़ारिश भी नहीं चल पाती ।

'कान्ति' (मा०) का आगामी विशेषांक

'इस्लामी जीवन दर्शन'

लेख एवं अन्य सामग्रियां आमंत्रित हैं–
संपादक, 'कान्ति' (मा०), दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नई दिल्ली-25, editorkanti@yahoo.com

सरकारी क्षेत्र में ही ऐसा नहीं है कि साहित्यकार उपेक्षित है बल्कि साहित्य के क्षेत्र में भी साहित्यकार की उपेक्षा की जा रही है । केवल व्यक्तिगत आधारों पर ही कविता और लेख अख़बारों में प्रकाशित होते हैं अथवा उन व्यक्तियों के कविता या लेख प्रकाशित होती है जो पहले उच्च प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं और अब पद्मश्री पाने के लिए कविता या कहानी लिखने लगे हैं । वह अपने ऊंचे संबंधों के कारण पद्मश्री भी प्राप्त कर लेते हैं और अख़बारों में भी छपते रहते हैं अन्यथा वर्तमान में अख़बार वाले पहले सदस्यता ग्रहण करने के लिए कहते हैं और उसके बाद साहित्यकार की रचना को अख़बार में स्थान देते हैं । नियम यह है कि जिस साहित्यकार की रचना प्रकाशित की जाए उस साहित्यकार को उस अख़बार अथवा पत्रिका की प्रति नि:शुल्क भेजी जानी चाहिए, जिसमें उसकी रचना प्रकाशित हुई है । किंतु कवि अथवा लेखक को उस अख़बार की प्रति भी अपने पास से ख़रीदनी होती है, जिसमें वह छपता है ।

वर्तमान में केवल कुछ ही अख़बार ऐसे हैं जो पारिश्रमिक देते हैं । किंतु वह भी बहुत से प्रतिबंध साहित्यकार पर लगा देते हैं जैसे–उनके यहां प्रकाशित रचना अंयत्र प्रकाशित नहीं होनी चाहिए । रचना मौलिक होनी चाहिए । पारिश्रमिक भी केवल कुछ सौ रुपये होता है, जो जीवनयापन के लिए तो काफ़ी है ही नहीं अख़बार के दफ़्तर तक चक्कर काटने के लिए भी पूरा नहीं पड़ता । वस्तुत: अब वह सम्मान कवि अथवा लेखक का नहीं रहा, जो पहले था या जो होना चाहिए था ।

प्रश्न यह उठता है कि जब पारिश्रमिक नहीं मिलता, अख़बार भी ख़रीदना पड़ता है तो रचना को छपवाने का प्रयास साहित्यकार क्यों करता है । सीधी-सी बात है यदि साहित्यकार कविता अथवा लेख-लिखकर अपनी पत्रावली में रखता रहे और वह प्रकाशित न हो तो उसको मूल्यांकन कैसे होगा । प्रत्येक साहित्यकार चाहता है कि उसकी रचनाएं जनता के बीच में जाएं । जनता उन्हें पढ़े, सुने और समझें तक मूल्यांकन करें ।

मूल्यांकन जब ही हो सकता है जब रचना प्रकाशित हो । यही कारण है कि आज साहित्यकार अख़बारों के पीछे दौड़ता है और अपनी रचना प्रकाशित कराना चाहता है, भले ही उसे उस अख़बार का सदस्यता शुल्क देना पड़े अथवा रचना के प्रकाशित होने पर उसे ख़रीदकर पढ़ना पढ़े । साहित्यकार चाहता है कि भले ही उसे पद्मश्री प्राप्त न हो, किंतु उसकी रचना उन लोगों की नज़र में अवश्य नज़र आनी चाहिए जो पद्मश्री प्रदान करते हैं ।

साहित्यकार की उपेक्षा का प्रभाव समाज पर पड़ता है । प्रत्येक साहित्यकार जो लिखता है वहीं समाज में जाता है और वही सामाजिक मार्गदर्शक होता है । वर्तमान में साहित्यकारों की उपेक्षा के कारण अच्छा साहित्य बाज़ार में नहीं मिलता और मिलता भी है तो उसकी क़ीमत इतनी होती है कि साधारण मनुष्य उसे ख़रीदकर पढ़ने में असमर्थ रहता है । यह क़ीमत प्रकाशक तय करता है । लेखक को 1/10 भी उसका नहीं मिलता जो प्रकाशक उस लेखक की पुस्तक से प्राप्त कर लेता है । यदि आप ग़ौर से देखें तो कुछ नाम है जो कहानीकार अथवा लेखक के रूप में बिकते हैं । नामचीन व्यक्तियों के अलावा कोई कितना भी अच्छा लिखे वह प्रकाशित नहीं होता, क्योंकि प्रकाशक किसी प्रकार का ख़तरा मोल लेना नहीं चाहता ।

वह चाहता है उसके द्वारा प्रकाशित पुस्तकें बिके, इसलिए वह नामचीन व्यक्तियों की ही छापता है और कुछ लोग परदे के पीछे ही रह जाते हैं । यही कारण है कि आज सस्ते उपन्यास छप रहे हैं और बाज़ार में उनकी बाढ़ आ गयी है । यह उपन्यास सामाजिक दर्पण नहीं है, बल्कि अनर्गल तथ्यों पर आधारित कथानकों को पिरोये हुए लिखे जाते हैं । व्हीलर के स्टॉल पर भी यह सस्ते उपन्यास ही दिखायी देते हैं । अच्छे उपन्यास जो सुप्रसिद्ध लेखकों द्वारा लिखे गये हैं दिखायी नहीं देते, क्योंकि उनको प्रकाशक ही नहीं

M/s. ABBAS SOAP FACTORY

77/2, Topsia Road (South)
KOLKATA - 700 046

अगर कोई अपने ब्रांड के नाम से माल बनवाना चाहते हैं तो भी राबिता क़ायम करें।

PRODUCTS

- ✓ WASHING POWDER
- ✓ TOILET SOAP
- ✓ WASHING SOAP
- ✓ DETERGENT POWDER
- ✓ BATH SOAP

Contact For Business
For
Agency & Distributor Ship

M : 08100226137 (Mohd. Abbas)
M : 09831496237 (Mohd. Khalid)
M : 08981605834 (Mohd. Khalid)

मिलते ।

प्रत्येक साहित्यकार चाहता है कि उसकी रचनाएं अधिक से अधिक पढ़े और इसलिए वह अपनी कृतियों को कतिपय व्यक्तियों को भेजता है । जिसमें कुछ राजनीतिक व्यक्ति भी होते हैं, किंतु राजनीतिक व्यक्ति कभी भी पत्रों का उत्तर नहीं देते और रचना की सराहना भी नहीं करते । रचना की सराहना करने से साहित्यकार का मनोबल बढ़ता है उसमें उत्साह पैदा होता है, जिससे वह और कुछ लिखता है, किंतु पत्रोत्तर न मिलने से वह हतोत्साहित होता है, जो साहित्य और समाज के लिए हितकर नहीं है । राजनीति में वही व्यक्ति जाने चाहिए जो साहित्यकार का भी सम्मान कर सके ।

यदि हमें समाज को बचाना है, यदि हमें वर्तमान सामाजिक संदर्भों का सही मूल्यांकन करना है तो हमें साहित्यकार को सम्मान देना ही चाहिए । उसकी रचनाओं का उचित प्रकाशन और उचित मूल्यांकन होनी ही चाहिए । अख़बारों और पत्रिकाओं को प्रकाशित रचना के लेखक को अख़बार की नि:शुल्क प्रति प्रेषित करने के साथ-साथ कुछ न कुछ मानदेय भी प्रदान करना चाहिए, जिससे साहित्यकार जीवित रहे और साहित्य को जीवित रखें । साहित्यकार से ये अपेक्षा करना कि वह अख़बार अथवा पत्रिका का सदस्यता शुल्क देने के पश्चात ही अपनी रचनाओं का प्रकाशन करा सकता है ।

अख़बारों और पत्रिकाओं के स्वामियों को अपनी सोच में परिवर्तन लाना होगा । यह भी सत्य है कि वर्तमान में अख़बार या पत्रिका का प्रकाशन मूल्य बहुत बढ़ गया है, इसी कारण प्रत्येक अख़बार/पत्रिका के स्वामी चाहते हैं कि उनके अधिक से अधिक सदस्य बने और इसीलिए वह कवियों और लेखकों को भी सदस्य बनने के लिए कहते हैं, किंतु यह उचित नहीं है । यदि सदस्यता शर्त है तो पारिश्रमिक भी दिया जाना चाहिए । तभी साहित्य जीवित रह सकता है । सरकार की ओर से भी अच्छे साहित्य से संबंधित पुस्तकें प्रकाशन का कार्य किया जाना चाहिए । ऐसे बहुत-से साहित्यकार है जो अपने पास से धन ख़र्च करके अपनी पुस्तक नहीं छपवा सकते । ऐसे साहित्यकारों को सरकार की ओर से पांडुलिपि देखने के पश्चात आर्थिक सहयोग देना चाहिए ताकि वह अपनी पुस्तकें प्रकाशित करा सके और वह सरकार तथा जनता के समक्ष रखी जा सके ।

अच्छे दिन कैसे आएंगे

वह कहकर
चले गये
अच्छे दिन आएंगे ।
हम इन्तिज़ार में
बैठे हैं
कब अच्छे दिन आएंगे ।
गांव की सड़के
आज भी टूटी-फुटी है
न अस्पताल है
न स्कूल है
न बिजली है
जनता की क़िस्मत
फुटी है ।
हमें पता था वह
हमें उल्लू बनाएंगे
अच्छे दिन कैसे आएंगे ।
महंगाई
कम नहीं हुई ।
ग़रीबी
कम नहीं हुई ।
सामानों के भाव
आसमान छू रहे हैं
हम दाल-रोटी सब्ज़ी
कैसे खाएंगे ।
अच्दे दिन कैसे आएंगे ।
रिश्वतख़ोरी, बेईमानी,
हत्या, बलात्कार
लूट, पाट, घोटालों
और भ्रष्टाचार से
कैसे छुटकारा पाएंगे,
अच्छे दिन कैसे आएंगे ।

बद्री प्रसाद वर्मा 'अनजान'
गल्लामंडी, गोला बाज़ार-273408
गोरखपुर (उ॰प्र॰)

इस्लामी क़ानूनों में परिवर्तन क्यों ?

प्रस्तुत लेख 'उर्दू' की प्रतिष्ठित पत्रिका 'तजल्ली' के समालोचना विशेषांक (मार्च, अप्रैल 1973 ई॰) में प्रकाशित हुआ था । विद्वान लेखक ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के विषय में तत्कालीन आक्षेपों की तथ्यपरक और बुद्धिसंगत मीमांसा करते हुए जो टिप्पणियां की थीं और सटीक उत्तर दिये थे, उनके कतिपय अंशों को पाठकों की उपादेयता के मद्देनज़र प्रस्तुत किया जा रहा है । –संपादक

■ **मौलाना आमिर उस्मानी**

विद्वान जज सैयद अज़ीज़ुल शफ़ी ने पर्सनल लॉ पर जो लेख लिखा है, वह पम्फलेट की शक्ल में हमारे सामने है । अतः जज महोदय के विचारों पर कुछ कहने से पहले हमें एक बुज़ुर्ग के ताज़ा कथन पर विचार करना ज़रूरी मालूम होता है । ये बुज़ुर्ग भी न केवल विधि-विधान के मर्मज्ञ हैं, बल्कि उनका अनुभव भी अधिक है, क्योंकि ये देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होने के साथ कुछ समय से लॉ कमीशन के चेयरमैन हैं । इनका नाम है डॉ॰ पी॰बी॰ गजेन्द्र गडकर जो देश के सातवें मुख्य न्यायाधीश थे । इनका कार्यकाल 1971-1974 के बीच रहा ।

उन्होंने अभी 5 फ़रवरी 1973 ईसवी को अहमदाबाद में जजों, मजिस्ट्रेटों और गणमान्य नागरिकों के सामने लॉ कमीशन के चेयरमैन की हैसियत से जो भाषण दिया है, उसने न केवल यह कि शुभचिंतक के बखिये उधेड़ कर रख दिये हैं, बल्कि इस सच्चाई को भी उजागर करके रख दिया है कि संविधान और क़ानून में जिस तरह का परिवर्तन वे चाहते हैं, उन्हें अगर मुसलमान ख़ुशी से मानने को तैयार न हुए, तो ज़बरदस्ती का रास्ता अपनाया जाएगा । हमारे लिए यह कोई नयी बात नहीं है । हमें पहले दिन से मालूम है कि सत्तासीन जो कुछ चाहेंगे, वह हर हाल में करके ही रहेंगे । प्रारंभ में वे यह कोशिश करेंगे कि 'लोकतंत्र' और 'सेकुलरिज़्म' शब्द की आड़ लेकर काम निकालें, लेकिन अगर इस तरह उद्देश्यों की पूर्ति न हो, तो मानव-मूल्य, शील-संकोच और लिहाज़ को ताक पर रख दिया जाए ।

दूसरी ओर यह भी सच है कि 'लोकतंत्र' और 'सेकुलरिज़्म' की नाक के नीचे ज़ुल्म व अत्याचार का नंगा नाच नहीं नाचा जा सकता और क़ानून व संविधान में लिखित अधिकारों को डंडे के ज़ोर से नहीं छीना जा सकता ।

डॉ॰ पी॰बी॰ गजेन्द्र गडकर अपनी एक टिप्पणी में कहते हैं–"मुसलमानों की अत्याचारप्रियता के कारण उनका एक विचार केन्द्र जो दूसरों की तुलना में ज़्यादा कट्टर है, संसद तक को मुस्लिम पर्सनल लॉ में संशोधन व परिवर्तन का अधिकार देने को तैयार नहीं है ।"

मानो "अत्याचार प्रिय" तो एक तरफ़ से सारे मुसलमान ही ठहरे, अलबत्ता वह वर्ग कुछ ज़्यादा ही निंदा का सज़ावार हुआ, जो अब तक क़ुरआन व हदीस को सीने से लगाए फिरता है और संसद को ख़ुदा और रसूल (सल्ल॰) पर वरीयता देने को तैयार नहीं है । ज़रा-सा विश्लेषण कीजिए तो इस नतीजे तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी कि डॉ॰ साहब ने प्रत्यक्ष रूप से अपने इस विचार को प्रकट किया है कि क़ुरआन व हदीस को सीने से न लगाया जाए । ज़ाहिर है कि मुसलमान तो वही कहलाता है, जो क़ुरआन व हदीस को अंतिम शब्द समझता और एकेश्वरवाद और ईशदूतत्व पर ईमान रखता हो ।

अगर यह गुण अत्याचार प्रियता का समानार्थक है, तो क़ुरआन व हदीस के 'अत्याचार केन्द्र' होने में कसर क्या

भ्रामकता का निवारण आवश्यक

हम यह तो नहीं कह सकते कि सेकुलरिज़्म और लोकतंत्र के हितों व उद्देश्यों को महोदय ने ठीक तरह से नहीं समझा । ठीक और बेठीक का प्रश्न तो उस वक़्त पैदा हो, जब इन तिलिस्माती शब्दों का कोई निर्धारित और सभी लोगों की सहमति का उद्देश्य भी हो । हाल यह है कि रूस, चीन और अमेरिका सभी लोकतंत्र और सेकुलरिज़्म का ढोल पीट रहे हैं । असीमित स्वतंत्रता से लेकर बदतरीन क़ैद व अत्याचार तक हर तरह के राजनीतिक प्रबंध पर यही शब्द शीर्षक के रूप में सजाए जा रहे हैं ।

रही ? बहरहाल डॉ॰ साहब व्यक्तिगत रूप से जो भी विचार रखें, उसमें वे स्वतंत्र हैं । इस्लाम को वे अंधकार का मानते हैं, इसका भी उन्हें हक़ है । आज अपने दौरे बेबसी में ही नहीं, हमने अपने सत्ताकाल में भी कभी ग़ैर-मुस्लिमों को इस पर विवश नहीं किया है कि उनका दिल माने या न माने, मगर वे इस्लाम के आगे अपना सिर झुका दें ।

इस्लाम का चौदह सौ वर्षीय इतिहास साक्षी है हमने कभी यह नहीं कहा कि जो लोग मूर्तियों को या चांद-सूरज को या किसी और चीज़ को पूजना बेहतर समझते हों, उन्हें इस विचार से बाज़ आना पड़ेगा और ज़बरदस्ती उनसे इस्लाम की सच्चाई मनवायी जाएगी । हमारी तो नीति ही नहीं ईमान यह रहा है कि "दीन के मामले में कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं ।" (क़ुरआन, 2:256)

अत: आज अगर डॉ॰ गडकर या कोई और व्यक्ति इस्लाम को अत्याचार का पर्याय ठहराता है, तो शिकवे या विरोध प्रदर्शन का संवाल ही पैदा नहीं होता, शिक्षाप्रद पहलू यह है कि डॉ॰ साहब व्यक्तिगत हैसियत में नहीं, बल्कि सरकारी हैसियत में अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं और सरकार जिस संविधान का प्रतिनिधित्व कर रही है, उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि सारे धर्म सरकार की नज़र में बराबर होंगे । वह खुद किसी धर्म के मामले में पक्षपाती न होगी और सारे ही धर्मों को समान सुरक्षा मिलेगी ।

क्या यही है वह निरपेक्षता और सुरक्षा, जिसका प्रदर्शन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायीधीश और वर्तमान चेयरमैन ऑफ़ लॉ कमीशन कर रहे हैं ?

यह भी दूसरों को भ्रम में डालना ही है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के मामले में मुसलमानों के यहां एक से अधिक विचार केन्द्रों की मौजूदगी का दुष्प्रचार किया जाए । नि:संदेह छोटी-छोटी बातों में इस्लामी विद्वानों के मध्य इसी तरह कुछ मतभेद पाये जाते हैं, जिस तरह संविधान व क़ानून की व्याख्या में वकीलों और जजों के मध्य मौजूद हैं । दुनिया का कोई ज्ञान व कला ऐसे गौण मतभेदों से ख़ाली नहीं है, लेकिन जहां तक मुस्लिम पर्सनल लॉ के सरकार के हस्तक्षेप से ऊपर होने का संबंध है, इसमें कोई मतभेद मुसलमानों के यहां नहीं पाया जाता और ग़लत कहता है, जो व्यक्ति कहता है कि इस बिन्दु की हद तक एक से अधिक विचार केन्द्रों का कोई अस्तित्व है ।

आख़िर दुनिया में किसी भी ज्ञान व कला में ऐसी रहस्यमय और बेबुनियाद रायों को स्थायी विचार केन्दों की हैसियत दी गयी है, जिन्हें कुछ अनाड़ियों ने अशैक्षिक स्तर पर प्रकट किया हो और कला-कौशल व ज्ञान के मर्मज्ञ मुसलमानों से उनका कोई संपर्क न हो । गणित में किसी शायर को, विज्ञान में किसी आर्टिस्ट को, कृषि में किसी बैरिस्टर को और क़ानून में किसी सौदागर को अगर यह हैसियत नहीं दी जाती कि उसके बेवज़न और बेजोड़ विचार एक विचार केन्द्र बनाने के लिए काफ़ी समझे जाएं, तो कुछ इस्लाम से अनभिज्ञ पश्चिमी विचारधारा के लोगों के विचार और रायों को मुख्य न्यायाधीश ने इतना क़ाबिले लिहाज़

कैसे मान लिया कि वे जैसे किसी स्थायी विचार केन्द्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ।

चौदह सौ साल का इतिहास मौजूद है कि सारे मुसलमानों ने बिना अपवाद मुस्लिम पर्सनल लॉ को एक ऐसी श्रेष्ठ और पवित्र चीज़ माना है, जिसमें सुधार और परिवर्तन का किसी को अधिकार नहीं, न सरकार को, न उलमा को और न सूफ़िया किराम को और अभी मुंबई के कन्वेशन ने आज के मानदंड पर भी इसकी पुष्टि कर दी है कि मुस्लिम समुदाय अन्य समस्याओं में चाहे कितने ही विचार रखता हो, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ की प्रतिष्ठा और बरतरी में वह एक ही विचार की समर्थक है । फिर भी अगर कोई यह कहे चला जाता है कि मुसलमानों जैसे नाम रखने वाले कुछ इस्लाम से अनभिज्ञ लोगों की राय को भी इस्लाम में एक विचार केन्द्र का दर्जा प्राप्त है, जो वह धांधली और ग़ैर-ज़िम्मेदारी का सबूत देता है । ये इस्लाम से अनभिज्ञ लोग सांसारिक कला-कौशल व ज्ञान में कैसा ही स्थान रखते हों, लेकिन इस्लामी शरीअत के दायरे में उनका स्थान आम लोगों जैसा है । न्यायाधीश का यह कथन ध्यातव्य है–

''इस सूरतेहाल का कठोरता के साथ मुक़ाबला किया जाना चाहिए और सेकुलरिज़्म के हितों के पेशेनज़र मुस्लिम समाज के हिंसक तत्वों की अनदेखी करके पूरे देश में समान सिविल कोड लागू कर देना चाहिए ।''

मानो महोदय का विचार यह है कि कम से कम मुसलमानों ही हद तक लोकतंत्र और न्याय व क़ानून की बिसात लपेट कर रख दी जाए और सरकार तानाशाही रवैया अपनाए । एक क़दम आगे बढ़कर महोदय ने यह मशविरा भी दिया कि संविधान की धारा 26 में संशोधन करके धर्म-प्रचार का अधिकार ख़त्म किया जाए, क्योंकि यह धारा सेकुलरिज़्म और लोकतंत्र के अपेक्षाओं से मेल नहीं खाती और धर्म-परिवर्तन पर भी पाबंदी लागू होनी चाहिए ।

हम यह तो नहीं कह सकते कि सेकुलरिज़्म और लोकतंत्र के हितों व उद्देश्यों को महोदय ने ठीक तरह से नहीं समझा । ठीक और बेठीक का प्रश्न तो उस वक़्त पैदा हो, जब इन तिलिस्माती शब्दों का कोई निर्धारित और सभी लोगों की सहमति का उद्देश्य भी हो । हाल यह है कि रूस, चीन और अमेरिका सभी लोकतंत्र और सेकुलरिज़्म का ढोल पीट रहे हैं । असीमित स्वतंत्रता से लेकर बदतरीन क़ैद व अत्याचार तक हर तरह के राजनीतिक प्रबंध पर यही शब्द शीर्षक के रूप में सजाए जा रहे हैं । अत: इनका निहितार्थ कोई कुछ भी ठहरा दे, तर्कों से उसे ग़लत साबित नहीं किया जा सकता । संभव है कि कल यह कहा जाए कि हर व्यक्ति का एक-सा लिबास पहनना और एक-सा खाना खाना लोकतंत्र और सेकुलरिज़्म का ऐन तक़ाज़ा है, तो किस शब्दकोष के हवाले से कहने वाले का मुंह बंद किया जा सकेगा ।

मुख्य न्यायाधीश महोदय ने इस हद तक घोषणा की–''अगर समान सिविल कोड की समस्या क़ानून कमीशन के सामने न भी उठाया जाए, तो भी वह इस पर ग़ौर करने का अधिकृत है, क्योंकि यह बात उसके परिधि क्षेत्र में अनिवार्य रूप से दाख़िल है ।''

जुल्म व अत्याचार का मुक़ाबला किस तरह होगा । यह उलमा किराम जानें कि मामला राजनीति का नहीं धर्म का है और धर्म के रास्ते के अग्रणी वही हैं । हम अपनी क्षमता की हद तक यही कर सकते हैं कि क़लम को सत्य को सत्य और झूठ को झूठ के लिए वक़्फ़ रखें । यह काम जब तक हमारे हाथ आज़ाद हैं और काग़ज़-क़लम उपलब्ध है ज़रूर करते रहेंगे । आदमी अपनी ताक़त से ज़्यादा का ज़िम्मेदार नहीं और उस पर परिणामों की भी ज़िम्मेदारी अल्लाह ने नहीं डाली ।

हमारी क्षीण आवाज़ और तुच्छ क़लम चाहे मरुस्थल की आवाज़ से ज़्यादा कुछ न साबित हों, लेकिन अल्लाह के हुज़ूर हरहाल में हम अर्ज़ कर सकेंगे कि तेरे दिये हुए क़लम को तेरे दीन की व्याख्या व समर्थन में सर्फ़ कर आये । भाग्य का लिखा हुआ बदलना और हालात को अपने सांचे में ढालना हमारे बस में नहीं था । अब तू मालिक है जैसा चाहे फ़ैसला कर । लीजिए अब मूल विषय की ओर आते हैं–

जज महोदय !

(मेरा आशय सैयद अज़ीज़ुल शफ़ी स्पेशल मजिस्ट्रेट से है)

मैं आमिर उस्मानी आपका शुक्र गुज़ार हूं कि आपने लेख पर समीक्षा की फ़रमाइश करके आपने मेरा मान-सम्मान बढ़ाया । इससे आपके आत्मविश्वास और मान-सम्मान व आवभगत का पता चलता है । मैं इस इनायत से साहस पाकर एक गुज़ारिश आपसे करता हूं कि सचमुच अगर आप सत्यप्रिय और न्यायप्रिय हैं, तो कुछ देर के लिए भुला दीजिए कि जिस सैयद अज़ीजुल शफ़ी ने लेख लिखा है, वे ख़ुद आप हैं और ख़ुद को एक ऐसा जज मान लीजिए, जिसके सामने सैयद अज़ीजुल शफ़ी के लेख का मुक़दमा दरपेश है । यह व्यक्ति आपका कोई नहीं लगता, एक अजनबी है, जिसके मुक़ाबले पर आमिर उस्मानी नाम का एक आदमी कुछ आरोप लगा करके व्यक्तिगत अपराध क़ायम करने का इच्छुक है ।

मान्यवर, आपसे छिपा न होगा कि जो भी व्यक्ति कोई काम करता है अपनी सोच-समझ के अनुसार ठीक ही करता है और जानते-बूझते इसमें कमियों को ग़ुस्ता नहीं देता । कमियां अगर रह जाती हैं, तो उसकी समझ-बूझ और ज्ञान की कमी या कच्ची सोच की वजह से पायी जाती हैं । अत: जब कोई दूसरा आदमी इन कमियों की निशानदेही करता हैं, तो वह चौंकता है और उसकी मनोप्रतिक्रिया यह होती है कि कमियों से इन्कार कर दे या ग़लत-सलत बहानों का सहारा ले ।

फिर अगर उस व्यक्ति के किसी काम पर कुछ लोगों ने दाद भी दी हो, तो उसका ख़याल कुछ ज़्यादा ही मज़बूत हो जाता है कि मेरा काम श्रेष्ठ और दोषरहित है ।

ऐसी स्थिति में जब कोई आलोचक त्रुटियों पर उंगली रखे, तो प्रतिक्रिया और ज़्यादा सख़्त होती है और आलोचक की बातें उसकी समझ में नहीं आतीं । मान्यवर, आपने लेख लिखा, ज़ाहिर है अपनी सोच-समझ की हद तक इसे बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की होगी । फिर यह विभिन्न समाचार पत्रों और पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ और इस पर संपादकों ने श्रद्धांजलि व समर्थन पर आधारित नोट लिखे (जिन्हें आपने पुस्तिका के प्रारंभ में प्रकाशित कर दिया है) अत: स्वाभाविक बात है कि इसके किसी दोष या कमी का आपको एहसास न होगा । आप बिल्कुल संतुष्ट होंगे कि जो भी मैंने सुपुर्द क़लम किया है वह इल्मी व फ़िक्री एतिबार से वज़नदार है । ऐसी सूरत में अगर एक आमिर उस्मानी जैसा सामान्य आदमी अचानक यह कहने लगे कि इस लेख में फ़लां-फ़लां त्रुटियां हैं, तो बहुत मुश्किल है कि आप ठंडे दिल व दिमाग़ से इस पर ध्यान दे सकें और आमिर उस्मानी के तर्कों को ग़ैर-जानिबदारी से सोच-विचार व दूरदर्शिता की कसौटी पर रख सकें ।

इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप कुछ देर के लिए लेखक के व्यक्तित्व को एक अजनबी व्यक्तित्व मानकर ख़ुद को वह ईमानदार मुंसिफ़ ख़याल फ़रमा लें, जिसे बहुत ही ग़ौर से मुद्दई की दलीलें सुननी हैं और बेलाग फ़ैसला देना है ।

ऐसा अगर हुआ तो मेरी दरख़्वास्तें आपकी समझ में आ सकती हैं और यह संभव हो सकता है कि उम्र के उस दौर में जबकि आप ख़ुद अपने पूरे जीवन के कारनामे के एक-एक हिस्से का हिसाब देने अल्लाह की अदालत में जाने वाले हैं, अपने कुछ ग़लत विचारों के सुधार पर ध्यान दें ।

मैं सच कहता हूं कि इस लेख में कुछ वाक्य आपके क़लम से ऐस निकल गये हैं कि अगर अल्लाह तआला ने उन पर पकड़ कर ली, तो नहीं कहा जा सकता कि क्या कुछ हो जाए । आप चौंकें नहीं, मेरी आदत बेदलील आरोप लगाने की नहीं । मैं अभी सब कुछ खोलकर अर्ज़ किये देता हूं ।

बस शर्त वही है कि मेरे आरोप व आपत्ति का लक्ष्य आप ख़ुद को न समझें, बल्कि उस अजनबी व्यक्ति को समझें, जिसे बतौर अपराधी आपकी अदालत में हाज़िर किया गया है । उस अजनबी का नाम भी मैं ''अलिफ़'' रखता हूं, ताकि जब बार-बार यह नाम आपके सामने आये तो आपके आत्मभाव को सदमा न पहुंचे और मानसिक उत्तेजना आपको बेलौस न्याय से दूर न कर दे ।

मुझे इस स्वीकृति में कोई हर्ज नहीं है कि अलिफ़ के लेख में असंख्य सुझाव और मशविरे ऐसे हैं, जो लोगों के लिए लाभदायक और सम्माननीय हैं । अलिफ़ के विचारों और वाक्-शैली की ऊपरी सतह पर दर्दमंदी, निश्छलता और शुभेच्छा की भावना का एक स्तर नि:संदेह नज़र आती है और सामूहिक रूप से यह एक ऐसा लेख है कि थोड़ा-सा भी ज्ञान रखने वाले पाठक यक़ीनन इसकी प्रशंसा कर सकते

हैं । शायद यही कारण है कि कुछ अख़बारों के संपादकों ने इसके समर्थन में परेशानी महसूस की, लेकिन मैं ख़ुद को इस पोज़ीशन में नहीं पाता कि इसके किसी भी हिस्से को चाहे वह अपने आप में कितना ही सम्माननीय क्यों न हों, मुबारकबाद पेश कर सकूं ।

आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों ? मैं जवाब दूंगा श्रीमान जी कि इसका जवाब आप ख़ुद ही सुझा दें । मैं अदब के साथ एक सवाल आपसे करता हूं । मान लीजिए ज़ैद एक ख़ुशनुमा बोतल में बहुत ही ख़ुश रंग और ख़ुशबूदार घोल आपके पास लाता है और कहता है कि इसमें फ़लां-फ़लां स्वास्थ्यवर्धक और बहुमूल्य तत्व मिलाए गये हैं । बोतल के लेबल पर सुनहरे अक्षरों में 'असोध औषधि' भी लिखा हुआ है । आप इसे लेकर अपने पारिवारिक डॉक्टर के हवाले करते हैं कि इसका चिकित्सीय जांच कर लो । डॉक्टर विश्लेषण और जांच-पड़ताल के बाद बताता है कि बेशक इसमें बहुत से क़ीमती और पौष्टिक तत्व विद्यमान हैं, लेकिन काफ़ी मात्रा में विष भी मिला हुआ है ।

अब महोदय बताएं कि इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी ? क्या आप यह ज़रूरी समझेंगे कि इस उम्दा ख़ुशबू और अच्छे रंग की तारीफ़ की जाए और इसके बाद यह कहा जाए कि ख़राबी बस इतनी है कि इसमें विष मिला दिया गया है या आप यह आदेश पारित करेंगे कि इस बोतल को फ़ौरन नाली में तोड़ दिया जाए । मैं संभवत: ग़लती नहीं करूंगा अगर यह अर्ज़ करूं कि आप निस्संदेह दूसरा रवैया अपनाएंगे और पहले रवैये की कल्पना भी आपके दिमाग़ में नहीं आ सकती, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि विष की मिलावट ने सारे लाभदायक तत्वों की उपयोगिता ख़त्म कर दी है और घोल की एक-एक बूंद घातक बन चुकी है ।

बस मीलार्ड ! ऐसा ही कुछ मामला इस लेख का है कि इसका लेखक अलिफ़ सोच-समझकर व विवेक की हद तक निस्संदेह मुसलमान ही है, लेकिन उसकी मानसिक क्षमता की जड़ों और नसों की तहों में इन्कार का घुन लग चुका है और उसके अवचेतन में यह ख़याल बैठ चुका है कि मैं ख़ुदा से ज़्यादा बुद्धिमान और दूरंदेश और मख़्लूक़ का शुभचिंतक हूं । आप जानते हैं कि मुसलमान उसे कहते हैं कि जो ख़ुदा और उसके रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) को हुर्फ़े आख़िर मानता हो । जिसका ईमान यह हो कि ख़ुदा का दीन सत्य है । सर्वथा कल्याणकारी हैं । बुराइयों से पाक है । जिसके निकट ख़ुदा के द्वारा हराम ठहरायी गयी चीज़ किसी के हलाल करने से हलाल न हो सके और हलाल की गयी चीज़ किसी के हराम करने से हराम न बने ।

इस आस्था की स्पष्ट शिक्षा ख़ुद अल्लाह ने क़ुरआन में दी है और यह भी अल्लाह ही ने बताया है कि पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) तक को हमारे आदेश व क़ानून में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं । हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) अगर ऐसी कोई बात कहते हैं जिसे हमने क़ुरआन में बयान नहीं किया, तो अपने जी से गढ़कर नहीं कहते, बल्कि हमारी 'वह्य' (प्रकाशना) के तहत कहते हैं । 'वह्य' की अनदेखी करके वे न किसी चीज़ को हराम कर सकते हैं और न किसी हराम को हलाल ठहरा सकते हैं ।

मतलूब यह बात सर्वमान्य है कि सच्चा मुसलमान वही हो सकता है, जो विवेक-अविवेक और दिल की आख़िरी गहराइयों तक अल्लाह के आदेशों को सच्चा और अटल होने का विश्वास रखता हो और किसी भी शरीअत के क़ानून में दोष निकालने या उसे चैलेंज करने की कल्पना तक न कर सकता हो । ऐसी धारणा ही कुफ़्र के सदृश है, चाहे वह दिमाग़ से निकलकर ज़ुबान व क़लम पर भी आ जाए ।

मीलार्ड ! मैं बहुत दुख के साथ अर्ज़ करूंगा कि अलिफ़ का लेख सारा का सारा ऐसे ही उपद्रवी मानसिकता का आईनादार है, जो ख़ुदा और रसूल (सल्ल॰) को हर्फ़े आख़िर नहीं मानता, जिसके नज़दीक किसी भी सामयिक और बाह्य हितों के पेशेनज़र ऐसे क़ानून बनाने में कोई हर्ज नहीं, जिनसे इस्लामी शरीअत के कुछ अटल और चिरस्थायी आदेश रद्द और निरस्त हो जाते हों । वह यह सोचता है कि ख़ुदा के द्वारा हराम की गयी किसी चीज़ को अगर क़ानून के माध्यम से हलाल ठहरा दिया जाए, तो वह वास्तव में हलाल हो जाती है और क़ुरआन के किसी अंतिम फ़ैसले में परिवर्तन कर दिया जाए, तो यह परिवर्तन ही सत्य बन जाता है ।

मीलार्ड ! आप ही न्याय कीजिए कि जिस लेख के

फ़िक्री ताने-बाने ये हो औ जिनका संपादन ऐसी मानसिकता से किया गया हो, क्या इसकी एक-एक लाइन बल्कि एक-एक शब्द की गुणवत्ता ठीक उन तत्वों जैसी नहीं हो जाती, जिनका ज़िक्र अभी मैं विष मिश्रित घोल के दृष्टांत में कर चुका हूं। खुदा आपके पद में तरक़्क़ी दे। यह मत समझिए कि मैं आरोप या संदेह से काम ले रहा हूं। बेदलील दावा करना और आरोप लगाना मेरा कभी तरीक़ा नहीं रहा है। मैं अभी आपके सामने दस्तावेज़ी सबूत व साक्ष्य रखता हूं, जो सूरज की तरह साफ़ और पहाड़ की तरह अटल है। गुज़ारिश बस यह है कि आप अंतरात्मा की पूरी जागरूकता के साथ मेरी प्रार्थना सुनें और भुला दें कि अलिफ़ से आपको कोई संबंध है।

उलमा पर एक आरोप

देखिए ! अलिफ़ अपने लेख के प्रस्तावना में लिखता है–"वास्तव में उलमा किराम को यह ग़लतफ़हमी हो गयी है कि विकासशील वर्ग अल्लाह के क़ानून में परिवर्तन के दरपे है। हालांकि यह बात नहीं है, मेरी मंशा केवल इतनी है कि जो बिदअत और त्रुटियां अदालतों में प्रचलित क़ानूने शरीअत के आधार पर दाख़िल हो चुकी हैं, उनका किसी न किसी तरह सुधार किया जाए।" (पृष्ठ-6)

महोदय! अलिफ़ ने एक बहुत बड़ी बात बहुत ही निम्न स्तर से कही, जिसमें एहसासे ज़िम्मेदारी का साया तक नहीं पाया जाता। आप जानते हैं कि "उलमा किराम" की पारिभाषिक शब्दावली हमारे यहां उस वर्ग के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसने अपनी आयु का एक बड़ा हिस्सा गुज़ार करके इस्लामी ज्ञान का उपार्जन किया है और क़ुरआन और हदीस को उनकी अस्ल ज़ुबान में समझा है। उस वर्ग की किसी सामूहिक राय को सही या ग़लत ठहार देना केवल ऐसे ही लोगों का हक़ हो सकता है, जो इस्लामी ज्ञान से पूरी तरह भिज्ञ हों और पूरे नियम-सिद्धांत और क़ानून व आदेश उनकी नज़र में हो, लेकिन अलिफ़ न केवल यह कि अपने आलिमे दीन न होने की बात स्वीकार करने वाला) है। (पृष्ठ-7)

बल्कि उसके लेख की बहुतेरी सामग्रियां साफ़-साफ़ बता रही हैं कि वह इस्लामी ज्ञानों से बिल्कुल अनजान है और दीन व शरीअत में उसकी जानकारी न होने की श्रेणी में है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि इस्लामी शरीअत का जो नाममात्र का थोड़ा-सा ज्ञान उसने प्राप्त किया है वह अज्ञानता से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि वह ऐसी किताबों से प्राप्त किया गया है जिनमें इस्लाम दुश्मनी और शरीअत बेज़ारी की नापाक सामग्री भरी हुई है। अतः न्याय किया जाए कि इस्लामी शरीअत के ज्ञान से ख़ाली होते हुए वह यह फ़ैसला देने का अधिकारी क्यों हो गया कि उलमा किराम का फ़लां ख़याल ग़लतफ़हमी पर आधारित है।

माननीय जज महोदय ! क्या आप यह गवारा कर सकते हैं कि बड़े-बड़े विधि-विशेषज्ञों और बैरिस्टरों और जजों ने किसी क़ानूनी मसले में संयोगवश जो राय क़ायम की हो, उसे एक व्यक्ति बिना संकोच ग़लतफ़हमी का नाम दे दे, यद्यपि वह क़ानून के ज्ञान से कोरा हो और उसे वह भाषा तक न आती हो, जिसमें क़ानून का दफ़्तर संग्रहित किया गया है।

मैं दावा करूंगा कि मुसलमानों के जिस वर्ग ने अपने को प्रगतिशील कहा है और उलमा-ए-इस्लाम जिसके सोचने के ढंग से बेज़ार हैं, वही अल्लाह के क़ानून में संशोधन और इस्लामी शरीअत में परिवर्तन का न केवल इच्छुक है, बल्कि इसके लिए प्रयत्नशील भी है। वह सुधार और स्वतंत्र विचारों के नाम पर इस्लाम की बेहद क़ीमती क़द्रों को मलियामेट करके उनकी जगह उन क़द्रों को लाना चाहता है, जो सरासर मिथ्या हैं। जिन्हें इस्लाम दुश्मन भाष्यकारों ने गढ़ा है और जिनका रोब इस तथाकथित प्रगतिशील वर्ग के दिलो-दिमाग़ पर इस बुरी तरह छाया हुआ है कि खुदा और उसके रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) की निंदा में भी उसे कोई संकोच नहीं होता।

मेरे इस दावे के साक्ष्य इतने ज़्यादा हैं कि उस वर्ग का कोई भी लेख इनसे ख़ाली नहीं मिलता और माननीय जज महोदय अगर किसी मरहले में यह आदेश दें कि मैं कुछ गवाह उनके सामने लाऊं तो निस्संदेह मैं उस आदेश का पालन करूंगा, लेकिन सरेदस्त मैं अदालत का क़ीमती वक़्त बचाने के लिए मैं केवल उन साक्ष्यों पर संतोष करूंगा, जो खुद अलिफ़ के लेख में मौजूद हैं। अलिफ़ खुद को प्रगतिशील लोगों में शामिल करता है, जैसा कि उसके उपर्युक्त कहे गये वाक्यों से स्पष्ट है। वह यक़ीनन ग़लत

नहीं करता, क्योंकि वह यद्यपि ज़्यादा लोकप्रिय प्रगतिशील नहीं है, लेकिन उसने इस्लाम का जो भी थोड़ा-सा ज्ञान प्राप्त किया है, वह प्रगतिशीलों से ही किया है और उसके दिल-दिमाग़ में भी इस्लामी शरीअत से बदगुमानी और ख़ुदा और उसके रसूल (सल्ल॰) की अज़मत से लापरवाही के वही फूल-पत्ते मौजूद हैं, जो बड़े प्रगतिशीलों के यहां खड़े पेड़ के रूप में देखे जा सकते हैं ।

मीलार्ड ! जिस तरह उलमा की किसी राय को सही या ग़लत ठहरा देने के लिए इस्लामी धर्मशास्त्र में पहुंच और अधिवक्ताओं के नियम-सिद्धांत में महारत की ज़रूरत है, उसी तरह यह जानने के लिए भी कि कौन-सी चीज़ बिदअत है, हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) के जीवन का संतोषप्रद ज्ञान ज़रूरी है । स्याही का बोध तो वही कर सकेगा, जिसने सफ़ेदी को भी जाना हो । फ़लां चीज़ बिदअत या दोष है इसका ज़िम्मेदाराना फ़ैसला वही व्यक्ति कर सकता है, जिसे ठीक तौर पर यह भी ख़बर हो कि इस्लामी शरीअत में 'सुन्नत' किसे कहते हैं । ख़बर न होने की सूरत में अधिक संभावना है कि वह किसी चीज़ को बिदअत समझे और वह वास्तव में सुन्नत हो या किसी चीज़ को त्रुटियों के ख़ाने में रखे और उसकी गणना अस्ल में ख़ुबियों में की गयी हो ।

लेखक की बेख़बरी

यह केवल एक तार्किक संभावना नहीं है मीलार्ड ! बल्कि मैं लेख से इसकी एक मिसाल पेश करके आगे बढ़ूंगा । अलिफ़ पृष्ठ-24 पर तलाक़ की बहस में लिखता है–"प्रचलित क़ानून के अनुसार अगर कोई व्यक्ति धमकी में आकर या मज़ाक़ में भी तलाक़ का तीन बार ऐलान कर दे, तो वह रद्द नहीं की जा सकती है ।" और अलिफ़ इसे एक ज़्यादती ठहराकर सख़्ती से यह इच्छा प्रकट करता है कि इस क़ानून को बदल दिया जाए ।

मीलार्ड ! इसका मतलब प्रत्यक्ष रूप से तो यही हुआ कि मज़ाकन दी जाने वाली तलाक़ का निष्पन्न हो जाना उसके निकट वास्तव में क़ानूने शरई नहीं, बल्कि बिदअत के रूप में इसे मुस्लिम पर्सनल लॉ में शामिल कर लिया गया है । अब मैं अर्ज़ करूंगा कि अलिफ़ का यह ख़याल बेख़बरी पर आधारित है । यह नियम तो ख़ुद पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) का इरशाद फ़रमाया हुआ है–

"तीन चीज़ें ऐसी हैं कि संजीदगी और मज़ाक़ दोनों हालतों में वह निष्पन्न हो जाती हैं–निकाह और तलाक़ और रज्अत ।" (अबू दाऊद)

न्याय कीजिए । क्या यह वही घटना नहीं, जिसकी संभावना पर नाचीज़ ने ध्यान दिलाया । अल्प ज्ञान के आधार पर अलिफ़ ने ऐन उस क़ानून को बिदअत और दोषपूर्ण ठहरा दिया, जो अल्लाह के क़ानून का पूरा हिस्सा था । महोदय को मालूम ही होगा कि "अल्लाह का क़ानून" सिर्फ़ क़ुरआन तक सीमित नहीं, बल्कि क़ुरआन की ही हिदायत और व्याख्या के अनुसार नबी करीम (सल्ल॰) की पवित्र जीवनी, साफ़-साफ़ बातें और शिक्षाएं भी अल्लाह के क़ानून का हिस्सा हैं और इस्लामी शरीअत जिस चीज़ का नाम है वह अल्लाह और रसूल (सल्ल॰) दोनों की शिक्षाओं से बनी है । फिर कैसे कोई व्यक्ति बिदअत व त्रुटियों की सही जांच-पड़ताल कर सकता है, जबकि वह इस्लामी शरीअत के ज्ञान से अनजान हो ।

यह बिन्दु भी नोट किया जाए कि यहां क़ानूने शरई को रद्द करने की इच्छा को छोटा-सा प्रेरक भी मौजूद नहीं था । क्या मज़ाक़ में तलाक़ देना कोई ऐसा कर्म है, जिसे ज़रूरत या मजबूरी के वर्ग में रखा जाए ? साफ़ ज़ाहिर है कि बिल्कुल नहीं । जो व्यक्ति मज़ाक़ में तलाक़ देता है, वह किसी ज़रूरत की पूर्ति नहीं करता, बल्कि दीन व इस्लामी शरीअत से ठिठोली करता है । ऐसा व्यक्ति किसी इनाम का पात्र होना चाहिए या सज़ा का इसका निर्णय आप ही करें । कितना अजीबोग़रीब है वह ज़ेहन जो इस्लामी शरीअत की एक संजीदा पारिभाषिक शब्दावली से खेल करने वालों को रियायत से नवाज़ने का इच्छुक है और क़ानूने शरीअत का कान पकड़कर कहता है कि जाओ तुम्हें निरस्त किया, ताकि उन हंसी मज़ाक़ों के मनोरंजन में बाधा न आये । अंदाज़ा कीजिए मीलार्ड ! ऐसी मानसिकता रखने वाला आदमी कैसी तुच्छ ज़रूरतों के लिए भी शरीअत के अहम से अहम क़ानून में संशोधन व परिवर्तन का अभिलाषी नहीं होगा ।

ज्ञान से अफ़सोसनाक दूरी

मीलार्ड ! अलिफ़ अपने लेख में बार-बार यह लिखता है कि वह सामाजिक सुधार के लिए बेचैन है । वह कहता

है मैं दीन व इस्लामी शरीअत का विद्रोही नहीं, बल्कि आज्ञापालक हूं और उसी की रोशनी में कुछ परेशानियां और उलझनों का निवारण चाहता हूं । उसने कहा है कि–

"मैं समाज की बेहतरी का सच्चे दिल से अभिलाषी हूं ।" (पृष्ठ-8)

और यह भी कहता है–"मैं इस बात से सहमत हूं कि जहां तक अल्लाह के क़ानून का संबंध है, उसमें कोई व्यक्ति भी इसके विरुद्ध फेरबदल का साहस नहीं कर सकता ।" (पृष्ठ-16)

तात्पर्य यह कि वह विश्वास दिलाता है कि मैं निश्छल और दर्दमंद हूं । लेकिन ऐ माननीय जज महोदय ! इससे मालूम तो कीजिए कि ऐ अल्लाह के बन्दे ! तुझे क़िस्मत ने यह सुनहरा अवसर प्रदान किया था कि तेरे सामने मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुक़दमे आएं और तू इस्लामी शरीअत की रोशनी में उनका फ़ैसला करे । तेरे अन्दर अगर इस्लाम के बारे में कोई निश्छलता थी, तो स्वाभाविक रूप से पहले ही दिन से तेरी यह कोशिश होनी चाहिए थी कि इस्लामी शरीअत का सही ज्ञान प्राप्त करे, ताकि तेरा कोई फ़ैसला इस्लामी शरीअत के विरुद्ध न हो । जो भी उलझन तुझे पेश आये उसका हल इस्लामी शरीअत के विद्वानों के कथनों की रोशनी में निकाले और प्रचलित मुस्लिम पर्सनल लॉ मैं अगर कुछ ऐसे तत्व दाख़िल हो गये हैं, जो इस्लामी शरीअत के समानार्थक हैं, तो तेरी कोशिश यह हो कि उन्हें बदलकर उनकी जगह ठीक और इस्लामी व्याख्या के अनुसार तत्व दाख़िल किये जाएं ।

मगर आज बीस साल से अधिक तुझे इस कुर्सी पर बैठे हुए हो गये और तू इस्लामी शरीअत की इस नाममात्र की जानकारी पर संतुष्ट बैठा है, जिसका स्तर प्राइमरी से अधिक ऊंचा नहीं है और ग़ज़ब यह है कि अपनी अज्ञानता और बेख़बरी का वास्तविक एहसास किये बिना ऐसी बड़ी-बड़ी समस्याओं में मुज्तहिदाना विचार प्रकट कर रहा है, जिस पर वार्तालाप यूनीवर्सिटी स्तर से नीचे हो ही नहीं सकती । हालांकि इस्लामी शरीअत के स्रोत क़ुरआन और हदीस जिस भाषा में है उसे सीखने के लिए भी दो-तीन साल भी काफ़ी थे और यह भाषा सीखने के बाद क़ुरआन-हदीस के प्रमाणिक व्याख्याकारों की व्याख्याओं का अध्ययन आसान था और उर्दू भाषा में भी ऐसा लिट्रेचर अस्तित्व में आ चुका है कि अगर तुझे इस्लामी शरीअत के ज्ञान की सच्ची प्यास होती, तो अरबी भाषा सीखे बिना भी कम से कम इतना ज्ञान ज़रूर प्राप्त कर लेता कि बिदअत और सुन्नत या इस्लाम या संशोधन व परिवर्तन में अंतर कर सके ।

लेखक महोदय ! यही बेतौफ़ीक़ी और लापरवाही है, जिसके आधार पर यह व्यक्ति एक तरफ़ ख़ुदा और उसके रसूल (सल्ल०) पर ईमान का इज़हार करता है और कहता है कि मैं और मेरे प्रगतिशील समर्थक अल्लाह के क़ानून में फ़ेरबदल नहीं चाहते, केवल बिदअत और ख़ुराफ़ात का सुधार चाहते हैं और दूसरी तरफ़ यह बिना किसी संकोच के ख़ुदा और रसूल (सल्ल०) को आपत्ति का लक्ष्य बताता है और ऐसे सुझाव भी पेश करता है, जो इस्लामी शरीअत की बुनियादें हिला देने वाली हैं । यही नहीं इसका व्यवहार इस हद तक ग़ैर-ज़िम्मेदाराना है कि ख़ुदा के कलाम को खुल्लम-खुल्ला ग़लत अर्थ पहनाने और रसूल (सल्ल०) की तरफ़ बे-तहक़ीक़ी बातें जोड़ने में भी उसे कोई अफ़सोस नहीं होता । ईमान के दावे के बावजूद उसे डर नहीं लगता कि अल्लाह तआला की अदालत में यह क्या कारण पेश कर सकेगा ।

मैं इन आरोपों के लिए लेख से साक्ष्य पेश करना चाहता हूं । मैं मानता हूं कि इस वक़्त अदालत में अपराधी का कोई वकील मौजूद नहीं है । न्याय की मांग करता है कि उसे भी वकील उपलब्ध हो । अत: आप ही इसके मुख़्तार हैं कि नाचीज़ की दरख़्वास्त में अगर कुछ कमियां महसूस फ़रमाएं कि किसी वकीले सफ़ाई का प्रबंध कर दें या ख़ुद ही अपने फ़ैसले में कमियों की दलील के साथ निशानदेही फ़रमा दें ।

उलमा को बदनाम करने की कोशिश

इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, उचित मालूम होता है कि जो इबारत शुरू में नक़ल कर आया हूं उसका शेष भी जनाब की नज़रों में आ जाए । अ़लिफ़ बिदअतों और त्रुटियों की मिसाल पेश करता है–

"मसलन यह तो ठीक है कि हमारी बेटियां क़ानूने शरीअत के अनुसार अपना तरका जायज़ तौर पर पाने का पात्र हैं, लेकिन बदक़िस्मती से अब वे विरासती रीति-रिवाज का

शिकार हो चुकी हैं और इस तरह वे अपना हिस्सा शरह के अनुसार पाने से वंचित हैं। छोटे-छोटे बच्चों के पालन-पोषण के लिए इधर से उधर मारी-मारी फिरती हैं और उनका कोई मददगार नहीं, यहां तक कि उनके ज़ालिम पति तलाक़ देते वक़्त महर का हक़ भी अदा नहीं करते और यह भी देखने में आया है कि वे गोद के मासूम बच्चों को ज़बरदस्ती छीन लेते हैं, यहीं नहीं उनका दहेज और आभूषण भी गबन कर लेते हैं।" (पृष्ठ-7)

पहली गुज़ारिश तो मैं करूंगा मीलार्ड कि अलिफ़ ने मिसाल पेश करने में ईमानदारी से काम नहीं लिया है। वह छांटकर औरतों की कुछ ऐसी परेशानियां पेश करता है, जो वास्तव में इस योग्य है कि उन्हें दूर करने पर ध्यान दिया जाए और कोई भी आलिम यह असत्य बात नहीं कहता कि इन परेशानियों को दूर करने की कोशिश अल्लाह के क़ानून में संशोधन के समानार्थक है। इस तरह की मिसाल पेश करके अलिफ़ उलमा के ख़िलाफ़ अनुचित रूप से ग़लतफ़हमियां पैदा करने का दोषी है और वास्तविकता यह है कि इस तरह की परेशानियां उलमा और तथाकथित प्रगतिशीलों के मध्य झगड़े का कारण है ही नहीं, बल्कि वे बिल्कुल और मसले हैं जिन पर झगड़ा है और जिनमें प्रगतिशीलों का विचार व मसलक निश्चित रूप से इस्लाम के ख़िलाफ़ है।

अतः अपने पूरे लेख में अलिफ़ ने अपनी मिसाल वाली परेशानियों और अत्याचारों का कोई उचित हल पेश करने में सिर नहीं खपाया, बल्कि अक्सर उन समस्याओं में सिर खपाया है, जो झगड़े के साथ हैं। इससे साफ़ ज़ाहिर होता है कि उसने अपने पाठकों को प्रस्तावना के ज़रिए यह धोखा देने की कोशिश की है कि हम प्रगतिशीलों का विचार तो उचित, न्यायिक व शरीफ़ाना है और उलमा इतने ज़ालिम और अशिष्ट और असभ्य हैं कि वे अकारण शोर मचाए चले जाते हैं और नहीं चाहते कि बिदअत और ख़ुराफ़ात का सुधार हो।

दूसरी गुज़ारिश मैं यह करूंगा कि मिसाल में दी हुई परेशानियों का कोई भी संबंध मुस्लिम पर्सनल लॉ की किसी ख़ामी या कमी से नहीं, बल्कि वह तो स्पष्ट रूप से उस न्याय व्यवस्था की त्रुटियों का प्रतीक है, जो क़ानून को सही समय पर सही रूप से लागू करने में असफल रहा है। आख़िर क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं कहता कि लड़कियों को उनकी शरई विरासत अवश्य दो। क़रीबी रिश्तेदार छोटे-छोटे बच्चों की परवरिश का भार उठाएं, पति महर अदा करें और जो दहेज क़ानूने मिल्कियत की तरफ़ से औरत की मिल्कियत, हो वह सारी की सारी संबंधित के हवाले कर दिया जाए।

अगर कहता है और यक़ीनन कहता है, तो सुधार की ज़रूरत क़ानून लागू करने के उन तरीक़ों में हुई, जो औरत को उसके जायज़ अधिकार दिलाने में असफल हो रहे हैं न कि उस मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो औरत के जायज़ अधिकारों पर दलील पेश करता है। रीति-रिवाज अगर ग़लत चल निकला है, तो जजों का कर्तव्य है कि उसकी अनदेखी करके क़ानून के अनुसार फ़ैसले दें। वह अगर औरत को विरासत या महर या दहेज दिलाने का प्रबंध नहीं कर पाते, तो इसका क्या औचित्य है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधार व संशोधन की बहस उठायी जाए।

महोदय ! इस मिसाल वाली परेशानियों के ज़िक्र का कारण तो कोई ऐसा लेख हो सकता था, जिसमें आधुनिक न्याय व्यवस्था और क़ानून लागू करने की पद्धतियों की ख़ामियों पर बहस की गयी हो, न कि ऐसा लेख जिसका शीर्षक "मुस्लिम पर्सनल लॉ की मुश्किलात और उनका हल" रखा गया हो।

इस्लामी शरीअत की नहीं न्याय-व्यवस्था की असफलता

अलिफ़ ने लड़कियों की विरासत के सिलसिले में पृष्ठ-16 और 17 पर यह भी लिखा है–

"जैसे इस्लामी शरीअत के अनुसार सारी मुस्लिम लड़कियों को अपने बाप की जायदाद में आधा हिस्सा लेने का पूरा हक़ है, लेकिन इस क़ानून ने कुछ ऐसी शक्ल अपना ली है कि क़ानूने शरीअत की अनदेखी करके रीति-रिवाज को वरीयता दी जाने लगी है और इस तरह हमारी हज़ारों मुस्लिम बेटियां अवध कुछ मध्य प्रदेश, कश्मीर और पंजाब में पारंपरिक क़ानून की वजह से अपने शरई हिस्से वंचित कर दी गयीं।"

मैं कहता हूं वास्तविकता का यह चित्रण अगर अतिशयोक्ति

से पाक है, तो इसका एकमात्र अर्थ यह है कि क़ानून ने रीति-रिवाज के आगे हथियार डाल दिये हैं । ऐसी सूरत में आप ख़ुद ही फ़ैसला करें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में फेरबदल का आन्दोलन उठाना चाहिए या इस बात की कि अदालतें फ़ैसले क़ानून के अनुसार करें और क़ानून के ख़िलाफ़ रीति-रिवाज को महत्व न दें । अजीब बात है कि दोष मुस्लिम पर्सनल लॉ की अनदेखी करने वालों की हो, और इलाज यह सोचा जा रहा हो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में परिवर्तन करो ।

क़ुरआन के रास्ते से हटना

मीलार्ड, मेरी ज़बान इस बात को पेश करते हुए कांप रही है और दिल उछल कर हलक़ तक आ जाता है । आरोपी इस्लाम पर आरोप लगाते हुए लिखता है–

इस्लामी क़ानून के अनुसार, मृतक पति द्वारा छोड़ी गई चीज़ों में से औलाद के रहने के कारण विधवा को केवल 1/8 हिस्सा मिलता है जो कभी-कभी नाममात्र को रह जाता है । क़ानून सिविल मैरेज एक्ट के तहत विधवा आधा हिस्सा पाने की हक़दार हो जाती है, इसलिए विधवा का हिस्सा इतना कम हो कि वह उससे गुज़ारा न हो सके तो क़ानून में इतनी लचक की ज़रूरत है कि उसके गुज़ारे के मुताबिक़ उसका हिस्सा बढ़ा दिया जा सके ।

मेरे ख़ुदा, आज वह समय भी आ गया कि इस्लाम का दावा रखने वाला एक बन्दा ख़ुदा की आंखों में आंखें डालकर कहे कि तूने बच्चों वाली विधवाओं को हमेशा के लिए सिर्फ़ आठवें हिस्से का हक़दार क़रार देकर ग़लती की । तुझे मालूम होना चाहिए था कि कभी-कभी विधवा ज़्यादा बच्चों वाली भी होती है आठवां हिस्सा उसका भरण-पोषण नहीं कर सकता । इसलिए ऐसी परिस्थिति में उसे आठवां नहीं, आधा मिलना चाहिए कि हम मुनासिब समझें तो और भी ज़्यादा दे दें ।

मीलार्ड ! अल्लाह का हुक्म तो यह है कि अगर तुम्हारे औलाद न हो तो तुम्हारी पत्नियों को तुम्हारी छोड़ी हुई सम्पत्ति में चौथा हिस्सा मिलेगा और अगर औलाद हो तो आठवां ।

यहां सवाल यह उठता है कि अगर मृतक बच्चों को छोड़कर मरता है तो क्या उसकी सम्पत्ति में बच्चों के हिस्से नहीं हैं ? क्या विधवा को आठवां हिस्सा मिलने के बाद शेष माल कहीं और चला जाएगा ? मान लीजिए ज़ैद ने छह बच्चे छोड़े हैं जिनमें सिर्फ़ एक बालिग़ है और पांच नाबालिग़ । इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता उनमें कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां । हर हाल में सिर्फ़ बालिग़ बच्चा अपना हिस्सा अलग कर सकता है, शेष सब माल वहीं का वहीं रहेगा । कुल में से आठवां विधवा का व्यक्तिगत है और बाक़ी उन बच्चों का । अब बताइए, उसके प्रस्ताव में क्या स्वार्थ छिपा हुआ नहीं है ? बच्चे ज़्यादा हों या कम । अगर बाप ने माल छोड़ा है तो बहरहाल वह उनका ही है और मृतक द्वारा लिए गए क़र्ज़ चुकाने के बाद कोई और उसका मालिक नहीं है ।

अगर आरोपी का मतलब यह हो कि बच्चों के हिस्से पर मरने वाले के भाई क़ब्ज़ा कर लेंगे और विधवा के पास केवल उसका अपना हिस्सा रह जाएगा तो यह वह क्यों नहीं सोचता कि बच्चों के पालन-पोषण का भार भी उन्हीं को उठाना पड़ेगा, जिन्होंने बच्चों के हिस्से पर क़ब्ज़ा किया है । बहरहाल उन बच्चों का हिस्सा कोई नाजायज़ तौर पर दबा ले और बच्चों के पालन-पोषण का भार मां पर ही पड़ा रहे तो यह एक जुल्म और अन्याय होगा, जिसकी देखरेख के लिए पहले ही से क़ानून मौजूद है और यह भी ज़ाहिर है कि मरने वाले के क़रीबी रिश्तेदार ऐसे ही अत्याचारी और ज़ालिम हैं जो क़ानून के विरुद्ध अनाथ बच्चों के हिस्से दबा सकते हैं तो फिर उनसे यह आशा क्यों कर ली गई कि वे विधवा का हिस्सा नहीं दबाएंगे । आरोपी आठवें हिस्से से ज़्यादा की मांग करता है । वे आठवां क्या फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे ।

इसलिए यह कहना ज़्यादा उचित होगा कि आरोपी जांच-परख, सोच-विचार और इन्साफ़ से काम लेने के बजाय भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है और ऐसा करने में उसे ज़रा भी हिचक महसूस नहीं हो रही है । उसने यह बिलकुल ही ग़लत मान लिया है कि निकाह और तलाक़ के झगड़ों में सारा दोष केवल मर्दों का ही होता है और औरतें हर हाल में पीड़ित ही होती हैं । क्या इन मामलों में औरतों का कोई दोष नहीं होता ? ऐसे इस्लामी विरोधी लोग तो सिर्फ़ आरोप लगाना ही अपना कर्तव्य समझते हैं, मामले की जड़ और तह तक पहुंचना वे ज़रूरी नहीं समझते ।

मुस्लिम पर्सनल लॉ जागरूकता अभियान

सभी को इस्लामी क़ानूनों से परिचित कराना हमारा ध्येय–मुहम्मद जाफ़र

देश में सांप्रदायिक सौहार्द को स्थायित्व देने के उद्देश्य से जमाअत इस्लामी हिन्द की ओर से 23 अप्रैल से 7 मई 2017 तक एक देशव्यापी मुस्लिम पर्सनल लॉ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है । इसके संयोजक जमाअत इस्लामी हिन्द के पूर्व उपाध्यक्ष एवं महासचिव जनाब मुहम्मद जाफ़र साहब हैं । 'कान्ति' के उपसंपादक मुशर्रफ़ अली ने उनसे मुलाक़ात कर अभियान के बारे में बातचीत की । प्रस्तुत हैं उसके कतिपय महत्वपूर्ण अंश–

■ जमाअत इस्लामी हिन्द द्वारा आयोजित मुस्लिम पर्सनल लॉ जागरूकता अभियान ऐसे समय में शुरू होने जा रहा है, जबकि तीन तलाक़ का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है । प्रश्न यह है कि इसके लिए इस समय का चुनाव क्यों किया गया ? क्या इससे क़ानूनी समस्या पैदा नहीं हो सकती है ?

जवाब : जहां तक मुस्लिम पर्सनल लॉ जागरूकता अभियान के समय का प्रश्न है, तो जमाअत ने इसका फ़ैसला काफ़ी पहले किया था । पिछले ढाई-तीन साल से देश के सांप्रदायिक माहौल में एक खिंचाव महसूस किया जा रहा है । सांप्रदायिक आधार पर समाज के विभाजन के प्रयास किये जा रहे हैं । क़ानून की सर्वोच्यता भी बहुत हद तक प्रभावित हुई है । इसको लेकर सेकुलर राजनीतिक दल और दूसरे सामाजिक संगठन चिंतित हैं । जमाअत इस्लामी हिन्द और अन्य मुस्लिम संगठनों में भी चिंता और आशंका बनी हुई है । इसी को देखते हुए जमाअत की मर्कज़ी मजलिसे शूरा (केन्द्रीय सलाहकार समिति) ने पिछले वर्ष दो अभियान चलाने का फ़ैसला लिया था । एक 'अम्न व



इन्सानियत अभियान' जो गत वर्ष सितम्बर में चलाया गया । वर्तमान अभियान को फ़रवरी 2016 में ही आयोजित होना था, लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए इसे आगे बढ़ाना पड़ा ।

जहां तक यह बात है कि तीन तलाक़ का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, तो जमाअत का यह अभियान इसमें कोई क़ानूनी हस्तक्षेप करने नहीं जा रहा है। तीन तलाक़ के मुद्दे को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देख रहा है। हमारा सहयोग उसके साथ है। जमाअत ने अभी हाल ही में इसी मुद्दे पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हस्ताक्षर अभियान में भरपूर सहयोग दिया है। लेकिन जमाअत का यह अभियान सामाजिक स्तर पर जागरूकता पैदा करने के लिए है। सांप्रदायिक तत्वों द्वारा मुस्लिम पर्सनल लॉ को बार-बार मुद्दा बनाया जा रहा है और मीडिया इसको विकृत कर प्रचारित करता है, इसलिए ज़रूरत महसूस होती है कि अधिक से अधिक लोगों को पर्सनल लॉ के सही रूप से अवगत कराया जाए।

■ क्या जो लोग मुसलमान नहीं हैं, उन्हें भी मुस्लिम पर्सनल लॉ से अवगत कराना इस अभियान का हिस्सा है ?

जवाब : मुस्लिम पर्सनल लॉ (इस्लाम की जीवन व्यवस्था) को लेकर हमारे देशबंधुओं के बीच भी बहुत ग़लतफ़हमियां फैली हुई हैं। इस अभियान के माध्यम से हम उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। सभी मुस्लिम संगठनों और व्यक्तियों के सहयोग से हम यह कोशिश करेंगे कि सामाजिक स्तर पर सह-अस्तित्व का वातावरण पैदा किया जाए। देश में रहने वाले सभी समुदाय प्रत्यक्ष रूप से एक-दूसरे को समझें।

इस अभियान के माध्यम से हमारे साथी हर स्तर पर देशबंधुओं से मिलेंगे और उनके बीच फैली हुई ग़लतफ़हमियों को दूर करेंगे। इसके लिए देश की विभिन्न भाषाओं में पुस्तिकाएं और फोल्डर्स तैयार किये गये हैं, जिन्हें हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सभाओं और सम्मेलनों के अलावा स्थानीय स्तर पर विचार-गोष्ठियों का आयोजन भी किया जाएगा, जिनमें विभिन्न समुदायों के लोगों को इस्लामी क़ानूनों से अवगत कराया जाएगा और उनके प्रश्नों और आपत्तियों का उत्तर दिया जाएगा।

■ एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जो लोग मुसलमान नहीं हैं, उन्हें इस्लामी क़ानून की वास्तविकता कैसे बतायी जाए ? उन्हें कैसे बताया जाए कि ये सर्वजगत के रचयिता द्वारा बनाए गये हैं और मानवजाति के हित में इससे बेहतर क़ानून कोई और नहीं हो सकता ?

जवाब : लोग चाहे किसी भी धर्म या आस्था के मानने वाले हों, उन्हें तार्किक रूप से यह बात समझायी जा सकती है कि ईश्वर ने इस संसार में मनुष्य की सभी शारीरिक और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था की है तो निश्चित रूप से उसें जीवन गुज़ारने का एक मार्गदर्शन भी दिया होगा। ईश्वर द्वारा मानवजाति को दी गयी जीवन व्यवस्था का अंतिम रूप ही इस्लाम है, जिसकी पुष्टि पिछले ईश्वरीय ग्रंथों से भी होती है। वास्तव में मुस्लिम पर्सनल लॉ या इस्लामी नियम उसी संपूर्ण जीवन व्यवस्था का हिस्सा है। वहां से अलग करके उनकी उपयोगिता और महत्व को समझना कठिन है। हमें ईश्वर द्वारा दी गयी संपूर्ण जीवन व्यवस्था को समझना होगा। लोगों को इसी के लिए आमादा करने की ज़रूरत है।

■ देशबंधुओं को यह कैसे बताया जाए कि किसी व्यक्ति, संस्था या सरकार के मुस्लिम पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है, ऐसा करने पर उसके गंभीर दुष्प्रभाव सामने आते हैं।

जवाब : यह सवाल भी इससे पहले वाले सवाल से जुड़ा है। समस्त सृष्टि की रचना ईश्वर ने की है और मनुष्य को भी उसी ने बनाया है। इसलिए मनुष्य के हित-अहित को सबसे बेहतर ईश्वर ही समझ सकता है। उसने समस्त मानवजाति के हितों को सामने रखकर ऐसा क़ानून बनाया है जो समय और क्षेत्रीयता की सीमाओं से पूर्णतः मुक्त है। यह दुनिया में हर जगह लागू किये जाने योग्य है और रहती दुनिया तक के लिए है।

मनुष्य अगर इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करेगा तो निश्चित रूप से इसे बिगाड़ देगा क्योंकि मनुष्य की बुद्धि और विजन सीमित है। वह बिल्कुल निष्पक्ष होकर सारी मानवजाति का हित नहीं देख सकता। निश्चित रूप से उसका झुकाव किसी न किसी ओर अधिक होगा। दूसरी बात यह कि चूंकि मनुष्य को भविष्य का ज्ञान नहीं है, इसलिए वह भविष्य में आने वाली ज़रूरतों की पूर्ति की व्यवस्था नहीं कर सकता है।

इस बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह देश के संविधान द्वारा सभी नागरिकों को दिया हुआ मौलिक

अधिकार है कि हर व्यक्ति और हर वर्ग को अपने धर्म और उसकी शिक्षाओं के पालन की स्वतंत्रता है । कोई भी उसे इस आज़ादी से रोक नहीं सकता ।

उसूली बात भी यह है कि नियम में संशोधन या परिवर्तन का अधिकार उसी को होता है, जो उसे बनाता है । इस आधार पर भी मनुष्य ईश्वरीय क़ानून में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं रखता ।

■ देशव्यापी अभियान चलाने के अलावा क्या जमाअत इस बारे में सरकारी और अदालती स्तर पर भी कुछ करने की योजना रखती है ?

जवाब : अदालती स्तर पर पर्सनल लॉ के मामले को देखने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौजूद है । हम उसका समर्थन करते हैं । इस अभियान के तहत अदालती स्तर पर कुछ करने का इरादा नहीं है । अलबत्ता अभियान के एक हिस्से के तौर पर हमारे लोग अदालत के बाहर अन्य बुद्धिजीवियों के साथ ही वकीलों और विद्वान जजों से मुलाक़ात करेंगे और उनके सामने इस्लामी क़ानूनों की व्याख्या की जाएगी । उनके आपत्तियों और सवालों के जवाब दिये जाएंगे और उनकी ग़लतफ़हमी दूर करने की कोशिश की जाएगी । राजनीतिक दलों के प्रमुख और अधिकारियों से भी ऐसी मुलाक़ातें की जाएंगी । सांसदों और विधायकों से भी मुलाक़ात की जाएगी ।

■ एक बात यह कही जाती है कि मुसलमान मुस्लिम पर्सनल लॉ से अवगत तो हैं, मगर वैचारिक केन्द्रों की भिन्नता के कारण बात बिगड़ जाती है, आपका इस बारे में क्या कहना है ?

जवाब : यह बात सही नहीं है कि मुसलमान अपने पर्सनल लॉ से पूरी तरह अवगत हैं, बल्कि अस्ल समस्या ही उनकी अनभिज्ञता की है । इस आधार पर मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग वह है, जो अशिक्षित है, उसे इस्लाम के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है । जिस तरह किसी देश के क़ानून से अनभिज्ञता उसके उल्लंघन का औचित्य नहीं हो सकती उसी तरह शरीअत के क़ानून से अनभिज्ञता उसके उल्लंघन का औचित्य नहीं बनती । यह हम सबका दायित्व है कि लोगों को इस्लामी क़ानून की जानकारी पहुंचाएं और फिर उन्हें उनका पालन करने के लिए आमादा करें ।

मुसलमानों का एक दूसरा वर्ग वह है, जो शिक्षित है, इस्लामी क़ानूनों से भी अवगत है, लेकिन पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित है और इस्लामी शिक्षाओं का विरोध करना फैशन समझता है । ज़रूरी है कि उसे भी समझाया जाए ।

अब जहां तक वैचारिक मतभेद की बात है, तो यह कोई समस्या नहीं है । इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि पर्सनल लॉ बोर्ड में सभी विचार केन्द्रों के लोग मौजूद हैं । किसी भी मुद्दे पर कभी मतभेद के कारण कोई समस्या पैदा नहीं हुई । जैसे हरेक विचार-केन्द्र मानता है कि निकाह आसान होना चाहिए और कम से कम ख़र्चीला होना चाहिए । तलाक़ सभी के नज़दीक एक नापसन्दीदा अमल है । विरासत में महिला का हिस्सा क्या है और कितना है, इसमें कोई मतभेद नहीं है । बस क़ानून की व्याख्या में थोड़ा-सा अंतर है । तो यह कोई गंभीर बात नहीं है । हमारे देश के क़ानून की व्याख्या में भी इस तरह का अंतर पाया जा सकता है ।

■ इस अभियान के विषय में कोई और महत्वपूर्ण बात जो आप कहना चाहते हैं ?

जवाब : इस अभियान के विषय में जो बात अभी तक नहीं आ सकी वह यह है कि इसमें महिलाओं की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी । जमाअत की महिला विंग मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के साथ मिलकर ज़मीनी स्तर पर अज्ञानता और ग़लतफ़हमियां दूर करने की कोशिश करेंगी । जो मुस्लिम नहीं हैं, उन बहनों के महिला संगठनों के साथ मिलकर भी काम किया जाएगा । छात्राओं के संगठनों को भी इस सिलसिले में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है ।

एक और महत्वपूर्ण बात यह कि पर्सनल लॉ बोर्ड भी चाहता है कि इस तरह के जागरूकता अभियान चलाए जाते रहें । मुसलमानों के अलग-अलग ग्रुप अपने-अपने तौर पर भी इस काम को करें और सब मिल-जुलकर परस्पर सहयोग से भी इस काम को करें । अत: इस अभियान में हमारे साथ पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष और दूसरे अधिकारी भी शामिल हैं । जमीअत अह्ले हदीस और जमीअत उलमा-ए हिन्द का समर्थन भी हमें प्राप्त है । अह्ले सुन्नत वल जमाअत और शिया हज़रात भी इस अभियान को सहयोग दे रहे हैं ।

इस्लाम औरत का संरक्षक

■ संपादन प्रभाग

इन्सानी समाज में पुरुष को जिस तरह अधिकार हासिल हैं, इसी तरह नारी के भी कुछ अधिकार हैं । सामाजिक जीवन में पुरुष पर जिस तरह कर्तव्य लागू होते हैं, उसी तरह नारी पर भी कुछ कर्तव्य लागू होते हैं, लेकिन दोनों के अधिकार और कर्तव्य की क़िस्म अलग-अलग हैं । जहां पुरुष कुछ विशेष योग्यता लेकर पैदा हुआ है, वहीं औरत भी कुछ विशेष क्षमता (सलाहियत) रखती है । अल्लाह तआला ने पुरुष और नारी के फ़ितरी रुझान के मुताबिक़ उनका कार्य-क्षेत्र निश्चित कर दिया है । यह दुनिया संतुलन पर क़ायम है ।



हम देखते हैं कि सृष्टि में सूरज, चांद, तारे, ग्रह इसी संतुलन के क़ानून के अधीन काम कर रहे हैं । अगर तारे और ग्रह प्रकृति की निश्चित की हुई सीमा से आगे बढ़ जाएं तो इस दुनिया का ख़ात्मा हो जाएगा, ठीक इसी तरह पुरुष और नारी अपने कार्य के क्षेत्र से बाहर निकल जाएं, तो इन्सानी समाज का तबाही के गड्ढे में गिरना निश्चित है ।

पुरुष और नारी इंसानी ज़िन्दगी के दो पहिए हैं । ज़िन्दगी की गाड़ी उसी वक़्त सही दिशा में चल सकती है, जब उसके दोनों पहिए साथ-साथ चलते रहें । अल्लाह तआला ने इंसानों को ज़िन्दगी गुज़ारने का सीधा मार्ग अपने रसूलों के ज़रिये से दिखा दिया है, लेकिन अल्लाह की हिदायत से मुंह मोड़कर और बेपरवाही बरत कर इंसान ने हमेशा ही बड़ी भूल की है । इंसानों के ख़ुद से बनाए हुए उसूलों और क़ानूनों ने इन्सानों को उन्नति और कामयाबी के रास्ते से भटकाकर पतन के रास्ते पर डाल दिया है ।

समाज में हर ज़माने में औरत चर्चा का विषय रही है । कभी औरत के रोल पर चर्चा की गयी, तो कभी उसके मक़ाम और मर्तबा पर । और कभी तो यह भी बहस हुई कि औरत में पुरुष की तरह आत्मा होती भी है या नहीं ? औरत को जुर्म और गुनाह की मूरत कहा गया । पुरुष के मुक़ाबले में उसे हक़ीर समझा गया । और फिर जब इंसानों के सोचने का अन्दाज़ बदला, औरत की ख़ूबियों को स्वीकार करने की भावना हावी हुई तो उसको देवी बना डाला । इंसान की हैसियत से औरत अपने अस्ली मक़ाम से वंचित ही रही ।

और अपने ही जैसे इंसानों के हाथों खिलौना बनी रही । इसके विपरीत इस सृष्टि के मालिक ने औरत की हैसियत को निश्चित किया । पुरुष नारी के संबंध की सही सूरत तय फ़रमाई । एक को दूसरे का सहायक और मददगार क़रार दिया । उसकी देख-भाल, परवरिश, सुरक्षा और तालीम व तर्बियत पर बाप और भाई को जन्नत की ख़ुशख़बरी सुनायी । मां का मक़ाम पहचानने, उसका सम्मान करने और उसके हुक़ूक़ अदा करने पर औलाद को मग़फ़िरत की ख़ुशख़बरी दी । उसकी कमज़ोर और लाचार हस्ती को बाप के मुक़ाबले में तीन गुना दर्जा अता किया । "तुम में सबसे अच्छा वह है", फ़रमा कर पुरुष के ज़ुल्म-सितम से उसको सुरक्षित कर दिया । इस तरह पुरुष के साथ औरत के जितने रिश्ते हो सकते हैं उन सबमें इस्लाम ने मान-सम्मान की शान पैदा कर दी ।

नबी करीम (सल्ल०) औरतों के सर्वोत्तम संरक्षक थे । औरतों के ताल्लुक़ से इन्सानों की मानसिकता में आप (सल्ल०) ने एक इन्क़िलाब बरपा कर दिया । औरतों में अपने हुक़ूक़ के लिए बेदारी पैदा कर दी । लेकिन इन्सानी

समाज की यह बड़ी बदक़िस्मती है कि नारी की मर्यादा और रक्षा और उसके कार्य क्षेत्र से संबंधित रास्ते उसे न जचें । नतीजा यह हुआ कि इन्सानी समाज में बिगाड़ और बुराइयां फैल गयी । नारी असुरक्षित हो गयी । जो उसकी रक्षा और निगहबानी के ज़िम्मेदार थे वही उसके दुश्मन बन गये । आये दिन घटने वाली घटनाओं से पता चलता है कि कोई जगह उसके लिए सुरक्षित नहीं है । ये ख़तरे औरत को जंगल के जानवरों से नहीं बल्कि अपने ही जैसे इन्सानों में से मुट्ठी भर शर-पसंदों से हैं । विद्वान और दानिशवर ख़तरों और मसाइल का हल सोच रहे हैं । लेकिन यह एक ऐसा रोग है जिसका इलाज इन्सान अपनी अक़्ल से नहीं कर सकता ।

सवाल यह है कि पुरुष और नारी के कार्य क्षेत्र की सीमा का उल्लंघन किसने किया ? क्या पुरुष ने नारी के कार्य क्षेत्र में दख़लअंदाज़ी की ? नहीं, बल्कि चालाक इन्सानों ने औरत को बहकाया कि तुम्हारा घर में रहना तुम्हारा अपमान है । गिरे-पड़े घर-गृहस्ति के काम करना और चारदीवारी में रहना, यह तो क़ैद है । तुम बच्चे पैदा करने की मशीन या उनकी परवरिश करने वाली नौकरानी नहीं हो । तुम्हारे अन्दर भी बड़ी सलाहियत है । तुम वे सारे काम कर सकती हो जो पुरुष करते हैं । तुम पुरुष से किसी तरह कम नहीं हो, तो फिर पुरुष की फ़रमाबरदारी क्यों करो ? रोज़ी-रोटी के लिए पुरुष पर निर्भर करोगी तो उसकी फ़रमाबरदारी पर मजबूर होगी । इसलिए ख़ुद कमाओ और आत्मनिर्भर बन जाओ । तुम्हारे लिए रोज़गार के दरवाज़े खुले हैं ।

इस सभ्यता के फ़रेबी दावेदारों ने औरत को तरह-तरह से अपने जाल में फंसाया । उनकी नज़र में मज़हब औरत को क़ैद में रखने का ज़रिया है, उन्होंने ख़ानदान और समाज के बंधन और अख़्लाक़ी सीमाओं को औरत की ग़ुलामी की निशानी क़रार दिया । बस फिर क्या था औरत ने बाहर क़दम निकाला । मिली-जुली महफ़िलें, मिली-जुली मालीमगाहें, कार्यालयों और कारख़ानों में पुरुष और नारी का मिलना-जुलना औरत की आज़ादी के नाम पर घर से बग़ावत, मज़हब से आज़ादी, मातृत्व से घृणा फैल गयी ।

वे बच्चे जो घर से महरूम हुए, मां की मुहब्बत और ममता की छांव उनसे छिन गयी । नतीजा यह हुआ कि तालीम व तर्बियत से वंचित एक ऐसी नस्ल वजूद में आयी जिसकी नज़रों में न इन्सानियत का मान है, न औरत का सम्मान । दरअस्ल औरत का घर से बाहर निकलना उसकी उन ज़िम्मेदारियों से फ़रार है जो प्रकृति द्वारा उस पर लागू होती हैं । यह एक ऐसा बांध है ज़ो समाज को बदअमनी, बदअख़्लाक़ी के तूफ़ान से रोकने की क्षमता रखता है लेकिन यह बांध टूटा तो समाज नित-नये मसाइल से दोचार हो गया ।

मसाइल का यह सिलसिला जिसकी कोई सीमा नहीं है । जिसमें एक ओर ख़ुद औरत का भी बड़ा नुक़सान हुआ तो दूसरी ओर इन्सानी नस्ल पर ख़तरों के बादल मंडराने लगे । औलाद का क़त्ल, कन्या भ्रूण हत्या, आवारगी, यौन-शोषण, ज़ुल्म, लूट-मार जैसे अपराधों का ग्राफ़ दिन-प्रतिदिन बढ़ने लगा । जिस सभ्यता की चमक-दमक ने औरत को बाहर निकाला उसमें औरत की कोई हैसियत, इज़्ज़त नहीं है । हैसियत व इज़्ज़त है तो उस औरत की जो शारीरिक रूप से तो औरत रहे लेकिन मानसिक रूप से पुरुषों जैसे काम करे, पुरुषों जैसे कपड़े पहने और पुरुषों के जैसे रंग-ढंग इख़्तियार करे । इस सभ्यता ने औरत को आज़ादी के नाम पर ज़िन्दगी के सुकून से महरूम कर दिया और औरत से औरतपन छीनकर दोहरी ज़िम्मेदारी उसके कंधों पर डाल दी ।

औरत के हुक़ूक़ और उसकी आज़ादी और समानता के नारे लगाने वालों ने औरत के पद और स्थान को छीनकर उसे बाज़ार की वस्तु बना दिया । अब बाज़ार में औरत को इस्तेमाल किये बिना सामान का प्रचार और उसका कारोबार नहीं होता ।

बची हुई कसर विज्ञापनों में इस्तेमाल होने वाली औरतों की नग्न व अर्ध-नग्न तस्वीरों ने पूरी कर दी । सिनेमा और टेलीवीज़न के अश्लील दृश्यों ने सारे अख़्लाक़ी उसूलों की धज्जियां उड़ा दीं । वे सारे रिश्ते जिनका ख़याल इन्सान को लाज शर्म सिखाता है, एक-एक करके ख़त्म होने लगे । रिश्तों का ख़याल और उनके सम्मान की जगह दरिंदगी और हैवानियत ने ले ली । इन हालात ने न सिर्फ़ औरत को बल्कि सारे इन्सानी समाज को बड़े सख़्त ख़तरे से दोचार कर दिया ।

आज औरत की सुरक्षा और उसको पेश आने वाले ख़तरों पर बड़े ज़ोर-शोर से बहस की जा रही है लेकिन ऐसा महसूस होता है कि मसले की असलियत को समझने और

उसकी जड़ तक पहुंचने में इन्सान नाकाम है । जबकि फ़ितरत के तक़ाज़े पुरुष और नारी की रहनुमाई के लिए मौजूद हैं ।

औरत की फ़ितरत और फ़ितरी ज़िम्मेदारी पुकार-पुकार कर उसको बता रही है कि उसकी ड्यूटी क्या है ? क़ुदरत ने नस्लों की देखभाल, उनकी परवरिश और तर्बियत के काम औरत के हवाले करके उसके मिज़ाज को ज़िम्मेदारी के मुताबिक़ ढाल दिया है । पुरुष के ज़िम्मे बाप का कर्तव्य देकर उसके मुताबिक़ उसको क़ुव्वत व ताक़त दी और ख़ानदान का निगहबान बना दिया ।

इस्लाम का यह बहुत बड़ा उपकार है कि उसने पुरुष और नारी दोनों को अपनी-अपनी जगह रखकर मान-सम्मान दिया, औरत को औरत रखकर उसकी ख़ूबियों की पहचान करायी । दोनों का कार्य क्षेत्र अलग करके पूरी इन्सानियत की सुरक्षा की ज़मानत दे दी । कार्य क्षेत्र को अलग करने का एक बड़ा उद्देश्य यह भी है कि पुरुष-नारी के अख़्लाक़ की रक्षा की जाए । घर और ख़ानदान को ख़तरों से बचाया जाए ।

औरतों की आज़ादी का डंका पीटने वाले कहते हैं कि औरत को चारदीवारी में क़ैद कर ज़माने की उन्नति से वंचित करना जुल्म है । औरत की मज़लूमियत पर दुखी औरत की आज़ादी के दावेदारों को मुस्लिम औरत का जवाब है कि औरत को उसके फ़ितरी कार्य क्षेत्र से बाहर लाकर पुरुषों के क्षेत्र की ज़िम्मेदारी अदा करने पर मजबूर करना औरत पर जुल्म है । इस सभ्यता के मतवाले औरत की ज़िम्मेदारियों को जिस गिरी हुई कहते हैं वो न सिर्फ़ औरत पर बल्कि पूरी इन्सानियत पर जुल्म है । औरत अगर अपने बच्चे पाले अपने घर की देखभाल करते तो ये उसकी हंसी उड़ाते हैं । अगर यह काम दौलत कमाने के लिए Child care centre में या Interior Decarater बनकर करे तो उसकी प्रशंसा की जाती है । सोचने का यह अंदाज़ औरत का अपमान है ।

दुनिया जिस उन्नति को देख रही है यह उन्नति इससे कहीं बढ़कर होती अगर पुरुष और नारी अपने-अपने क्षेत्र में सही ढंग से काम करने और समाज का संतुलन न खोता । खोखली तरक़्क़ी के नाम पर जिस भयानक अंजाम से औरत दोचार हो रही है उसका यह अंजाम न होता ।

समाज में फैलते उपद्रवों को दूर करने और एक अच्छा समाज बनाने के लिए ज़रूरी है कि औरत अपने मक़ाम को पहचाने । अपनी ज़िम्मेदारियों को सही ढंग से अदा करे । जिस हस्ती को चालाकी के साथ घर से बाज़ार में ला खड़ा किया गया है वो वापस घर की राह ले । इंशितहारी दुनिया में जिस तरह उसका अपमान किया जा रहा है उसका वो खुद नोटिस ले । तब ही वो न सिर्फ़ अपने आपको पेश आने वाले ख़तरों से बचा पाएगी बल्कि समाज को भी पेश आने वाले ख़तरों से छुटकारा दिला सकेगी ।

औरत के अपने कार्य क्षेत्र में वापस आने का मतलब इन्सानों के अख़्लाक़ की सुरक्षा होगी, इन्सानी नस्ल की सही परवरिश होगी, घर और ख़ानदान की बुनियादें मज़बूत होगी । औरत के जीविका संबंधी बोझ उठाने से सामाजिक समस्याएं बजाए कम होने के और बढ़ गयी हैं, उनसे भी छुटकारा मिलेगा ।

इन्सानियत के सम्मान का सबक़ पढ़ी हुई नस्ल ही औरत का सम्मान कर सकती है और यह सबक़ औरत ही पढ़ा सकती है । खुदा का बताया हुआ तरीक़ा ही समाज को अमन व सुकून और इन्सानों को सुरक्षा और सम्मान दे सकता है ।

ग़ज़ल

लूट रहा इन्सान नया है इसमें क्या
खोता यह पहचान नया है इसमें क्या
बगुले का यूं रूप बनाया लोगों ने
झूठी यह मुस्कान नया है इसमें क्या
भूख, ग़रीबी झेल रहा है किसना यह
गिरवी फिर खलिहान नया है इसमें क्या
ख़ूब मचाओ लूट करो नित घोटाले
बिकता अब ईमान नया है इसमें क्या
फांसी फंदे झूल गये थे सेनानी
उनका था बलिदान नया है इसमें क्या
क्या जाएगा साथ बताओ ज्ञानी जी
छूट गया सामान नया है इसमें क्या
अन्दर एक फ़क़ीर रहा है 'अंकुर' के
तभी किया विषपान नया है इसमें क्या ।

श्याम 'अंकुर'
(बारां, राजस्थान)

पड़ोसी

■ मुहम्मद तारिक़
(अमरावती, महाराष्ट्र)

मैं उसे बीच वाला आदमी कहूंगा, इसलिए कि वह बीच में रहता है। वह एक तीन मंज़िला इमारत थी। ऊपरी मंज़िल पर कुलकर्णी जी सपरिवार रहते थे। कुलकर्णी जी ब्रह्मण थे। नीचे की मंज़िल पर गाइक्वाड साहब का परिवार था, जो दलित थे। बीच वाली मंज़िल पर वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उसके दो बच्चे थे–एक लड़का और एक लड़की। बीच वाले आदमी के दाहिनी ओर कर्तार सिंह का आवास था और बाईं ओर डिसोज़ा का फ्लैट था। इस इमारत को भारतीय संस्कृति का जीता-जागता नमूना कहा जाए तो बेहतर होगा। पंडित, दलित, सिख, ईसाई और बीच वाला आदमी।

वे सब पत्नी और बच्चों के साथ अक्सर आपस में झगड़ा किया करते थे। छोटी-छोटी बातों पर उनमें तू-तू मैं-मैं हो जाया करती थी। बीच वाला आदमी आये दिन के झगड़ों से परेशान हो गया था। उसे रह-रहकर अपने पिता पर गुस्सा आता था, क्योंकि उसी ने इस इमारत का निर्माण कराकर इन लोगों को इसमें बसाया था और उसे इनके बीच छोड़कर इस दुनिया से चला गया था।

जब उसके पिता की मौत हुई थी तो शहर के सभी धर्मों के मानने वाले जनाज़े में शरीक हुए थे। अख़बारों में उसकी सेकुलर मानसिकता की प्रशंसा की गयी थी और सबूत के तौर पर इस इमारत को पेश किया गया था, जिसमें आज उसका बेटा, अर्थात बीच वाला आदमी रहता है।

वह सोचता था कि मेरे डैडी को क्या ज़रूरत थी इतनी बड़ी इमारत बनाने की। पगड़ी के रूप में उन्होंने निर्माण का ख़र्च तो निकाल लिया, लेकिन मेरे लिए किराए के साथ-साथ किरायेदारों के झगड़े भी छोड़ गये। मेरा जीवन नरक बन चुका है, मैं कैसे छुटकारा पाऊं इन झगड़ालू किरायेदारों से। वह सोचता रहता था, मगर उसे कोई उचित तरकीब समझ में नहीं आती थी।

पैसे की उसके पास कमी नहीं थी, वह किसी अच्छी कालोनी में बेहतरीन फ्लैट ख़रीद सकता था, मगर वह अपने किरायेदारों से ऐसा बदला लेने के विषय में सोच रहा था, जिससे इस इमारत के किरायेदार खुद भाग जाएं।

एक दिन बीच वाले आदमी की मुलाक़ात एक ख़ान साहब से हो गयी। वे एक लंबे-चौड़े आदमी थे, उनके चेहरे पर घनी दाढ़ी और आंखों में चमक थी। घेरवाली शलवार, घुटने तक की कमीज़ और सर पर गोल जालीदार टोपी में उनका व्यक्तित्व अलग ही दिखाई पड़ता था। वे ड्राई फ्रूट के थोक व्यापारी थे, उन्हें एक किराये के मकान की ज़रूरत थी, वे अपने परिवार को गांव से शहर लाना चाहते थे।

ख़ान साहब से मिलकर बीच वाला आदमी ऐसे खुश हुआ जैसे उसे अपने किरायेदारों को भगाने का हथियार मिल गया हो। उसने एक सप्ताह के भीतर बेहतरीन कालोनी में एक फ्लैट ख़रीदा और वहां शिफ्ट हो गया और अपना मकान उसने ख़ान साहब को किराये पर दे दिया।

बीच वाला आदमी यह सोचकर खुश हो रहा था कि अब ख़ान साहब किरायेदारों से उसको पहुंचाई गयी एक-एक पीड़ा का बदला लेंगे। कुलकर्णी, गाइक्वाड, कर्तार सिंह और डिसोजा सब परेशान नज़र आ रहे थे। उनकी परेशानी देखकर बीच वाला आदमी और खुश हो रहा था। वह इसकी प्रतीक्षा करने लगा कि सब मिलकर उसके पास आएंगे और गिड़गिड़ाएंगे।

ख़ान साहब को मकान दिये पूरे चौबीस दिन हो चुके थे, लेकिन बीच वाले आदमी के पास आज तक कोई नहीं आया था। कुलकर्णी भी नहीं, जिसे मुसलमानों के नाम से चिढ़ थी। अगले दिन बीच वाला आदमी हालात मालूम करने निकल पड़ा। अभी उसने मुहल्ले में क़दम ही रखा था कि उसकी मुलाक़ात कुलकर्णी से हो गयी। कुलकर्णी उसे देखकर लपका, जबकि वह उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करता था।

भगवान आपका भला करे, कुलकर्णी ने हाथ मिलाते हुए कहा । क्या आदमी दिया है आपने ! पड़ोसी हो तो ख़ान साहब जैसा, हमारे लिए तो वह भाई से बढ़कर है । पिछले दिनों मैं बीमार पड़ गया तो उन्होंने मेरी इतनी सेवा की कि कोई सगा भी नहीं कर सकता । मुझे अस्पताल ले गये, मेडीकल स्टोर से दवा लाकर दी । वह रोज़ मेरा हाल पूछने भी आते हैं और कभी ख़ाली हाथ नहीं आते । अपने बच्चों के लिए वे जब भी कुछ लाते हैं तो हमारे बच्चों के लिए भी ज़रूर भेजते हैं । उनकी नज़र में कोई पराया नहीं । गाइक्वाड, डिसोजा और कर्तार सिंह के साथ भी उसका व्यवहार इतना ही अच्छा है ।

इतना ही नहीं उन्होंने हम सबको एक संबंध सूत्र में बांध रखा है । अब हम सब उनके बिना रह नहीं सकते, इसलिए तुम से विनती है कि ख़ान साहब से कभी मकान ख़ाली नहीं करवाना, ऐसे लोग खोजने से भी नहीं मिलते !

कुलकर्णी भावविभोर हुआ खड़ा था और बीच वाला आदमी पराजित आंखों से उसे देख रहा था ।

सुविधा-असुविधा

देश की राजधानी के निवासियों को
अनेक विशेष सुविधाएं मिलती हैं
सब कुछ नया सबसे पहले
उन्हें ही दिया जाता है
ऐसा अक्सर माना जाता है
अत: उनसे ईर्ष्या होती है कभी-कभी
मगर जब हम पढ़ते हैं या
देखते हैं टी०वी० पर उनकी हालत
हर चौथे दिन किसी न किसी की
डॉक्टरों से लेकर सफ़ाई वालों तक की
किसी न किसी कारण हड़ताल नारेबाज़ी
रोज़-रोज़ सुबह दोपहर शाम रात
नित निरंतर लंबे होते ट्रैफिक जाम
ढेरों वी०आई०पी० और उनके आने-जाने
निकलने पर पब्लिक हेतु रास्ता बंदी
ईर्ष्या का स्थान सहानुभूति ले लेती है ।

● **ओमप्रकाश बजाज**

बोधकथा

धन का सदुपयोग

■ **मुकेश जैन 'पारस'**

जापान के प्रसिद्ध उद्योगपति अकीरा अपनी कृपणता के लिए मशहूर थे । धन इतना था कि कई पीढ़ियां बैठकर खा सकती थीं । मगर बीमार पड़ते तो कंजूसी के कारण दवा तक न लेते थे । कहते थे–मौसमी बीमारी है, स्वयं ही ठीक हो जाएगी । भोजन की अल्प-मात्रा में करते । कोई पूछता तो कहते–

हमें जीने के लिए खाना चाहिए न कि खाने के लिए जीना चाहिए । ऐसे ही एक जोड़ी कपड़े को भी कई-कई दिन तक चला देते थे । सभी शुभचिंतक उन्हें धन का सदुपयोग करने की सलाह देते थे मगर अकीरा टाल जाते थे ।

एक बार उनकी मुलाक़ात एक बड़े विद्वान कुरोसोवा से हुई जोकि एक विश्वविद्यालय में प्राचार्य थे और हर असहाय छात्र की मदद पुस्तकों व उचित धन राशि से करना चाहते थे ताकि वह जीवन में कुछ बन सकें ।

उनका उद्देश्य जानकर अकीरा ने प्रसन्न होते हुए कुरोसोवा को गले लगा लिया और अपनी अपार धनराशि उन्हें सौंपते हुए बोले–'मेरी धनराशि के उपयोग का सही समय अब आया है । कृपया आप बिना किसी हिचकिचाहट के अपने छात्रों के कल्याणार्थ इसे स्वीकार करें ताकि इसका सदुपयोग हो सके । धन का सही सदुपयोग तभी होता है जब वह किसी उचित कार्य के लिए सही हाथों में पहुंच जाए । मैं इसी समय की राह न जाने कब से देख रहा था ।'

अकीरा की सहायता और दानवीरता आज हर किसी के लिए एक अनूठी मिसाल बन गयी है ।

रामस्वरूप झंवर को सम्मान

अखिल भारतीय स्वतंत्र लेखक मंच, मॉडल टाउन, दिल्ली द्वारा महाकवि कालिदास की जयंती पर श्री रामस्वरूप झंवर को सम्मानित किया गया । श्री झंवर को राष्ट्र व समाज हित में उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए मानव सेवा सम्मान से विभूषित किया गया ।

बुनियादी अधिकार और समान सिविल कोड

❖ सैयद उबैदुर्रहमान

भारत में केवल मुसलमानों का ही पर्सनल लॉ नहीं, बल्कि ईसाई, आदिवासियों, विभिन्न क़बीलों और क़ौमों के अपने-अपने पर्सनल लॉ हैं जिनके अनुसार वे निकाह, तलाक़, विरासत, धार्मिक रस्मो-रिवाज आदि को अदा करते हैं । उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, जिनमें असम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और दूसरे इलाक़े आते हैं, के क़बीलों के पर्सनल लॉ में कुछ ऐसी छूट भी दी गयी है जो देश के सामान्य क़ानूनों के बिल्कुल विपरीत हैं ।

मसलन उन क्षेत्रों में महिलाएं ही परिवार की प्रधान होती हैं और विरासत की अकेली अधिकारिनी परिवार की सबसे छोटी लड़की होती है । वही पूरे परिवार की व्यवस्था करती है । उन्हीं क्षेत्रों में आदिवासियों को क़ानूनी तौर पर एक से अधिक शादी करने की अनुमति भी दी गयी है जिसके नतीजे में ये आठ से दस शादियां तक कर लेते हैं । तलाक़ और उसके बाद के अधिकारों की तो उनके यहां कोई कल्पना ही नहीं है । जब जिसको चाहा छोड़ दिया ।

भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है और इसके बारे में कहा जाता है कि यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है । लोकतंत्र की सफलता के बड़े-बड़े दावे भी किये जाते हैं लेकिन क्या समान सिविल कोड लागू करना एक मौलिक (बुनियादी) अधिकार को समाप्त करने के समान नहीं है ?

अपने-अपने धर्म पर चलना प्रत्येक नागरिक का बुनियादी हक़ है और समान सिविल कोड लागू करना इस हक़ को समाप्त करना है । इससे पहले भारत सरकार संपत्ति रखने के बुनियादी अधिकार भी समाप्त कर चुकी है । यदि देश में समान सिविल कोड लागू किया जाता है तो इस पूरे सामाजिक ढांचे को बदलना होगा जिसमें हम रह रहे हैं । संविधान में बड़े स्तर पर परिवर्तन करना होगा ।

इस ज़माने में जबकि हर छोटा-बड़ा आदमी इस्लाम के हर छोटे-बड़े नियमों, हिदायतों और आदेशों के बारे में अपना निरर्थक विचार प्रकट करके यह समझता है कि उसका विचार अत्यधिक महत्वपूर्ण है और हर व्यक्ति इस्लाम के प्रत्येक नियम के ख़िलाफ़ अपनी राय देना अपना कर्तव्य समझता है । ऐसी अवस्था में मुसलमानों का यह कर्तव्य है कि इन निरर्थक बातों से परेशान न हों, बल्कि इस्लाम की सही तस्वीर देशवासियों के सामने रखें ।

इस ज़माने में जबकि हर छोटा-बड़ा आदमी इस्लाम के हर छोटे-बड़े नियमों, हिदायतों और आदेशों के बारे में अपना निरर्थक विचार प्रकट करके यह समझता है कि उसका विचार अत्यधिक महत्वपूर्ण है और हर व्यक्ति इस्लाम के प्रत्येक नियम के ख़िलाफ़ अपनी राय देना अपना कर्तव्य समझता है । मुसलमानों को हर तरह से परेशान और इस्लाम को चारों ओर से बदनाम करने की मुहिम चलायी जा रही है । ऐसी अवस्था में मुसलमानों का यह कर्तव्य है कि इन निरर्थक बातों से परेशान न हों, बल्कि इस्लाम की सही तस्वीर देशवासियों के सामने रखें । कुछ लोग तो सचमुच केवल इस्लाम को बदनाम करने के लिए ही इसके ख़िलाफ़ प्रोपगैंडा करते हैं । लेकिन अधिकांश लोग ऐसे हैं जो इस्लाम को पूरे तौर पर नहीं जानते बल्कि दूसरों की बातों में आकर इस तरह की बातें करने लगते हैं । ज़रूरत इस बात की है कि उनके सामने इस्लाम की सही तस्वीर पेश की जाए । तक़रीरों और तहरीरों से अधिक यह काम अपने अमल को ठीक करके किया जा सकता है ।

संविधान का निर्माण करते समय न जाने कितनी बार यह बात कही गयी थी कि बुनियादी अधिकारों को सरकार विधायिका, यहां तक कि न्यायपालिका के हस्तक्षेप से भी आज़ाद रखा जाएगा । पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बुनियादी अधिकारों की रिपोर्ट पर बयान देते हुए

कहा था–

''बुनियादी अधिकारों को किसी सामयिक मस्लिहतों या कठिनाइयों की रोशनी में नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि आप इसे भारतीय संविधान में एक स्थायी हैसियत देने जा रहे हैं । बुनियादी अधिकारों के अलावा दूसरे सभी मुद्दे, चाहे वे कितने ही महत्व क्यों न रखते हों, को इस दृष्टि से देखना चाहिए कि वे अस्थायी है ।''

गोपालन बनाम स्टेट ऑफ़ मद्रास के मुक़दमे में सुप्रीम कोर्ट ने इसी दृष्टिकोण को इस तरह दोहराया कि भारतीय जनता ने, जैसा कि संविधान की प्रस्तावना से स्पष्ट होता है कि कुछ अधिकार क़ानून बनाने वाले संगठनों, अदालत एवं प्रशासन को दिये गये हैं परन्तु कुछ चीज़ें बुनियादी अधिकारों के नाम से उनके हस्तक्षेप से सुरक्षित कर ली गयी है । ये बुनियादी अधिकार स्थायी हैं ।''

केवल कुछ मिसालें हैं लेकिन ऐसी अनगिनत मिसालें मिलती हैं जिनसे यह साबित होती है कि ''बुनियादी अधिकार'' ऐसे अधिकार हैं जो स्थायी हैं, जिनको न तो समाप्त किया जा सकता है और न ही बदला जा सकता है ।

और अब जबकि सरकार यह कोशिश कर रही है, न्यायपालिका इस सिलसिले में इसको हिदायतें भी दे रही है तो हमारी राय यह है कि न्यायपालिका का सुझाव भारतीय संविधान की स्प्रिट से टकराता है ।

क़ानूनसाज़ एसेम्बलियों के सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू, अन्य दूसरे ज़िम्मेदारों और स्वयं सुप्रीम कोर्ट के अनेक फ़ैसलों की रोशनी में यह बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि बुनियादी अधिकारों के मुक़ाबले में राज्य स्तरीय नीतियों के रहनुमा उसूलों को दूसरी हैसियत हासिल है ।

भारतीय मुसलमान किसी भी हुकूमत या संस्था को यह इजाज़त नहीं दे सकता कि उसकी आज़ादी ख़त्म कर दी जाए । इस्लाम अल्लाह तआला का बनाया हुआ दस्तूर (संविधान) है । उसमें किसी प्रकार के संशोधन का अधिकार स्वयं मुसलमानों को भी नहीं है । सन 1994 ई॰ में शाह बानो केस पर मुसलमानों ने जिस प्रकार विरोध प्रकट किया वह हुकूमत या किसी भी संस्था या पार्टी को भी और स्वयं उन लोगों को भी याद होगा जो समान सिविल कोड की बात करते हैं । मुसलमान कभी भी सरकार को यह छूट नहीं देंगे कि वे उनके साथ जो चाहें करते रहें ।



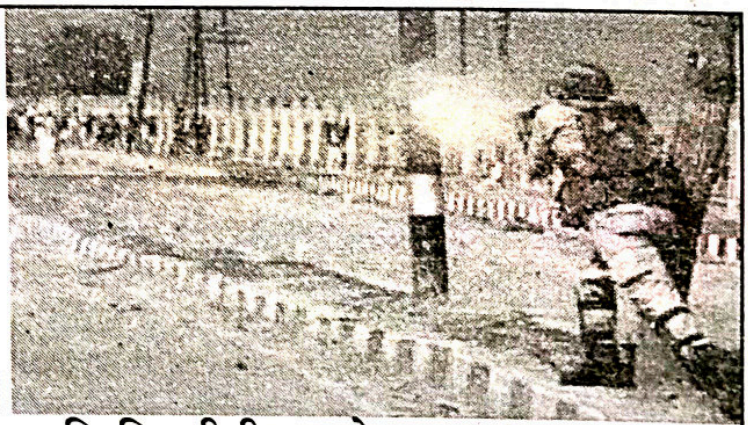

दर्पण

अत्याचार के शिकार फ़िलिस्तीनी बच्चे



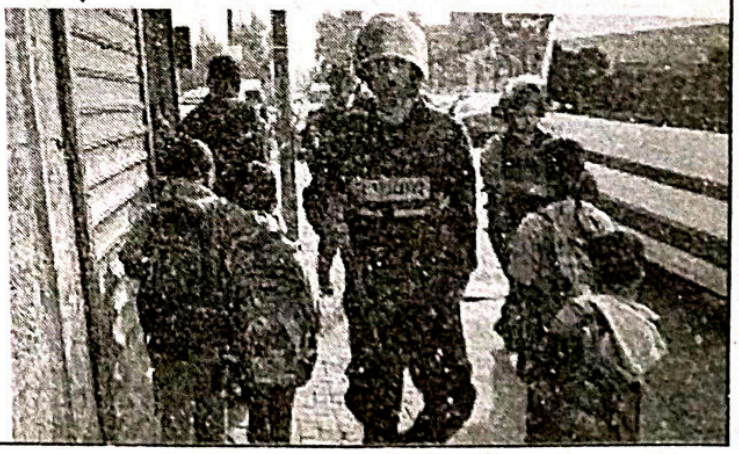

शरीर में कीटाणुओं का संक्रमण

■ डॉ॰ वी॰ के॰ सिंह

मनुष्य के शरीर में कीटाणुओं के प्रवेश एवं विस्तार को संक्रमण कहा जाता है । यह कीटाणु परिस्थितियों के अनुसार मनुष्य को रोगी भी बना सकते हैं । जैसे-टाइफाइड, टी॰बी॰, एड्स आदि । संक्रमण फैलाने वाले कारक विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या शरीर के अन्दर पलने वाले कीड़े होते हैं । ये कारण किसी संक्रमित व्यक्ति, जानवर, कीट, वस्तु या पदार्थ से विभिन्न विधियों द्वारा स्वस्थ मनुष्य के शरीर में फैल सकते हैं ।

सामान्य जीवन में संक्रमण होने एवं इसे रोकने की विधियां

संक्रमण द्वारा होने वाले रोग साधारण खांसी, जुकाम, पेट के कीड़े इत्यादि जैसे साधारण रोगों से लेकर एड्स, प्लेग, मस्तिष्क ज्वर एवं रेबीज जैसी ख़तरनाक एवं जान लेवा बीमारी तक कुछ भी हो सकते हैं । जिस प्रकार संक्रमण द्वारा होने वाले रोग अनगिनत हैं उसी प्रकार इनके फैलने की विधियां भी कई प्रकार की हैं । इनसे भी आवश्यक बात यह है कि अधिकतर संक्रमण बिना अधिक धन व्यय किये और कुछ सावधानियों द्वारा रोके जा सकते हैं ।

संक्रमित व्यक्ति को छूने एवं लंबे समय तक साथ रहने से कुष्ट, दाद, खाज एवं खुजली जैसे रोग हो सकते हैं । अवैध संबंध होने से यौन संबंधी रोग एवं एड्स होने का ख़तरा होता है । संक्रमित कुत्ते, बिल्ली या अन्य जानवर द्वारा काटने पर रेबीज हो सकती है । अत: काटे हुए स्थान को शीघ्रातिशीघ्र साबुन व पानी से धोकर डॉक्टरी सलाह की आवश्यकता होती है ।

संक्रमित औज़ारों या सुइयों द्वारा अथवा संक्रमित रक्त चढ़ाने से एड्स हीपेटाइटिस (पीलिया), मलेरिया एवं अन्य रोग हो सकते हैं । इसी प्रकार संक्रमित गर्भवती महिला के गर्भस्थ शिशु को आंवल द्वारा एड्स, रुबैला, टौक्सोंप्लास्मा, हिपेटाइटिस एवं मलेरिया आदि रोग हो सकते हैं ।

संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या बोलने से मुंह एवं नाक के स्रावों के साथ संक्रमण के कीटाणु आसपास के वातावरण में फैल सकते हैं । इसी संक्रमित वातावरण में एक स्वस्थ मनुष्य को फेफड़े, आंखों या त्वचा के संक्रमण हो सकते हैं । जैसे चेचक, खसरा, साधारण खांसी-जुकाम, मस्तिष्क ज्वर, टी॰बी॰, न्यूमोनिया इत्यादि । अत: संक्रमित व्यक्ति को खांसने या छींकने के पूर्व मुंह-नाक पर रूमाल या कपड़ा रख लेना चाहिए ।

त्वचा पर घाव को गंदे हाथों से छूने, गन्दे पदार्थों जैसे लोहे से चोट लगने अथवा मिट्टी पड़ने पर मवाद पड़ सकता है या टिटनेस हो सकता है । शरीर साफ़ न रखने, गन्दी चादरों, कपड़ों, तौलिया इत्यादि से त्वचा के अनेक रोग हो सकते हैं । अत: घर की, कपड़े इत्यादि एवं शरीर की स्वच्छता आवश्यक है । शौच के पश्चात एवं कुछ भी खाने-पीने से पहले साबुन एवं साफ़ पानी द्वारा भली-भांति हाथ अवश्य धो लेने चाहिए ।

खुले एवं संक्रमित भोजन, प्रदूषित जल, गन्दे हांथों एवं बर्तनों द्वारा हिपेटाइटिस, पोलियो, दस्त, पेचिस, कालरा, डिप्थीरिया, टाइफाइड एवं पेट के कीड़े जैसे अनेक रोग हो सकते हैं । अत: खाने-पीने की चीज़ों को ढक्कर ही रखना चाहिए एवं खुली और धूल-धूसरित खाने की चीज़ें नहीं खानी चाहिए । जल द्वारा होने वाले रोगों को रोकने के लिए फिल्टर किया हुआ और कलोरीन द्वारा शुद्ध किया हुआ जल होना चाहिए । जिन स्थानों पर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध न हो वहां जल को शुद्ध करने की कुछ विधियां निम्न प्रकार हैं-

■ पीने के पानी को 5-10 मिनट तक उबाल कर ढक्कर रखना चाहिए । यह जल एक दिन तक प्रयोग में लाया जा सकता है ।

■ पानी में विभिन्न प्रकार के रसायन मिलाकर इसे पीने योग्य बनाया जा सकता है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन टेबलेट (0.5 ग्राम की एक टेबलेट 2 लीटर पानी के लिए पर्याप्त होती है), या आयोडीन का घोल (2 बूंदें एक लीटर पानी के लिए पर्याप्त होती हैं ।)

■ पानी को विभिन्न प्रकार के फिल्टरों द्वारा शुद्ध किया जा सकता है । ये फिल्टर वायरस छोड़कर अन्य सभी प्रकार के कीटाणुओं को छान देते हैं ।

मच्छर, मक्खी, जूं, काकरोच, विभिन्न कीटों, चूहों इत्यादि द्वारा मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, साधारण ज्वर, मस्तिष्क ज्वर, दस्त, पेचिस, आंखों के संक्रमण आदि अनेक रोग फैलते हैं । इनसे बचाव के लिए घर एवं आसपास के वातावरण की स्वच्छता आवश्यक है । अत: घर के अंदर कूड़ा इत्यादि बन्द ढक्कन के कूड़ेदान में ही डालना चाहिए एवं घर के बाहर भी कूड़ा इधर-उधर फेंकने के स्थान पर एक सुनिश्चित स्थान पर ही डालना चाहिए । घर में सीलन से बचाव के लिए, जिसमें कि कीटाणु अधिक पलते हैं, वायु के आवागमन और धूप आने का उचित प्रबंध होना चाहिए ।

खुले स्थान में मल मूत्र विसर्जन पर रोक लगानी चाहिए और इसके लिए घर के अन्दर व बाहर बन्द शौचालयों की स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए । गन्दे वह ठहरे हुए जल में जैसे कि गड्ढे, नाले, नालियां आदि में मच्छर पलते हैं अत: घर में या आसपास पानी अधिक समय तक रुका नहीं होना चाहिए । नाले-नालियों आदि की निकासी का उपयुक्त प्रबंध होना चाहिए एवं गड्ढ़ों को मिट्टी आदि से पाटने का प्रबंध होना चाहिए । किन्हीं कारणोंवश यदि जल एकत्रित किया गया हो जैसे-पानी की टंकी, कूलर आदि तो प्रति सप्ताह इन स्थानों से पूरा पानी निकालकर सफ़ाई करके पुन: पानी एकत्रित किया जाना चाहिए ।

घर के खिड़की एवं दरवाज़ों पर जाली लगाकर, मच्छरदानी के प्रयोग से, मच्छर भगाने की क्रीम अथवा अन्य उपकरणों के प्रयोग से मच्छर व मक्खी से बचा जा सकता है । एकत्रित पानी की निकासी संभव न हो तो मच्छरों का जीवन-चक्र रोकने के लिए प्रति सप्ताह पेट्रोल अथवा कीटनाशक दवाई (आर्सेनियस आक्साइड, आर्गेनोफास्फोरस तत्व आदि) का छिड़काव किया जा सकता है । साल में 2-3 बार घर में एवं आसपास के वातावरण में डी॰डी॰टी॰ अथवा अन्य कीटनाशक दवा का छिड़काव करवाने से मच्छर एवं मक्खियों आदि का विनाश होता है ।

अस्पतालों में संक्रमण की रोकथाम : अस्पतालों में संक्रमित मरीज़ों से दूसरे मरीज़ों, डॉक्टरों एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों को संक्रमण होने का भय बना रहता है । किसी अन्य रोग के लिए भर्ती मरीज़ विशेषत: जब मरीज़ की प्रतिरोधक क्षमता कम हो, तो डॉक्टरों, अन्य कर्मचारियों एवं आसपास के वातावरण से संक्रमित होने का भय होता है । ऑपरेशन के समय अथवा बाद में शरीर में ऑपरेशन के स्थान पर एवं उदर गुहा में संक्रमण हो सकता है और यह संक्रमण रक्त द्वारा पूरे शरीर में फैल सकता है ।

अस्पताल में संक्रमण रोकने के लिए विशिष्ट विधियां होती हैं । इसके लिए कुछ तथ्य जानना आवश्यक है ।

एसैप्सिस या एसैप्टिक तकनीक : वे सभी तरीक़े, जिनसे जीवाणुओं का शरीर के किसी भी हिस्से में प्रवेश रोका जाए जहां वे संक्रमण कर सकते हैं, एसैप्टिक तरीक़ों के अंतर्गत आते हैं । इन तरीक़ों से जीवाणुओं की संख्या मनुष्य शरीर अथवा अन्य वस्तुओं, औजारों आदि पर सुरक्षित स्तर तक कम की जा सकती है ।

एण्टीसैप्सिस : जीवाणुओं की मनुष्य के शरीर या अंगों में वृद्धि अवरोध करके संक्रमण की रोकथाम करना एण्टीसैप्सिस कहलाता है ।

वि:संक्रमण : संक्रमित औजारों या वस्तुओं से स्वास्थ्य कर्मचारियों में संक्रमण होने से रोकने के लिए की गयी प्रक्रियाएं वि:संक्रमण कहलाती हैं ।

सफ़ाई : त्वचा, औजारों एवं अन्य वस्तुओं से सभी स्राव, रक्त, मिट्टी, धूल आदि हटाने को सफ़ाई करना कहते हैं ।

डिसइन्फैक्शन : वह प्रक्रिया जिससे औजारों व अन्य वस्तुओं से संक्रमण फैलाने वाले क़रीब-क़रीब सभी जीवाणुओं को नष्ट किया जा सके ।

निष्कीटन : यह प्रक्रिया जिससे औजारों एवं अन्य वस्तुओं से सभी प्रकार के जीवाणु नष्ट किये जा सकें ।

किसी भी अन्य विशिष्ट विधि को जानने के पूर्व यह साधारण किंतु महत्वपूर्ण बात जानना आवश्यक है कि अस्पताल का वातावरण स्वच्छ होना चाहिए । वायु एवं धूप का आवागमन उचित प्रकार से होना चाहिए एवं अस्पताल के प्रत्येक कक्ष, वार्ड, प्रसव कक्ष, ऑपरेशन कक्ष, वाह्य विभाग आदि की प्रतिदिन सफ़ाई की जानी चाहिए । फ़र्श को फिनायल द्वारा पोंछा लगाने से अत्यधिक जीवाणु समाप्त हो जाते हैं । इसके अतिरिक्त, दीवारों, खिड़कियों, जालियों एवं कक्ष के विभिन्न कोनों में जहां कि गंदगी रह जाने की संभावना होती है प्रतिदिन सफ़ाई होनी चाहिए । ऑपरेशन कक्ष में यह अतिआवश्यक है कि विभिन्न टेबुल, ट्रालियों एवं सिलेंडरों आदि की गीले कपड़े से भली-भांति सफ़ाई हो । सूखे कपड़े से झाड़ने पर उड़ने वाली धूल में संक्रमण के कीटाणु होने के कारण यह पूरे वातावरण में फैल सकते हैं । ऑपरेशन कक्ष में कोई भी ऑपरेशन करने के पूर्व एवं पश्चात फार्मेल्डीहाइड नामक विषैली गैस द्वारा वि:संक्रमण किया जाना चाहिए ।

दुनिया के छह अजूबे

चिचेन इत्जा का पिरामिड

अत्यंत प्रसिद्ध मायान मंदिर का शहर, चिचेन इत्जा, मायान सभ्यता का राजनीतिक और आर्थिक केंद्र था । इसकी विभिन्न संरचनाओं में-कुकुल्कान का पिरामिड, चक मूल का मंदिर, हज़ार खंभों का हाल और क़ैदियों के खेल

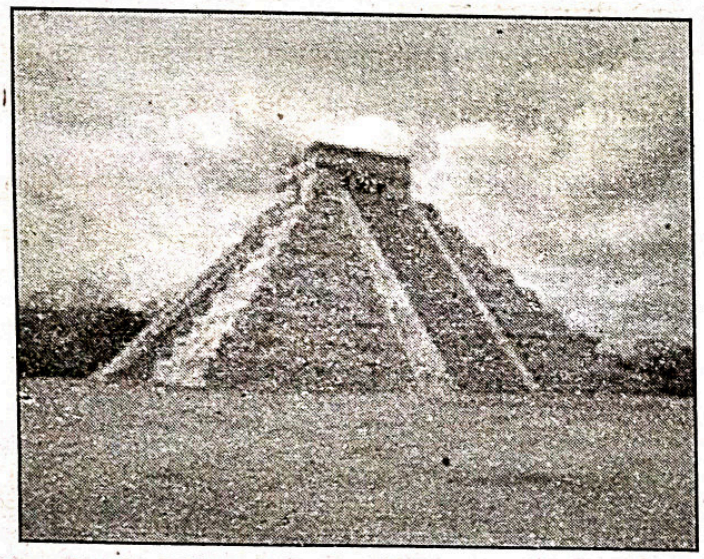

का मैदान-आज भी देखे जा सकते हैं और वास्तुशिल्प के क्षेत्र तथा रचना करने की असाधारण प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं । खुद पिरामिड सभी मायान मंदिरों में से अंतिम और यक़ीनन सबसे बड़ा था ।

रोमन कोलाजियम

(70-82 ई.) रोम, इटली

रोम के केन्द्र में इस महान रंगभूमि को सफल सैनिकों



और रोमन साम्राज्य के गौरव का जश्न मनाने के लिए बनाया गया था। इसकी डिजाइन अवधारणा आज भी अनूठी है । दो हज़ार साल बाद अब भी लगभग हर आधुनिक खेल स्टेडियम पर कोलाजियम की मूल डिजाइन की अनिवार्य छाप होती है ।

इतिहास की पुस्तकों के माध्यम से, हमें उस जगह पर होने वाली क्रूर लड़ाई और खेलों के बारे में और भी अधिक जानकारी मिल सकती है, अतीत में यहां हुए आयोजनों पर फ़िल्में भी बनी हैं, जिससे दर्शकों का ख़ूब मनोरंजन होता है ।

ताज महल

(1630 ई.) आगरा, भारत

यह विशाल समाधि पांचवें मुग़ल सम्राट शाहजहां के आदेश पर, उनकी प्रिय दिवंगत पत्नी की स्मृति में बनायी

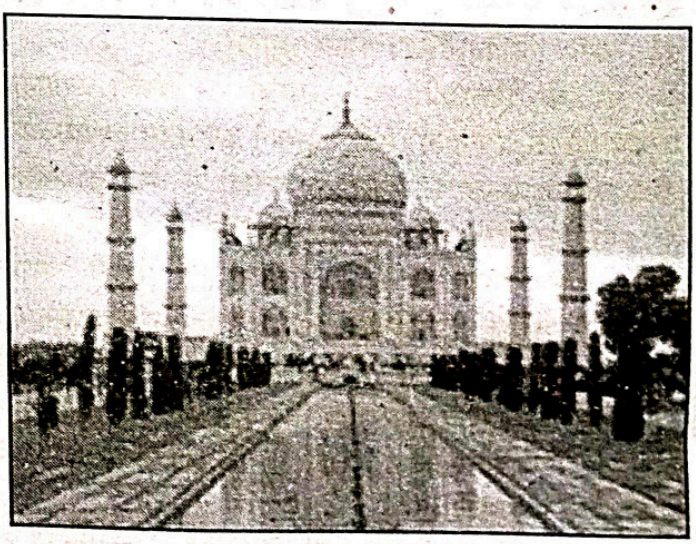

गयी थी । सफ़ेद संगमरमर से निर्मित और औपचारिक रूप से बाहरी दीवारों से घिरे उद्यानों के बीच स्थित, ताजमहल को भारत में मुस्लिम कला का उत्कृष्ट रत्न माना जाता है ।

बाद में सम्राट को जेल में बंद कर दिया गया था और यह कहा जाता है कि वहां की कोठरी की छोटी-सी खिड़की से वे केवल ताजमहल देख सकते थे ।

चीन की महान दीवार

(220 ई.पू. और 1368-1644 ई.) चीन

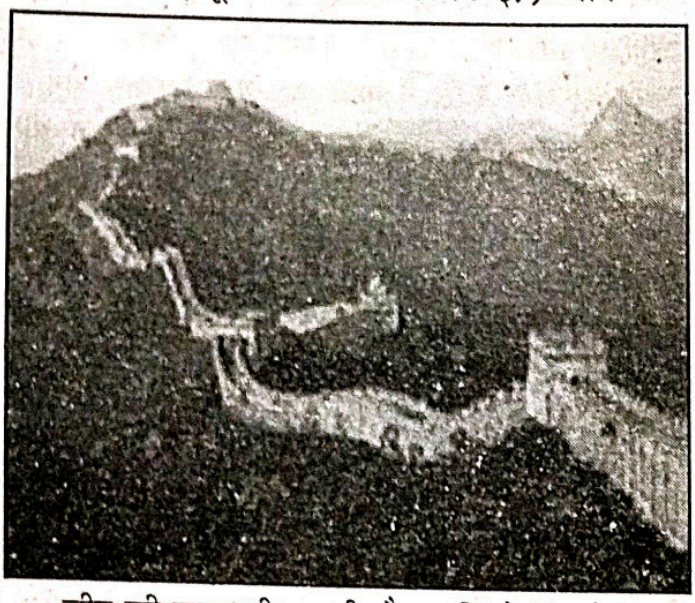

चीन की महान दीवार की मौजूदा क़िलेबंदी को संयुक्त रक्षा प्रणाली के साथ जोड़कर निर्मित किया गया था, जिसका उद्देश्य मंगोल जनजाति के हमलावरों को चीन से बाहर रखना था । यह अब तक का मानव निर्मित सबसे बड़ा स्मारक है । यह अकेला ऐसे मानव निर्मित स्मारक है, जो अंतरिक्ष से भी दिखाई देता है । इस भारी निर्माण में लगे कई हज़ार लोगों को अपनी जान देनी पड़ी होगी ।

माचू पिच्चु

(1460-1470), पेरू

15वीं शताब्दी में इंकेन सम्राट पैचाक्यूटेक ने पर्वत पर बादलों में एक शहर का निर्माण किया जिसे माचू पिच्चु (पुराने पर्वत) के रूप में जाना जाता । यह असाधारण रिहायशी जगह एंडेस पठार पर आधी ऊंचाई तक स्थित है, जो अमेजन के जंगल में अन्दर और उरुबम्बा नदी के ऊपर है ।



इसे शायद चेचक फैलने की वजह से इंकैस द्वारा छोड़ दिया गया था और स्पेन वासियों द्वारा इंकैन साम्राज्य को हरा दिए जाने के बाद, यह शहर लगभग तीन शताब्दियों से अधिक तक गुमनाम रहा । इसे हीराम बिंघम द्वारा पुन: खोजा गया था ।

पेट्रा

(9 ईसा पूर्व-40 ई.), जार्डन

अरब रेगिस्तान के किनारे, पेट्रा राजा एरिटास चतुर्थ (9 ई॰पू॰ से 40 ई॰) के नाबाटिअन साम्राज्य की शानदार राजधानी स्थित थी । जल प्रौद्योगिकी में माहिर, नाबाटिअन लोगों ने अपने शहर को बेहतरीन सुरंगों और जल के चैम्बरों का निर्माण प्रस्तुत किया ।

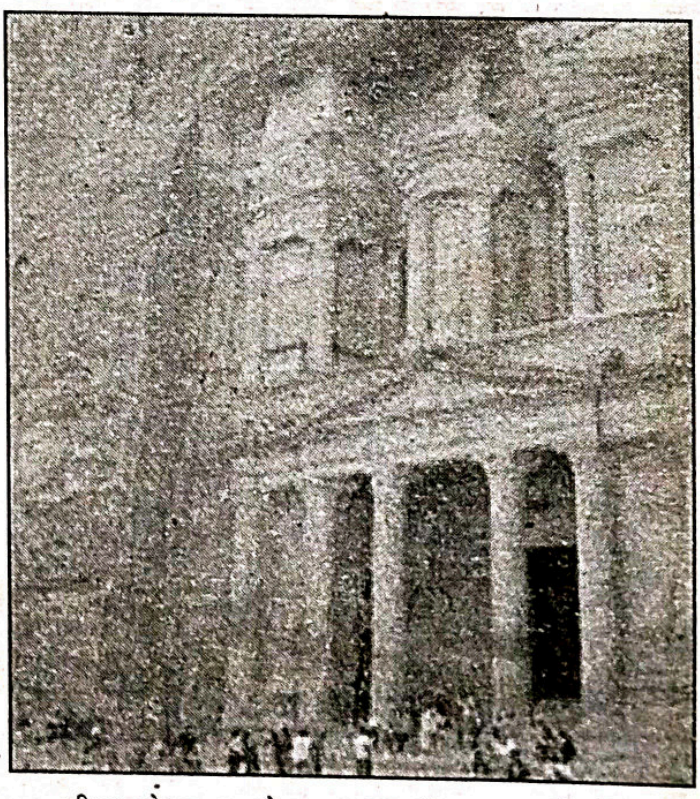

ग्रीक रोमन नमूने पर आधारित, इस थियेटर की 4000 दर्शकों के बैठने की क्षमता थी । आज, पेट्रा के महल नुमा मक़बरे, जिनमें अल दैर मठ पर 42 मीटर ऊंचे यूनानी मंदिर के मुखौटे हैं, मध्य पूर्वी संस्कृति का शानदार उदाहरण हैं ।

● **संपादन प्रभाग**

समुद्र में संगीत

क्या आपको पता है व्हेल संगीतप्रिय ही नहीं स्वयं गाती भी है ! और वह भी ऊटपटांग-सा नहीं बाक़ायदा उनकी अपनी सरगम के साथ । यदि आप बीच समुद्र में जाएं तो आपको व्हेलों के गीत सुनने को मिल सकते हैं । वैज्ञानिकों ने व्हेल के गीतों को रिकॉर्ड करके उनका बारीकी से अध्ययन किया और संगीतज्ञों को भी सुनवाकर उनकी राय ली । हमारे गीतों की ही तरह उनके गीतों में भी पद, पंक्तियां और पूरे-पूरे गीत होते हैं ।

समुद्र के अलग-अलग हिस्सों में व्हेलों के गीतों में विविधता भी मिलती है । बर्मुदा की व्हेलें पांच पंक्ति का गीत गाती हैं, जबकि हवाई के पास रहने वाली व्हेलें आठ पंक्तियों के गीत गाती हैं । कुछ गीत पांच मिनट में ख़त्म हो जाते हैं तो कुछ पूरे आधे घंटे तक चलते हैं । एक बार कैरेबियन के पास एक व्हेल 22 घंटों तक लगातार गाती रही । उसके गीत को रिकॉर्ड करने वाले शोधकर्ता भी थक कर चले गये पर वह उनके जाने के बाद भी गाती रही ।

व्हेलों के संसार में सबसे अच्छी गायिकाओं में हंपबैक व्हेल्स मानी गयी हैं । उनके पास सरल और जटिल गीतों की कमी नहीं । जब आप जोश से गा रही व्हेल के आस-पास जाकर उसका गीत सुनेंगे तो आप उसके बुलन्द स्वरों से प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे । उसकी आवाज़ के स्पन्दन आपके मस्तिष्क तक पहुंचते हैं । ध्वनि तरंगें आपके अंगों में प्रवाहित हो जाएंगी आपको गीत सुनकर कम और ध्वनि तरंगों के शरीर में बहने का ज़्यादा एहसास होगा ।

व्हेल अक्सर अकेला ही गाती है और साथ में धीमी गति में तैरती भी रहती है । व्हेल हमेशा एक ही गीत नहीं गाती । जब वे समुद्र के दूसरे हिस्सों में जाती हैं तो वे आपस में सीखती सिखाती भी हैं । इस तरह हिन्द महासागर की व्हेलें प्रशांत महासागर की व्हेलों को गीत सिखाती हैं और प्रशांत महासागर की व्हेलें हिन्द महासागर की व्हेलों को गीत सिखाती हैं । इस तरह कुछ सालों में इनके गीत पूरे बदल जाते हैं ।

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि॰), D-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं भारत ऑफ़सेट प्रेस, 2035, क़ासिम जान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली-110006 से मुद्रित । फ़ोन : 011-26949430, 09818799223

संपादक : डॉ॰ मुहम्मद अहमद

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित है ।

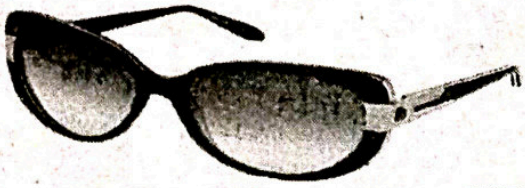


Asian Optics

a multibrand showroom

SNP Area, Sakchi ,Jsr.
2221184

Main Road, Golmuri ,Jsr.
2341175

अक़ायद व इबादात पर हमारी अहम पुस्तकें

आवागमनीय पुर्नजन्म	डॉ० मुहम्मद अहमद	50.00
अनेकेश्वरवाद की वास्तविकता	मौलाना अमीन अहसन इस्लाही	70.00
एकेश्वरवाद की वास्तविकता	मौलाना अमीन अहसन इस्लाही	35.00
एक ईश्वर की धारणा	मुहम्मद फ़ारूक़ खाँ	40.00
परलोक की छाया में	मुहम्मद फ़ारूक़ खाँ	90.00
पहेली जीवन की	मुहम्मद फ़ारूक़ खाँ	12.00
रिसालत	मुहम्मद फ़ारूक़ खाँ	45.00
लोगोः हिसाब का समय निकट आ चुका है	मौलाना सैय्यद जलालुद्दीन उमरी	14.00
खुदा की गुलामी इंसान की बुलन्दी	मौलाना सैय्यद जलालुद्दीन उमरी	18.00
जीवन मृत्यु के पश्चात्	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	12.00
बनाव और बिगाड़	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	12.00
शान्ति-मार्ग	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	15.00
सोचने की बातें	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	10.00
प्यारी माँ के नाम इस्लामी संदेश	मौलाना नसीम ग़ाज़ी फ़लाही	07.00
मानव जीवन और परलोक	शोबा-ए-दावत	22.00
मुक्ति-मार्ग	इनामुर्रहमान ख़ाँ	10.00
मौत के बाद क्या?	डॉ० शाहिद अली	10.00
मरने के बाद क्या होगा?	बिन्तुल इस्लाम	60.00
सत्य की खोज	मौलाना वहीदुद्दीन खाँ	16.00
नबी करीम (सल्ल०) की दुआएँ (पाकेट साइज़)	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	64.00
रमज़ान कैसे गुज़ारें?	खुर्रम मुराद	22.00
रोज़ा और उसका असली मक़्सद	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	10.00
इबादत	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	16.00
इस्लाम में पाकी और सफाई	मौलाना नसीम ग़ाज़ी फलाही	20.00
नमाज़ में आप क्या पढ़ते हैं?	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	18.00
इमान की कसौटी	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	08.00
खुतबाते हरम	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	18.00
नमाज़	मौलाना नसीम ग़ाज़ी फलाही	12.00

MMI PUBLISHERS
D-307,Dawat Nagar,Abul Fazal Enclave,Jamia Nagar,New Delhi-110025
Phone: 26981652,26984347 Fax: 26987858
E-mail:mmipublishers@gmail.com Website: www.mmipublishers.net

Posted on 20-21 April 2017
May 2017
E-mail: kantihindimonthly@yahoo.com
Publishing Date: 18.04.2017
Total Pages-52 (With Covers)

हिन्दी भाषियों की साप्ताहिक पत्रिका
कान्ति

RNI 53372/91
DL(S)-01/3147/2015-2017
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U (SE)-73/2015-2017
Posted at DELHI R.M.S. Delhi-6

स्वस्थ चेतना का वाहक हिन्दी साप्ताहिक अख़बार

कान्ति
स्वस्थ चेतना का वाहक हिन्दी साप्ताहिक अख़बार

पढ़िए और पढ़ाइए

जो केवल समाचार ही न दे

- बल्कि बताए समाचारों का मर्म और आगे-पीछे का हाल
- देश व समाज की उन्नति के लिए प्रस्तुत करे ठोस उपाय
- प्रस्तुत करे इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ होने वाले दुष्प्रचार का तोड़
- सामने लाए सही स्थिति और अवगत कराये वास्तविकताओं से
- रखे ध्यान नैतिक मूल्यों का और मार्गदर्शन करे भलाई व कल्याण की ओर

सहयोग राशि :-

✧ प्रति कॉपी 5 /= ✧ छहमाही 125/= ✧ वार्षिक 250/=

एजेंसी और ग्राहक बनने के लिए सम्पर्क करें ।

KANTI WEEKLY

D-314, Dawat Nagar, Abul Fazl Enclave, Jamia Nagar, New Delhi-25
Phone : 09818799223, 011-26949430
E-mail : kantiweekly@hotmail.com